सहायक वाचन

कक्षा–8

सत्र 2022–23

DIKSHA एप कैसे डाउनलोड करें?

विकल्प 1 : अपने मोबाइल ब्राउज़र पर diksha.gov.in/app टाइप करें।
विकल्प 2 : Google Play Store में DIKSHA NCTE ढूंढ़े एवं डाउनलोड बटन पर tap करें।

DIKSHA

मोबाइल पर QR कोड का उपयोग कर डिजिटल विषय वस्तु कैसे प्राप्त करें ?

DIKSHA App को लॉच करे → App की समस्त अनुमति को स्वीकार करें → उपयोगकर्ता Profile का चयन करें।

1 पाठ्यपुस्तक में QR Code को Scan करने के लिए मोबाइल में QR Code tap करें।

2 मोबाईल को QR Code पर केन्द्रित करें।

3 सफल Scan के पश्चात् QR Code से लिंक की गई सूची उपलब्ध होगी।

डेस्कटॉप पर QR Code का उपयोग कर डिजिटल विषय–वस्तु तक कैसे पहुँचे ?

1 QR Code के नीचे 6 अंक का Alpha Numeric Code दिया गया है।

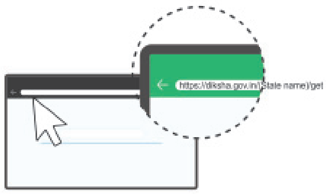

2 ब्राउज़र में diksha. gov.in/cg टाईप करें।

3 सर्च बार पर 6 डिजिट का QR CODE टाईप करें।

4 प्राप्त विषय–वस्तु की सूची से चाही गई विषय–वस्तु पर क्लिक करें।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर

नि:शुल्क वितरण हेतु

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर

मेरे सपनों का भारत

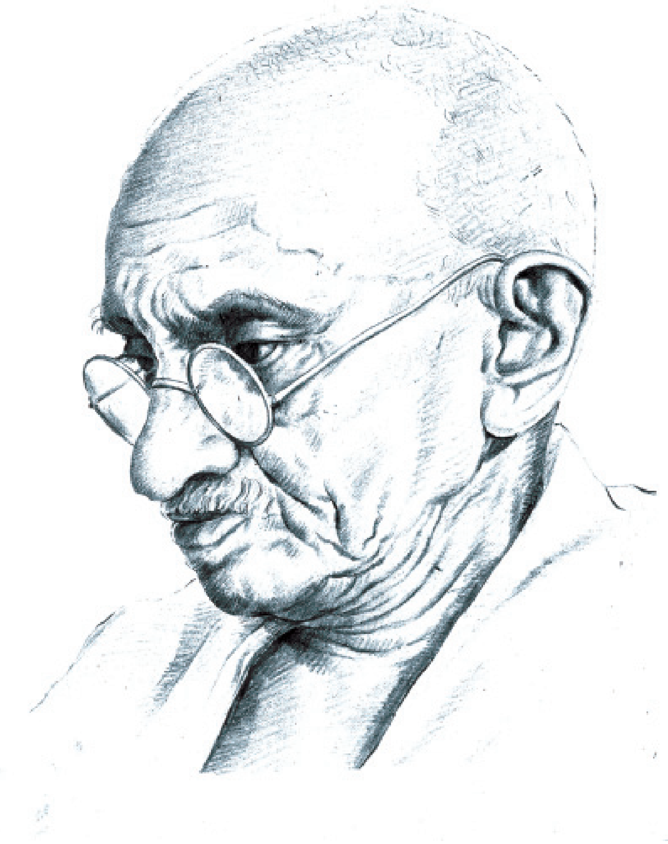

मैं एक ऐसे भारत को बनाऊँगा, जिसमें गरीब–से –गरीब भी यह अनुभव करेंगे कि यह उनका देश है; जिसके निर्माण में उनकी आवाज़ का महत्व है; जिसमें ऊँच–नीच नहीं होंगे; सभी सम्प्रदाय मिल–जुलकर रहेंगे। ऐसे भारत में अस्पृश्यता और नशाखोरी जैसी बुराइयों के लिए कोई स्थान न होगा। मेरे स्वराज्य का ध्येय अपनी सभ्यता की विशेषता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। मैं बहुत–सी नई बातों को लेना चाहता हूँ, पर उन सबको भारतीयता का जामा पहनाना होगा। मैं पश्चिम से सहर्ष उधार लूँगा, बशर्ते मैं मूल को ब्याज सहित लौटा सकूँ। भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, ऐसा तभी कहा जा सकेगा, जब जनता यह अनुभव करने लगेगी कि उसे अपनी उन्नति करने तथा रास्ते पर चलने की आज़ादी है।

– महात्मा गांधी

प्रकाशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर

मुद्रक

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर (छ.ग.)

मुद्रणालय

मुद्रित पुस्तकों की संख्या – ....

vke[k

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के लागू होने के साथ ही विद्यालयों के प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया है। इस अवधारणा को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1994 में कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर पर भाषा, गणित और पर्यावरण का दक्षता आधारित पाठ्यक्रम स्वीकृत किया एवं 1995 से 1999 तक इस पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकों को, क्रमश: प्रदेश के कुछ चुने हुए जिलों में क्षेत्र परीक्षण करते हुए व उसके आधार पर संशोधन एवं पुनरीक्षण करते हुए 1999-2000 सत्र के कक्षा 1 से 5 की नवीन पुस्तकों को पूरे प्रदेश में लागू किया है।

इसी तारतम्य में वर्ष 2000 में कक्षा 6-8 का दक्षता आधारित नवीन पाठ्यक्रम बनाया गया है और उसी पर आधारित कक्षा 6 की दक्षता आधारित पुस्तक तैयार की गई है।

- पाठ्य सामग्री का चुनाव छात्रों की मानसिक क्षमता व रूचि को ध्यान में रखकर किया गया है। केन्द्रित शिक्षाक्रम में सम्मिलित मूल्यों के समावेश का पाठों के चयन में विशेष ध्यान रखा गया है।
- कक्षा 8वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक को विषय 'हिन्दी–छत्तीसगढ़ भारती' में सहायक पुस्तक के रूप में स्वीकृत किया गया है, इससे बच्चों में पठन, वाचन, तर्क एवं चिंतन क्षमता विकसित होगी।
- प्रत्येक पाठ के अन्त में विस्तृत प्रश्न और अभ्यास दिए गए है जिनसे छात्रों को पठित वस्तु को समझने, उस पर विचार करने की योग्यता और भाषा का प्रभावी प्रयोग करने में सहायता मिलेगी व क्रियात्मक अभ्यासों की गतिविधियाँ करने से भाषाई दक्षताओं का विकास हो सकेगा। पुस्तक के अन्त में शब्दार्थ भी दिए गए हैं।
- भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को ज्ञान और आनन्द की प्राप्ति हो। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी हे कि हमारे शिक्षक कक्षा 6-8 में भी गतिविधि आधारित शिक्षण पूर्ण लगन से कराएँगे, क्योंकि भाषा ज्ञान बढ़ाने का मंत्र सीखना और सिखाना है। यदि आपके विद्यालय में पुस्तकालय हो या आप और आपके साथियों या बच्चों के पास विषय से सम्बन्धित अच्छी पुस्तकें हैं तो कृपया उन्हें जरूर एक दूसरे के साथ बाँटे व उसके बारे में अपने साथियों को बताना भी न भूलें ।
- यह एक संकलित दस्तावेज है और दस्तावेजों (पुस्तक) में प्रयुक्त शब्दों में बदलाव नही किया जा सकता है, अतः माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए दस्तावेज में प्रयुक्त मूल शब्दों के साथ ही इसे मुद्रित कराया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग. द्वारा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में दक्षता संवर्धन हेतु अतिरिक्त पाठ्य संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से Energized Text Books एक अभिनव प्रयास है, जिसे ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन (डाउनलोड करने के उपरांत) उपयोग किया जा सकता है। ETBs का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यवस्तु के अतिरिक्त ऑडियो–वीडियो, एनीमेशन फॉरमेट में अधिगम सामग्री, संबंधित अभ्यास, प्रश्न एवं शिक्षकों के लिए संदर्भ सामग्री प्रदान करना है।

इन पुस्तकों के निर्माण में हमें अनेक शिक्षाविदों, अनुभवी अध्यापकों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। जिन प्रकाशकों एवं कवि लेखकों की रचनाएँ व एन सी ई आर टी व अन्य राज्यों की पुस्तकों से हमें जो सहयोग मिला है परिषद् उनके लिए हृदय से आभारी है, इस पुस्तक के सम्बन्ध में आपके सुझावों का स्वागत है।

संचालक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
छत्तीसगढ़, रायपुर

XU1CZB

विषय सूची

	क्रम	पाठ	पृष्ठ
	पहली झलक	मोहन का बचपन	1–5
I	दूसरी झलक	गांधी की लंदनयात्रा	6–10
	तीसरी झलक	बैरिस्टर गांधी	11–12
	चौथी झलक	अफ्रीका में 'कुली बैरिस्टर गांधी'	13–14
	पाँचवी झलक	अफ्रीका में गांधी जी के संघर्षमय कार्य	15–20
II	छठी झलक	दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर गांधी का पुनरागमन	21–23
	सातवीं झलक	स्वदेश में गांधी जी	24–25
	आठवीं झलक	गांधी जी की तीसरी अफ्रीका यात्रा	26–34
	नवीं झलक	इंग्लैड मार्ग से भारत प्रस्थान	35–36
III	दसवीं झलक	भारत में महात्मा गांधी और स्वातंत्र्य आंदोलन	37–67
	ग्यारहवीं झलक	संस्मरण सुमन	68–71
	बारहवीं झलक	विचार बिन्दु	72–76

पहली झलक

मोहन का बचपन

XU673S

बरसात का दिन था। आसमान में बादल रह–रहकर घिर आते थे । एक बालक उन्हीं की तरफ एकटक देख रहा था। देखते–देखते एकदम चिल्ला उठा, ''माँ, माँ, देखो, सूरज निकल आया। अब तू पारणा कर ले।'' माँ ज्यों ही बाहर आईं, सूरज भगवान बादल की ओट में छिप गए। ''कोई बात नहीं मनु, भगवान की मर्जी नहीं है कि आज पारणा करूँ, भोजन करूँ।''

मनु की माँ ने चौमासे में सूर्यदर्शन होने पर ही भोजन ग्रहण करने का व्रत लिया था। आज सूर्य के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बरसात के दिनों में कई बार सूरज भगवान मनु की माँ को भूखा रखते थे। सूरज के न दिखने पर माँ ने जब भोजन नहीं किया, तब मनु को बहुत बुरा लगा। उसने माँ से पूछा, ''माँ, तू ऐसे कठिन व्रत क्यों करती है ?'' ''बेटा, जब तू बड़ा हो जाएगा तब इसका अर्थ समझ जाएगा। अब चल मंदिर चलें, शिव के दर्शन करें। वहाँ पुजारी बहुत अच्छे भजन गाता है।''

''माँ, तू शिवालय जाती है, शिव के दर्शन करती है, बालकृष्ण हवेली जाती है, कृष्ण के दर्शन करती है, राम मंदिर जाती है, राम के दर्शन करती है। बापू भी सब मंदिरों में जाते हैं; लेकिन वे रामायण बड़े प्रेम से सुनते हैं। जब ब्राह्मण दोहे–चौपाई गाता है, तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है । और सुन, धाय कहती है कि तू राम नाम लिया कर तो तुझे भूत–प्रेत का क्या, किसी का भी डर नहीं सताएगा, और बापू 'हरे राम हरे कृष्ण' का कीर्तन बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो तू बता, माँ, इन तीनों में कौन

बचपन में गाँधीजी

बड़ा है?'' ''बेटा, ये तीनों ही बड़े हैं, तीनों ही एक हैं। भगवान के ही नाम हैं। देख ना, मैं तुझे कभी मनु कहती हूँ और कभी मोन्या भी कह देती हूँ। अरे, जब तू बड़ा हो जाएगा, तब सब समझने लगेगा।''

ऊपर बात करने वाले माँ–बेटे पुतली बाई और मोहनदास थे। मोहनदास ही बड़े होने पर मोहनदास करमचंद गांधी कहलाए और देशवासियों की सेवा करने के कारण 'महात्मा गांधी' के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध हुए। मोहन का जन्म आश्विन बदी 12, विक्रम संवत् 1926 अर्थात् 2 अक्टूबर 1869 ईसवी को काठियावाड़ (सौराष्ट्र) के छोटे– से शहर पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी वैश्य थे। वे वैष्णव धर्म को मानने वाले तथा सत्यभाषी,

निडर एवं न्यायप्रिय थे। अपनी पत्नी पुतलीबाई के समान ही धर्म के कार्यों में श्रद्धा रखते थे। पढ़े–लिखे तो कम थे, परन्तु व्यवहार कुशल बहुत थे। घर–बाहर के पेचीदे मामलों को बड़ी चतुराई से सुलझा देते थे। पोरबंदर अँग्रेजी राज्य की छत्रछाया में एक छोटी–सी रियासत थी; उसी के ये दीवान थे। राजकोट और बीकानेर रियासत में भी इन्होंने इसी पद पर कार्य किया था।

रियासतों में अँग्रेजी सरकार अपने प्रतिनिधि रखती थी। इन्हें पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। ये राजाओं और उनकी प्रजा की हलचलों पर निगरानी रखा करते थे। एक बार राजकोट के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ने वहाँ के राजा की (जो ठाकुर साहब कहलाते थे) शान के खिलाफ कुछ अंड–बंड बातें कह डालीं। करमचंद गांधी को उस समय अँग्रेज की अशिष्टता सहन नहीं हुई। उन्होंने तुरन्त उसका विरोध किया। गोरे साहब को एक काले दीवान का विरोध बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने उनसे क्षमा माँगने की जिद की। जब उन्होंने इंकार कर दिया तब उन्हें डराने–धमकाने लगा। कुछ देर के लिए उसने उन्हें हवालात में भी बंद रखा, परन्तु करमचंद मामूली आदमी नहीं थे, जो उस गोरे की घुड़की से डर जाते। उन्होंने माफी माँगने से बार–बार इंकार किया। अंत में गोरे को झुकना पड़ा और उन्हें छोड़ दिया गया।

करमचंद को उनके सगे–संबंधी और मित्र **काबा गांधी** भी कहते थे। स्पष्टवादी होने के साथ–साथ वे बड़े क्रोधी और हठी भी थे। अपनी आज्ञा का उल्लंघन कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। अपने निर्णय पर दृढ़ रहने की इच्छा मोहन को अपने पिता से ही मिली थी।

शिष्टाचार में भूल के कारण प्रायश्चित

एक बार घर में भोजन पर कई लोग निमंत्रित हुए। अतिथियों में मोहन ने अपने मित्र को भी निमंत्रण भेजा था, पर किसी कारण से वह भोजन में शामिल नहीं किया जा सका। भोजन में मुख्य रूप से आम खिलाया जाने वाला था। मित्र को वह आम नहीं खिला सका, इससे मोहन को बड़ा दुःख हुआ। इसलिए उसने मौसम भर आम नहीं खाए, यद्यपि आम उसका प्रिय फल था। शिष्टाचार के पालन में जो गलती हुई थी, उससे वह फिर न हो, इस विचार से उसने यह संकल्प किया था।

स्कूल की पढ़ाई

मोहन का बचपन पोरबंदर में बीता। वहीं 'लूल्या मास्टर' की प्रायमरी शाला में उसकी पढ़ाई प्रारंभ हुई। वह शाला उनके घर के पास थी। मास्टर साहब दिव्यांग थे। इसलिए उन्हें लोग 'लूल्या मास्टर' कहते थे। जब मोहन के पिता पोरबंदर से राजकोट रियासत के दीवान बनकर गए, तब उनके साथ मोहन भी गया । उस समय उसकी आयु 7 वर्ष की थी। 12 वर्ष की आयु तक उसने राजकोट में अपनी पढ़ाई की। इस बीच उसने अपने गुरुओं से एक बार भी झूठ नहीं बोला। लज्जालु स्वभाव होने के कारण वह लड़कों से बहुत कम बात करता था। उसे डर लगा रहता था कि कहीं कोई मेरी किसी बात पर खिल्ली न उड़ाने लगे।

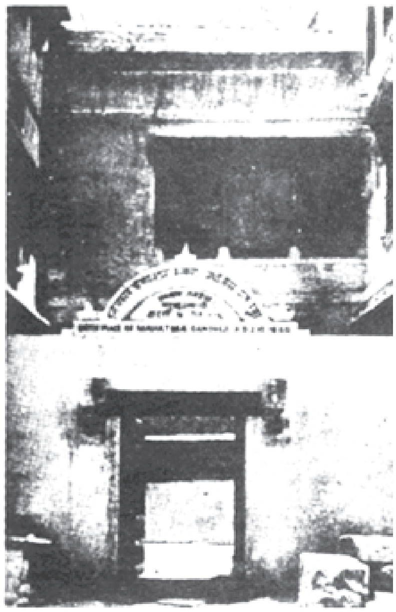

मोहन का स्कूल

नकल के इशारे की उपेक्षा

हाई स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना है। अँग्रेज इंस्पेक्टर परीक्षा लेने आया । उसने मोहन की कक्षा के विद्यार्थियों को 5 अँग्रेजी शब्द लिखने को कहा। उनमें एक शब्द 'केटल' था। मोहन ने इस शब्द के हिज्जे गलत लिखे थे। पास ही खड़े शिक्षक ने इशारे

से उसे चेताया, परन्तु उसके दिमाग में यह बात नहीं आई कि मास्टर साहब सामने लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे ठीक करने का इशारा कर रहे हैं। मोहन बच्चा ही था, फिर भी वह समझता था कि मास्टर इसलिए वहाँ है कि कोई लड़का दूसरे की नकल न कर पाए। मास्टर मोहन की ईमानदारी देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य से मन–ही–मन लज्जित हुए।

पितृ–भक्ति और सत्यनिष्ठा की प्रेरणा

मोहन पाठशाला की पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तकें पढ़ने में रुचि भी लेता था। एक दिन उसने पिताजी की 'श्रवण पितृ भक्ति नाटक' नामक पुस्तक पढ़ डाली। उस पुस्तक का उसके मन पर बड़ा असर पड़ा। श्रवण अपने माता–पिता को काँवर में बैठाकर यात्रा कराने ले जा रहा था, यह चित्र भी उस पुस्तक में था। उसका मन श्रवण के समान बनने के लिए ललक उठा।

इसी बीच राजकोट में एक नाटक मंडली आई जो हरिश्चंद्र नाटक खेलती थी। मोहन ने अपने पिता से नाटक देखने की अनुमति प्राप्त कर उस नाटक को देखा और उससे वह बहुत प्रभावित हुआ। मन–ही–मन हरिश्चंद्र नाटक के दृश्यों को देखता और सत्य पालन के कारण हरिश्चंद्र को जो–जो कष्ट भोगने पड़े, उनकी कल्पना कर घण्टों रोया करता। सत्य का पालन करना मनुष्य का धर्म है। इससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, ऐसे विचार उसके मन में उठने लगे । इस नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का अंकुर जमा दिया ।

नियम भंग से दुखी

मोहन को सबसे बड़ा दुख तब होता था जब उससे कोई नियम भंग हो जाता था। स्कूल में हेडमास्टर ने सबके लिए खेल अनिवार्य कर रखा था। मोहन की खेलों में रुचि नहीं थी। फिर भी वह खेल के समय उपस्थित रहता था। एक बार वह उपस्थित न रह सका जिससे हेडमास्टर ने उसकी अच्छी पिटाई की। पिटाई से तो उसे दुख नहीं हुआ, दुख इस बात से हुआ कि उसने पिटाई का काम किया, स्कूल के नियम का पालन नहीं किया।

ऊका मेहतर से सहानुभूति

मेहतरों को लोग क्यों नहीं छूते, यह बात मोहन की समझ में नहीं आती थी। उसके घर ऊका नाम का मेहतर सफाई करने आया करता था। माँ जब उसे छूने से मना करतीं, तब वह कहता, ''अपने धर्म की पोथियों में शूद्रों को न छूने की बात कहाँ लिखी है ? रामायण में लिखा है कि ऋषि वशिष्ठ ने केंवट को अपनी छाती से लगाया था और राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। ये दोनों शूद्र वर्ण के माने जाते थे। तो फिर तू मुझे ऊका से दूर रहने के लिए क्यों कहा करती है?'' माँ बेटे की बुद्धि की मन–ही–मन प्रशंसा करती थीं, पर उसकी शंका दूर नहीं कर पाती थीं ।

विवाह

उस समय छोटे बच्चों का विवाह हो जाता था। मोहन जब 13 वर्ष का हुआ था, तभी उसका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। वे काबा गांधी के मित्र की लड़की थीं। मोहन और कस्तूरबा एक ही उम्र के होने के कारण हमजोली की भाँति साथ–साथ खेलते थे। परिवार के धार्मिक वातावरण में मोहन और कस्तूर बा के महान संस्कारों का निर्माण हो रहा था।

माता–पिता का प्रभाव

मोहन के माता–पिता धार्मिक, सत्यवादी और अपनी बात के धनी थे। पिता जिसे वचन देते, उसे अवश्य पूरा करते; जो प्रतिज्ञा करते, उसको अवश्य निभाते। पिता शिव मंदिर में जाते थे, राम मंदिर और कृष्ण मंदिर में भी जाते थे। उनके साथ उनका लाड़ला मोन्या भी जाता था। मंदिर का पुजारी कभी नरसी मेहता के भजन, कभी मीराबाई और कभी तुलसी के पद भी गाता था। मोन्या उन्हें बड़े चाव से सुनता था। जब पुजारी नरसी मेहता का 'वैष्णव

जन तो तेणे कहिये जे, पीड़ पराई जाणे रे' भजन मस्ती में गाता तो वह भी मस्ती में गुनगुनाने लगता। उसके बापू दीवान थे, इसलिए सभी धर्म के प्रतिष्ठित लोग उनके पास आते थे और धार्मिक चर्चा करते थे। मोहन उन्हें सुनता रहता था। इस तरह माता– पिता की धार्मिक उदारता का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था।

काठियावाड़ की रियासतें पिछड़ी हुई थीं। लोग सीधे–सादे ढंग से रहते थे। मोहन दीवान का लड़का था; वह कोट, धोती, सफेद मोजे, स्लीपर और जरीदार टोपी पहनता था।

मोहन के माता–पिता

शाला में मोहन एक संकोचशील बालक था, जो अन्य बालकों से कुछ अलग–अलग–सा रहता था। उसने सन् 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद भाव नगर के सामलदास कॉलेज में नाम लिखाया। शिक्षा का माध्यम अँग्रेजी होने से वहाँ मोहन को पढ़ने में कुछ कठिनाई का अनुभव होता था। यही कारण था कि उसका मन कॉलेज की पढ़ाई से उचट गया और वह थोड़े दिनों बाद ही पढ़ाई छोड़कर घर लौट आया। अब प्रश्न उठा कि आगे क्या करें ?

विलायत जाने की तैयारी

भावजी दवे मोहन के पिता के घनिष्ठ मित्र थे। परिवार वालों ने उन्हें बुलाया। आते ही उन्होंने मोहन से पूछा, "बता, तू क्या पढ़ेगा ?" मोहन ने कहा, "मैं डॉक्टरी पढ़ना चाहता हूँ।" "अरे! तू मुर्दे कैसे चीरेगा! न–न, यह काम तुझसे नहीं होगा। देख, हम चाहते हैं, तू अपने बापू की तरह पोरबंदर या राजकोट का दीवान बने । इसके लिए कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अच्छा बोल, कानून पढ़ने विलायत जाएगा ?" अंधा क्या चाहे, दो आँखें। मोहन ने तुरन्त कह दिया, "काका, मैं विलायत जाऊँगा। तुम्हारी सलाह ठीक है, मैं कानून पढ़ूँगा।" मोहन को दवे काका की सलाह से बहुत खुशी हुई, पर माँ दुविधा में पड़ गईं। मेरा मोन्या तीन वर्ष तक मेरी आँखों से दूर होगा, यह मैं कैसे सहन करूँगी ? उन्होंने सुन रखा था कि विलायत जाकर लोग मांस–मदिरा के व्यसन में पड़कर बिगड़ जाते हैं। माँ ने अपने मन की उलझन बेटे को समझाई । मोहन ने कहा, "बा, (गुजराती में माँ को बा भी कहते हैं) तू विश्वास मान, मैं भगवान का नाम लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिन बातों से तू डरती है, उन्हें मैं कभी नहीं करूँगा।"

माँ फिर भी झिझकती रहीं। उन्होंने कहा– "मैं, जरा बेचर जी स्वामी से पूछ लूँ। अगर उन्होंने दवे भाई की तरह राय दी तो मैं जाने दूँगी।" बेचर जी स्वामी जैन साधु थे, गांधी परिवार के बड़े हितैषी थे। उनसे जब पूछा गया, तब उन्होंने मोहन की माँ को समझाया– "पुतलीबाई, मोन्या को विलायत भेजने से मत झिझको; लड़का होनहार है, शीलवान है। तुम्हारी बात मानेगा। बिगड़ेगा नही, जाने दो।" जैन साधु की सलाह मानकर पुतलीबाई ने अपने मन को समझा लिया और अपनी पुतली में बसने वाले मोहन को विलायत जाने की अनुमति दे दी।

मोहन के प्रस्थान का दिन आ गया। राजकोट हाई स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उसे मान पत्र देने के लिए सभा बुलाई और उसके गुणों की खूब प्रशंसा की। अंत में जब मोहन उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ तो उसके पैर डगमगाने लगे; हाथ काँपने लगे। कागज में

जो लिखकर ले गया था, उसे बड़ी कठिनाई से अटक–अटककर पढ़ सका। उसका सार यही था कि आशा है मेरे भाई मेरी तरह विलायत जाएँगे और लौटकर देश सेवा का काम कर नाम कमाएँगे। ऐसा लगा, मानो स्वयं मोहन का अपना भविष्य बोल रहा हो।

अब घर में माँ से बिदा लेने की दुखद घड़ी आई। माँ बेटे बड़ी देर तक लिपटे रोते रहे। अंत में शांत हो माँ ने बड़े कष्ट से आशीर्वाद दे, बिदा दी। फिर पत्नी कस्तूरबा के पास गए। दोनों कुछ नहीं बोले। मोहन ने कुछ क्षण खड़े होकर विदा ली। वे उससे कैसे पूछते, "जाऊँ?" और वह कैसे कहती, "मत जाओ।"

राजकोट से अपने बड़े भाई के साथ मोहन मुम्बई (बम्बई) पहुँचा । वहाँ जाति के मुखिया ने उसे बुलाकर बहुत डाँटा क्योंकि मोढ़ वैश्य जाति में उस समय तक कोई विलायत नहीं गया था। उसने जाति सभा बुलाई और मोहन को उसमें उपस्थित रहने को कहा। जैसी आशा थी, सभा में कई लोगों ने विरोध किया और कहा कि यदि करमचंद का लड़का विदेश जाता है, तो उसे जाति से निकाल देना चाहिए। मोहन ने दृढ़ता से कहा, "मैंने विलायत जाना तय कर लिया है। मैं अपना निश्चय नहीं बदल सकता। आप लोग खुशी से मेरा बहिष्कार कर सकते हैं।"

मोहन की विलायत यात्रा के मार्ग में एक कठिनाई और थी। विलायत में रहने का खर्च कहाँ से आएगा ? पिता ने धन संग्रह नहीं किया था। जातिवालों की सहायता मिलने का तो प्रश्न ही नहीं था। कहीं से छात्रवृत्ति मिलने की भी आशा नहीं थी। मोहन को चिंतित देखकर उसके बड़े भाई लक्ष्मीदास ने विलायत में रहने का सारा खर्च अपने ऊपर ले लिया। मोहन की चिंता दूर हो गई। उसने कुछ दिन मुम्बई (बम्बई) में रहकर विलायती पोशाक सिलवाई और उसे पहनना सीख लिया। सन् 1888 की 4 सितम्बर को मोहन ने अब 'एम.के.गांधी' (मोहनदास करमचंद गांधी) के रूप में जहाज के तीसरे दर्जे में लंदन की ओर प्रस्थान किया।

अभ्यास

1. मोहनदास की माँ को बरसात के दिनों में अक्सर भूखा क्यों रहना पड़ता था ?
2. करमचंद गांधी को राजकोट की हवालात में क्यों बंद किया गया था ?
3. माता–पिता के स्वभाव का मोहन पर क्या प्रभाव पड़ा ?
4. कक्षा में नकल न करने से मोहन के किस गुण का पता चलता है ?
5. मोहनदास पर 'श्रवण पितृ भक्ति' पुस्तक का क्या प्रभाव पड़ा ?
6. विलायत जाने से पहले मोहन ने माँ को कौन–कौन–से वचन दिए थे ?
7. जातिवालों ने मोहन के विलायत जाने का विरोध क्यों किया ?
8. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

(क) मोहनदास का जन्म सन् – – – – – – – – – में हुआ था।

(ख) मोहनदास के पिता – – – – – – – – – – – में दीवान थे।

(ग) मोहनदास की पत्नी का नाम – – – – – – – – – था।

(घ) मोहनदास – – – – – – – – की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे।

(ङ) हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को – – – –– –की प्रेरणा मिली।

XU882V

दूसरी झलक

गांधी की लंदन–यात्रा

समुद्र की लहराती लहरों पर उछलता–कूदता जहाज आगे की ओर बढ़ रहा था; पर मोहन का मन पीछे की ओर भाग रहा था। माँ की भीगी आँखें और पत्नी का मौन रुदन उसे बहुत व्याकुल बना रहा था। प्यारा घर, प्यारा देश दूर होता जा रहा था।

जहाज में उनके परिचित, राजकोट के वकील मजूमदार थे। शेष यात्री अँग्रेज थे, जिनसे मिलने और बात करने में गांधी सकुचाते थे। उन्होंने लिखा है, "मैं स्टुअर्ट (भोजन परोसने वाले) से बोलते हुए झेंपता था; क्योंकि मेरी अँग्रेजी कमज़ोर थी, साथ ही मैं अँग्रेजी रीति–रिवाज से भी परिचित नहीं था।" गांधी यह समझ नहीं पाते थे कि स्टुअर्ट से कैसे पूछें कि भोजन के पदार्थों में कौन–सी चीजें बिना मांस की हैं। छुरी–काँटे से खाने का अभ्यास न होने के कारण भोजन की टेबल पर कभी नहीं गए, अपने केबिन में ही खा लेते थे।

गांधी प्रातः जल्दी उठते और 8 बजे तक स्नानादि से निपट जाते थे। भोजन का समय होने पर वे घर से लाई हुई चीजों से अपनी भूख मिटा लेते थे। यात्री दोपहर का समय मनोरंजन में बिताते थे। गांधी कभी–कभी प्यानो बजाकर अपना मन बहला लेते थे। उनके साथी मजूमदार तो जहाज के यात्रियों से खूब हिल–मिल गए थे, पर गांधी संकोच के कारण अपने केबिन में ही लेटे रहते थे। मजूमदार बार–बार उनसे कहते, "वकील को बातूनी होना चाहिए । तुम यात्रियों से मिला–जुला करो और बातें किया करो। अँग्रेजी में यदि भूल हो जाए तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वह हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए उसे बोलने का अभ्यास बढ़ाकर ही सीखा जा सकता है।" मजूमदार के उपदेशों का गांधी पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। उनका संकोच नहीं टूटा। परन्तु गांधी को यात्रा में आनंद आ रहा था। रात को वे डेक (जहाज की छत) पर चले जाते थे; क्योंकि रात का दृश्य उन्हें बहुत भाता था। नीचे नीला पानी, ऊपर टिमटिमाते तारोंभरा नीला आकाश; समुद्र की लहरों पर चन्द्रमा का नर्तन युवक गांधी को भाव विभोर बना देता था।

पाँच दिन की यात्रा के बाद जब जहाज लंदन पहुँचा, तब पृथ्वी के दर्शन के लिए लालायित यात्री प्रफुल्लित हो उठे। धरती का प्राणी धरती से बहुत दूर रहकर सुखी नहीं रह सकता।

लाल सागर में जहाज पहुँचा तो गर्मी की तपन से यात्री बेचैन होने लगे; उन्हें चैन तभी मिलता, जब वे डेक पर जाते थे। ठंडी हवा उनमें स्फूर्ति भर देती।

स्वेज नहर में जब जहाज ने प्रवेश किया, तब जहाज के आगे की बिजली का प्रकाश चाँदनी जैसा सुन्दर लगता था। सँकरी नहर में जहाज इतनी धीमी गति से चल रहा था कि

उसका भान भी नहीं होता था। उसके छोर पर पोर्ट सईद बंदरगाह था, जहाँ जहाज रुका। माल्टा, जिब्राल्टर होता हुआ जहाज प्लेमाउथ पहुँचा। अब शीत का ज़ोर बढ़ने लगा । जहाज के एक यात्री ने गांधी से थोड़ी–सी घनिष्ठता बढ़ाते हुए सलाह दी–"मित्र, तुम्हें मांस खाना चाहिए; क्योंकि शीत प्रधान देशों में बिना मांस खाए मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता।" गांधी ने कहा, ''मैंने तो सुना है, इंग्लैण्ड में बहुत से शाकाहारी हैं।''

यात्री ने कहा– "झूठ है, मेरे परिचितों में तो कोई भी ऐसा नहीं है, जो मांसाहारी नहीं है; तुम चाहो तो शराब न पियो, पर मांस तो तुम्हें खाना ही चाहिए।"

गांधी ने अपने अँग्रेज सहयात्री को धन्यवाद देते हुए कहा, "मैं माँ से मांस न खाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। यदि मैं देखूँगा कि बिना मांस खाए इंग्लैण्ड में नहीं रह सकता तो स्वदेश लौट जाऊँगा।''

लंदन में गांधी

जहाज साउथ हेक्टन बंदरगाह पर ठहर गया। गांधी जहाज में तो काला सूट पहनते थे, परन्तु उतरते समय उन्होंने सफेद फलालेन के वस्त्र पहन लिए। इस श्वेत पोशाक में केवल वे ही दिखलाई दे रहे थे जो असामयिक लगती थी। उनके पास डॉ. प्राण जीवन मेहता, दलपतराम, रणजीत सिंह और दादाभाई नौरोजी के नाम के परिचय पत्र थे। जहाज से उतरकर वे अपने सहयात्री मजूमदार के साथ विक्टोरिया होटल में ठहर गए। डॉ. मेहता को उनके आने की सूचना मिल गई थी। अतः वे होटल में आकर उनसे मिले और उन्हें अँग्रेजी शिष्टाचार की शिक्षा दी। उन्होंने समझाया, अँग्रेजों से धीरे–धीरे बातें करनी चाहिए। उन्हें भारत की प्रथा के अनुसार 'सर' नहीं कहना चाहिए क्योंकि इंग्लैण्ड में नौकर अपने मालिक को 'सर' कहता है।" उन्होंने गांधी को होटल त्याग, किसी परिवार के साथ रहने की सलाह दी क्योंकि होटल का खर्च बहुत भारी होता है।

डॉ. मेहता की सलाह से गांधी ने दो कमरे किराए पर ले लिए और उनमें रहने लगे रहने की समस्या तो हल हो गई, पर मन नहीं लग रहा था। दिन तो किसी प्रकार कट जाता, पर रात रोते–रोते बीतती। नींद नहीं आती थी। आती थी तो माँ की याद और घर की एक–एक बात। अपनी इस अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है– "मेरी गति साँप–छछूँदर जैसी हो गई थी। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं घर भी नहीं लौट सकता था। भगवान, तीन वर्ष कैसे बिताऊँगा इसी चिंता में डूबा रहता था।" अंत में मन को दृढ़ कर गांधी ने लंदन में रहने का निश्चय कर लिया।

डॉ. मेहता पुनः गांधी से मिलने आए और उन्हें अँग्रेजी शिष्टाचार और भाषा का ज्ञान कराने की दृष्टि से एंग्लो इंडियन परिवार के साथ रहने के लिए ले गए। इस परिवार में रहने पर भी उनकी भोजन की समस्या हल नहीं हुई। नमक, मिर्च, मसाले रहित सब्जी उनके गले से नीचे नहीं उतरती थी। घर की मालकिन सबेरे जलपान के लिए जई (जौ) का दलिया बनाती थी। उससे उनका पेट तो भर जाता था, पर तृप्ति नहीं होती थी। दोपहर और संध्या को मन का भोजन न मिलने से उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था। उनके भारतीय मित्र मांस, मदिरा और सिगरेट का निःसंकोच सेवन करते थे। वे गांधी को मदिरा, सिगरेट आदि के लिए आग्रह तो न करते पर मांस खाने का प्रायः रोज ही आग्रह करते, क्योंकि उनका विश्वास था कि शीत प्रधान देश में मनुष्य बिना मांसाहार के स्वस्थ नहीं रह सकता। गांधी के पास इन सब शुभचिंतकों को शांत करने के लिए एक ही उत्तर था– "माँ के सामने मांस न खाने की प्रतिज्ञा करके आया हूँ; उसे किसी भी दशा में नहीं तोड़ सकता।" मित्र हार मान जाते पर उनकी दृढ़ता की बराबर प्रशंसा करते रहते।

गांधी अनुकूल शाकाहारी भोजनालय की खोज में प्रयत्नशील रहते थे। एक दिन उन्हें

फैरिंग्टन स्ट्रीट के शाकाहारी भोजनालय का पता लगा। उन्हें अपनी रुचि का भोजन मिल गया। वहाँ उन्हें शाकाहार के पक्ष का समर्थन करने वाली पुस्तक भी मिल गई। अभी तक तो माँ को दिए गए वचन पालन की दृष्टि से मांसाहार से कतराते थे, पर अब तो शाकाहार के पक्ष में तर्कपूर्ण प्रमाण प्राप्त हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि मांस भोजन अप्राकृतिक, पाशविक और अनैतिक है। उन्होंने शाकाहार पर अँग्रेज लेखकों की कई पुस्तकें पढ़ीं, जिनसे शाकाहार के पक्ष में उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे आजीवन उसका प्रचार करते रहे ।

अनुकूल भोजन की समस्या तो हल हो गई। अब दूसरी समस्या थी अपने को इंग्लैण्ड की सभ्यता के अनुकूल ढालने की। धीरे–धीरे वे शिक्षित अँग्रेजों की भाँति अपना रहन–सहन बनाने लगे। सर्व प्रथम वेशभूषा में परिवर्तन ले आए। रेशमी टॉप हैट खरीदा, बढ़िया कोट सिलवाया, सोने की डबल वाच चेन ली, पेटेंट लेदर शू (अच्छे चमड़े के जूते) ले आए। मूँछ बढ़ा ली और सिर के बाल बाईं ओर सँवारने लगे। टाई बाँधने की कला भी सीख ली। भारत में हजामत बनाने के दिन ही आइने में मुख देखते थे, पर यहाँ तो टाई ठीक करने में रोज आइने का काम पड़ने लगा। अँग्रेजी फैशन में रँगने की धुन सवार होने के कारण वे रह–रहकर दर्पण में अपना मुख देखते, यह जानने के लिए कि बाल ठीक तरह से सँवरे हैं या नहीं, टाई की गाँठ ठीक लगी है या नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि पोशाक पहनने में ही गांधी का बहुत समय व्यतीत होने लगा। सभ्य समाज में जाने पर बालों में हाथ फेरकर उन्हें ठीक करना भी वे न भूलते थे।

अँग्रेज बनने के लिए आधुनिक वेशभूषा पर्याप्त न थी; अँग्रेजी समाज में नृत्य–संगीत का ज्ञान भी आवश्यक समझा जाता है। इसलिए उन्होंने नृत्य की शिक्षा लेने का प्रयत्न किया। परन्तु उसमें उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। संगीतज्ञ बनने के लिए वायलिन बजाना भी सीखा। इंग्लैण्ड के सभ्य समाज से संपर्क बढ़ाने के लिए फ्रेंच भाषा का ज्ञान आवश्यक था। गांधी ने इसे भी सीखने की कोशिश की।

गांधी अँग्रेजी बोलने का अभ्यास करते जाते थे, परन्तु धाराप्रवाह भाषण देने की क्षमता नहीं प्राप्त कर सके थे। इसकी शिक्षा लेने के लिए उन्होंने एक गुरु की शरण ली। उसे गिन्नी की दक्षिणा भी दी। उसकी सलाह से उन्होंने बेल द्वारा लिखित पुस्तक खरीदी।

गांधी के मन में पुनः संघर्ष हुआ। इस प्रसंग को उन्होंने विनोद की भाषा में लिखा है–"बेल साहब ने मेरे कान में बेल (घंटी) बजाई–अरे, अरे, तुझे इंग्लैड में क्या जिंदगी बितानी है? लच्छेदार भाषण देकर क्या करेगा, नाच–गाकर कैसे सभ्य बनेगा? तुझे विद्या–धन का संग्रह करना चाहिए।" बेल ने गांधी के कान खड़े कर दिए। उन्होंने कानून का ज्ञान प्राप्त करने में अपना मन लगाना प्रारंभ कर दिया।

बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैण्ड में 'ग्रे, लिंकन', 'मिडिल टेंपल' और 'इनर टेंपल' नाम की चार शालाएँ थीं। इनमें किसी एक में नाम लिखाना होता था। गांधी ने इनर टेंपल में प्रवेश लिया। प्रवेश लेने के उपरांत वे दो बैरिस्टरों के समर्थन पर इस 'सम्माननीय संस्था' के सदस्य बने।

एक बार उनके एक घनिष्ठ मित्र ने उन्हें इंग्लैण्ड की सभ्यता से परिचित कराने की दृष्टि से थिएटर में ले जाने का प्रस्ताव किया। दिन निश्चित हो गया। थिएटर में जाने से पूर्व एक शानदार होटल में वे भोजन करने गए । ज्यों ही भोजन परोसने वाला भोजन की प्लेट लेकर आया त्यों ही गांधी ने पूछा कि उनमें कोई पदार्थ मांस का तो नहीं है ? इस प्रश्न पर मित्र झल्ला उठा–"मोहन, यहाँ ऐसे सवाल नहीं चलेंगे। या तो चुपचाप जो सामने आए खाओ या बाहर चले जाओ।" गांधी चुपचाप बाहर चले गए। बाहर शीत बरस रही थी। बेचारा सिद्धांतवादी युवक काँपता, ठिठुरता, भूखा खड़ा रहा। मित्र

भोजन करके बाहर निकला और गांधी पूर्व निश्चय के अनुसार साथ थिएटर गए। दोनों पास–पास बैठे, पर दोनों एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोले। गांधी की सहनशीलता का यह एक उदाहरण है।

गांधी तड़क–भड़क की जिंदगी से विरक्त होने लगे, अपने खर्च में कटौती करने लगे। पाई–पाई का हिसाब रखने लगे। यही कारण है कि सार्वजनिक जीवन में प्रविष्ट होने पर उन्होंने अर्थव्यवस्था पर सदैव ध्यान रखा। खर्च कम करने की दृष्टि से अब उन्होंने एंग्लो इंडियन परिवार से बिदा ली और एक छोटा–सा कमरा किराये पर ले लिया। यह कमरा काम के स्थान से दूर न था। उन्होंने बस से आना–जाना त्यागकर पैदल चलने का अभ्यास बढ़ाया। इससे बस का किराया बचने लगा। हाथ से भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया, इससे होटल का खर्च बचने लगा। दस–पन्द्रह किलोमीटर पैदल चलने के कारण उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। सात्विक भोजन करने और संतुलित जीवन बिताने के कारण वे इंग्लैण्ड में कभी बीमार नहीं पड़े। खर्च में कमी करने का एक कारण यह भी था कि वे अपने बड़े भाई पर आर्थिक बोझ नहीं लादना चाहते थे। सादगी को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया।

प्राकृतिक चिकित्सा की ओर रुझान बढ़ने से उन्होंने अपने को अन्नाहार तक ही सीमित नहीं रखा; शाकाहारी संस्था के वे सदस्य बन चुके थे। उसके नियमों के अनुसार उन्होंने मिर्च–मसाले, मिठाई, चाय, कॉफी आदि का सेवन छोड़ दिया। उन्होंने यह अनुभव किया कि स्वाद जीभ से नहीं, मन से बनता है। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

भोजन का प्रश्न हल हो जाने पर गांधी ने अँग्रेजी में अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए मैट्रिक की परीक्षा लंदन विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने का निश्चय किया। उन्हें उसका पाठ्यक्रम काफी कठिन लगा। सबसे कठिन लेटिन भाषा लगी और उसमें पास होना अनिवार्य था। वे इसी में अनुत्तीर्ण हो गए। दूसरे वर्ष पुनः परीक्षा दी और सब विषयों में सफल हो गए। लेटिन भाषा के अध्ययन से अँग्रेजी भाषा पर उनका सरलता से अधिकार हो गया। बाद में गांधी की अँग्रेजी इतनी अधिक परिष्कृत हो गई कि अँग्रेजी के विशेषज्ञ भी उनकी सरलता और सुष्ठुता पर आज भी मुग्ध थे।

गांधी के सात्विक जीवन का प्रभाव अँग्रेजों पर पड़ने लगा। उनके एक अँग्रेज मित्र ने जब उनसे गीता पढ़ाने का आग्रह किया, तो वे बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने मैट्रिक तक संस्कृत पढ़ी तो थी, पर उससे इतना ज्ञान नहीं हो पाया था कि वे किसी को मूल के आधार पर गीता पढ़ा सकें। उन्होंने अनुवाद के सहारे अँग्रेज मित्र को गीता का ज्ञान करा दिया।

गीता तो उन्होंने अँग्रेज मित्र को पढ़ाई और बाईबिल उससे पढ़ी। ईसाई धर्म के प्रति श्रद्धा तो जमी, पर हिन्दू धर्म के प्रति अश्रद्धा पैदा नहीं हुई। गांधी का अध्ययनक्रम निरंतर चलता रहा। कठिन परिश्रम के बाद 10 जून 1891 को वे बैरिस्टर घोषित हो गए। यह उल्लेखनीय बात है कि विदेश में भी स्वदेश के उनके संस्कार पूर्ववत् बने रहे। इंग्लैण्ड छोड़ने के पूर्व गांधी अपने ज्ञान तथा चरित्र की उज्ज्वलता की छाप प्रबुद्ध अँग्रेज समाज पर छोड़ आए।

लौटते समय जहाज की यात्रा बड़ी सुखद रही। वे जब 'डेक' पर घूमते और समुद्री हवा का आनंद लेते, तब उनकी सारी चिंताएँ तिरोहित हो जातीं। परन्तु जब वे अपने केबिन में रहते तो उनके सामने निराशा का चित्र खिंचने लगता। वे आत्म निरीक्षण करते– "कानून की परीक्षा तो मैंने पास कर ली है, परन्तु क्या मैं सचमुच कानून जानता हूँ। भारतीय कानून का ज्ञान तो मुझे जरा भी नहीं है। फिर मेरी बैरिस्टरी कैसे चलेगी?" इस प्रकार अपने गुण–दोषों की ओर झाँकने का गांधी जी का स्वभाव आजीवन बना रहा।

जहाज मुम्बई (बम्बई) की ओर बढ़ रहा था; आकाश में बादल घुमड़ते–घिरते आ रहे

थे। जब जहाज बंदरगाह पर लगा, वर्षा हो रही थी। गांधी भीगते हुए उतरे और सामने खड़े बड़े भाई लक्ष्मीदास के चरणों में झुक गए। लक्ष्मीदास उन्हें इंग्लैण्ड से हाल ही में लौटे डॉ. मेहता के घर ले गए। पर मोहन अपनी माँ से मिलने और घर जाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। "माँ कितनी अधीरता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, पूछेगी मोन्या, तूने अपने वचनों का पालन किया है या नहीं। मैं कहूँगा, उन्हें पालने के कारण ही माँ मैं तेरे पास खुशी–खुशी आने की हिम्मत कर सका हूँ"– इन विचारों में डूबते–उतराते उन्होंने भाई से पूछा, "भाई, माँ कैसी हैं?" भाई चुप रह गए। उनकी आँखें भीग गईं। मोहन ने भाई की आँखों में पानी तो देखा, पर अपनी आँखें सूखी ही रखीं। गीता के परायण ने उन्हें स्थितप्रज्ञ होना सिखला दिया था। धीरे–धीरे भाई ने कहा–"तुम्हारी बैरिस्टरी पास होने का समाचार जब मिला, तब माँ मृत्युशैया पर थीं। सुनते ही उनकी आँखें चमक उठी थीं। पूछतीं थीं, ''मोन्या कब आएगा? अगर उसका मुख देख सकती तो शांति से बिदा हो जाती। ऐसा लगता है कि मोन्या मुझे नहीं मिलेगा, भगवान मुझे जल्दी बुला रहा है। जब आ जाए तो उसे नासिक ले जाना और शुद्धि–संस्कार के बाद राजकोट के जाति बंधुओं को भोज देना मत भूलना।''

पढ़ाई में विघ्न होने के भय से भाई ने माँ की मृत्यु का समाचार मोहन को नहीं भेजा था। मोहन को पिता की मृत्यु से भी अधिक दुख माँ की मृत्यु से हुआ।

शतावधानी रायचंद भाई

डॉ. मेहता ने अपने संबंधी रायचंद भाई से मोहनदास का परिचय कराया। रायचंद भाई जवाहरातों का व्यापार करते थे। बड़े चरित्रवान, धर्मनिष्ठ और गजब की स्मरण शक्ति रखते थे। वे एक समय में सौ प्रकार की बातें सुनकर दुहरा सकते थे। ऐसे व्यक्ति शतावधानी कहलाते हैं। वे किसी भी भाषा के गद्य–पद्य को सुनकर ज्यों–का–त्यों सुना सकते थे, साथ ही शतरंज भी ठीक तरह से खेलते जाते थे और लोगों से बातें करते जाते थे। उनकी बुद्धि इतनी जागृत रहती थी कि कहीं कोई गलती नहीं हो पाती थी। कौतूहलवश गांधी ने उनकी परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने अँग्रेजी के कई पारिभाषिक शब्द, मुहावरे और अन्य यूरोपीय भाषा के शब्द लिखकर सुनाए। सुनने के पश्चात् ही जिस क्रम में वे कहे गए थे, रायचंद भाई ने उसी क्रम से उन्हें दुहरा दिया। कहीं कोई भूल नहीं की। मुम्बई (बम्बई) के शिक्षित समाज के सामने वे अपनी शतावधानता के चमत्कार दिखा चुके थे। गांधी उनकी शतावधानता से कम, उनके पवित्र, धार्मिक आचरण से बहुत अधिक प्रभावित हुए। क्रोध तो उन्हें छू ही नहीं गया था। असत्य बोलना जानते ही न थे। सदा शांत मुद्रा में रहते, मानों जीवन मुक्त हों। गांधी उनकी आदर्शवादिता से बहुत अधिक प्रभावित हुए। जब कभी उनका मन आदर्श से डगमगाने लगता, तभी रायचंद भाई की प्रशांत मूर्ति उनकी आँखों के सामने झूलने लगती और वे सँभल जाते, दृढ़ हो जाते।

अभ्यास

1. जहाज में यात्रा करते समय गांधी को रात्रि का समय क्यों अच्छा लगता था ?
2. किन–किन प्रमुख बंदरगाहों से होता हुआ जहाज मुम्बई (बम्बई) से लंदन पहुँचा ?
3. लंदन में गांधी ने माँ को दिए वचनों का पालन कैसे किया ?
4. अँग्रेजी सभ्यता में अपने को ढालने के पश्चात् किस घटना ने गांधी की भावना बदल दी ?
5. शतावधानी व्यक्ति कौन कहलाते हैं ?
6. गांधी रायचंद भाई के किन गुणों से प्रभावित हुए ?
7. 'गांधी की लंदनयात्रा' शीर्षक झलक से उनके जिन गुणों का परिचय आपको मिला हो, उन्हें लिखिए।

XUA91Y

तीसरी झलक

बैरिस्टर गांधी

राजकोट में मित्रों की सलाह से गांधी जी मुंबई गए और किराए से एक मकान लेकर वकालत करने लगे। कई दिनों तक बिना मुकदमे के रहे, क्योंकि वे भारतीय कानून से भली–भाँति परिचित न थे। एक बार किसी ने एक गरीब स्त्री मणिबाई, का मुकदमा उन्हें दे दिया। उन्होंने खूब मन लगाकर उसका अध्ययन किया; कानूनी किताबें पढ़ीं; परन्तु जब अदालत के सामने खड़े हुए तो काँपने लगे। मुँह से शब्द नहीं निकलते थे, जीभ लड़खड़ा रही थी। घबराकर कचहरी से बाहर निकल आए और जो फीस उन्हें मिली थी, उसे लौटाते हुए बोले, "मणिबाई, अब तुम दूसरा वकील कर लो।"

गांधी जी चार–छह महीने मुंबई में अपना दफ्तर खोले बैठे रहे। खर्च बहुत होता था और आमदनी बिल्कुल नहीं होती थी। मुंबई नगरी पैसेवालों को बुलाती है, हँसाती है, बिना पैसेवालों को भगाती है, रुलाती है। गांधी जी की गणना दूसरी कोटि के व्यक्तियों में थी। वे मुंबई छोड़कर अपने स्थान राजकोट लौट गए और वहीं अपनी तकदीर आजमाने लगे। वहाँ थोड़ी–बहुत वकालत चलने लगी। वे अर्जीदावा लिखने का काम ही अधिक करते थे; क्योंकि इसमें बोलने और बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अर्जीदावा लिखने का काम भी उन्हें अपने भाई और संबंधियों के प्रयत्नों से ही प्राप्त होता था। रियासत और धनी व्यक्तियों के मुकदमे अनुभवी बैरिस्टरों को ही मिलते और गरीबों के छोटे मामूली मामले गांधी जी को मिलते थे।

राजकोट की एक घटना ने गांधी जी के विचारों में एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी। घटना इस प्रकार है– गांधी जी के भाई लक्ष्मीदास पोरबंदर दरबार के सेक्रेटरी और परामर्शदाता थे। उन पर गलत परामर्श देने का आरोप लगाया गया था। लक्ष्मीदास ने अपने भाई से एजेण्ट को समझा देने के लिए कहा। मोहनदास एजेण्ट को जानते थे और यह भी जानते थे कि वह अशिष्ट और दुराग्रही है और भाई लक्ष्मीदास के संबंध में अच्छी धारणा नहीं रखता। फिर भी बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना उन्होंने जरूरी समझा और वे समय निर्धारित कर अँग्रेज पॉलिटिकल एजेण्ट से मिले। परन्तु उसके व्यवहार

में बड़ी रुखाई थी। कहने लगा, ''तुम्हारा भाई षड़यंत्र करने में माहिर है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। यदि तुम्हारे भाई को कुछ कहना है तो वह स्वयं आवेदन पत्र भेजे।'' इतना कहकर जब वह अपनी कुर्सी से उठने लगा तो गांधी जी ने उससे पुनः प्रार्थना की कि जरा आप मेरी बात सुन लीजिए। गोरा साहब एकदम आगबबूला हो उठा और दरवाजे की तरफ देखकर गरजा, 'कोई है।'

'हुजूर' कहते और हाथ जोड़ते हुए चपरासी अंदर आ गया। गांधी जी की तरफ इशारा करते हुए एजेण्ट ने कहा, 'इन साहब को फौरन बाहर ले जाओ' और भीतर चला गया। गांधी जी अपमान का घूँट पीकर घर लौट आए। क्रोध में भरकर उन्होंने एजेण्ट के नाम एक चिट्ठी लिखी कि आपने चपरासी के जरिए मेरा जो अपमान किया है उसके लिए आप क्षमा माँगें अन्यथा मुझे अदालत की शरण लेनी पड़ेगी। उत्तर में गोरे ने गांधी जी पर असभ्य व्यवहार का आरोप लगाया। गांधी जी शांत नहीं रहे। उन्होंने सर फीरोजशाह मेहता से परामर्श किया। मेहता बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अँग्रेजों के कृपापात्र थे और अँग्रेजी शासन के रवैये को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने गांधी जी को एजेण्ट से झगड़ा मोल लेने की सलाह नहीं दी। गांधी जी को सर फीरोजशाह की सलाह विषतुल्य लगी; पर वे इस अपमान को जीवन भर नहीं भूले।

पॉलिटिकल एजेण्ट से झगड़ा हो जाने के कारण गांधी जी की वकालत में भी बाधा पड़ने लगी। इसी बीच सन् 1893 में एक दिन गांधी जी के बड़े भाई लक्ष्मीदास को दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक पत्र मिला, जिसमें बैरिस्टर गांधी को फर्म के एक मामले में पैरवी करने के लिए अफ्रीका भेजने का प्रस्ताव था। फर्म का कारोबार अफ्रीका में भी चलता था। वादी फर्म ने प्रतिवादी फर्म पर 40 हजार पौण्ड का दावा किया था। दावे के संबंध में बैरिस्टर गांधी को सलाह देने पर और पैरवी करने के लिए अफ्रीका आमंत्रित किया गया था। वहाँ एक वर्ष के भीतर उन्हें अपना कार्य समाप्त करना था। उनकी फीस 105 पौण्ड तय कर दी गई थी।

अभ्यास

1. गांधी जी ने मणिबाई की फीस क्यों वापस कर दी ?
2. पॉलिटिकल एजेण्ट के व्यवहार के प्रति गांधी जी ने क्या प्रतिक्रिया प्रकट की ?
3. अब्दुल्ला एंड कंपनी ने गांधी जी को अफ्रीका क्यों बुलाया ?

चौथी झलक

अफ्रीका में कुली बैरिस्टर गांधी

XUF35F

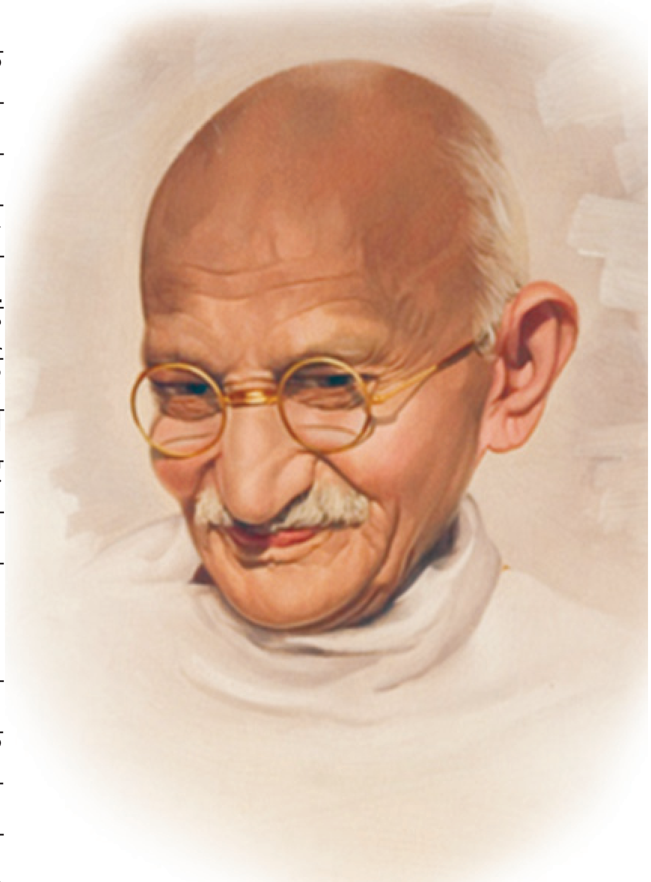

गांधी जी अब्दुल्ला सेठ के दीवानी के मुकदमे में पैरवी करने के लिए मुम्बई से डरबन रवाना हो गए। जहाज में भीड़ होने के कारण उसके कप्तान ने उन्हें अपने केबिन में स्थान दे दिया। वह उनका मित्र बन गया और रोज उनके साथ शतरंज खेलने लगा। उसने उन्हें शतरंज का अच्छा खिलाड़ी बना दिया। मई 1893 को नेटाल के बंदरगाह डरबन पर जहाज ने लंगर डाल दिया । जहाज से उतरने पर चारों ओर के वातावरण से गांधी जी को यूरोपीय और भारतीयों के बीच भेदभाव का आभास हो गया।

दक्षिण अफ्रीका में भारत के मुसलमान व्यापारियों की संख्या सबसे अधिक थी। उसके अनुपात में हिन्दू, पारसी और ईसाइयों की संख्या कम थी। यूरोपीय गोरे भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। उन्हें 'काला कुली' (तिरस्कार सूचक) नाम से पुकारते थे। अदालती कागजों में भी भारतीयों के लिए कुली विशेषण जुड़ने लगा था। अपमान से बचने के लिए भारतीय मुसलमान अपने को अरब, पारसी एवं ईरानी कहने लगे थे।

भारतीयों के दक्षिण अफ्रीका में पहुँचने का भी इतिहास है। जब गोरे दक्षिण अफ्रीका में बस गए, तब उन्हें वहाँ के खनिज पदार्थों को निकालने और कृषि कार्य के लिए मज़दूरों की आवश्यकता पड़ी । वहाँ रहने वाले अफ्रीकी (जुलू) इस कार्य के लिए योग्य नहीं पाए गए। वे स्वभाव से सुस्त थे, मजदूरी नहीं करना चाहते थे। अँग्रेजों का ध्यान भारतीयों की ओर गया। उन्हें विश्वास था कि गरीब भारतीय मजदूर आसानी से राजी हो जाएँगे। अतः ब्रिटिश उपनिवेशों ने भारत सरकार से मज़दूर भेजने की प्रार्थना की। उन्होंने यह शर्त रखी कि मज़दूर पाँच वर्ष के शर्तनामे पर अफ्रीका आएँ और अवधि पूरी हो जाने पर चाहें तो भारत लौट जाएँ अथवा दक्षिण अफ्रीका में रहकर पाँच वर्ष के लिए पुनः प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएँ। लौटने के लिए वापसी किराया देने की भी शर्त थी। जो भारतीय बसना चाहें उन्हें किराए के मूल्य की जमीन देकर बसने की भी छूट थी। इस शर्तनामे

के अनुसार जो भारतीय कुली दक्षिण अफ्रीका गए वे गिरमिटिया कहलाए। उनकी पहली टोली सन् 1860 में दक्षिण अफ्रीका पहुँची। धीरे–धीरे भारतीय व्यापारी भी अफ्रीका पहुँचने लगे । भारत सरकार ने गिरमिटियों के साथ भेदभाव न बरतने और उन्हें स्थानीय कानून के अंतर्गत बराबरी का दर्जा दिए जाने की शर्त रखी थी। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने सन् 1858 में यह घोषणा जारी की थी कि हमारे भारतीय साम्राज्य के नागरिकों को वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो हमारे अन्य सब प्रजाजन को प्राप्त हैं। भारतीय, नेटाल में ही नहीं, आरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल और केप प्रांत में भी गए और व्यापार करने लगे।

दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय अपने परिश्रम से अनाज, फल, सब्जी आदि की अच्छी खेती करते और उन्हें सस्ते दामों में बेचते थे। इससे इन्हें लाभ होता था। गोरे व्यापारियों को उनसे ईर्ष्या होती थी। अतः उन्होंने अपनी सरकार से भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया।

गांधी जी को भारतीयों के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करना पड़ा। आए तो थे एक वर्ष में सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे को निपटाने के लिए, पर उन्हें वहाँ समस्त भारतीयों को उनके नागरिक अधिकार दिलाने के लिए 21 वर्ष से अधिक समय तक रुकना पड़ा। उन्होंने सन् 1914 में अफ्रीका से अंतिम विदाई ली थी। अफ्रीका पहुँचने पर गांधीजी को जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा उन्हें जान लेने के पश्चात् अब हम उन पर बीती घटनाओं और उनके कार्यों से परिचय प्राप्त करेंगे।

अभ्यास

1. यूरोपीय गोरे भारतीयों को 'काला कुली' कहकर क्यों पुकारते थे ?
2. गोरों ने भारत सरकार से अफ्रीका में मज़दूर भेजने की प्रार्थना क्यों की थी ?
3. गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी ?
4. गांधी जी को 'कुली बैरिस्टर गांधी' क्यों कहा गया है ?

पाँचवीं झलक

अफ्रीका में गांधी जी के संघर्षमय कार्य

जहाज से उतरने पर गांधी जी का अब्दुल्ला सेठ ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। गांधी जी ने ज्यों ही अपने भाई की चिट्ठी सेठ के हाथों में दी, सेठ उसे पढ़कर असमंजस में पड़ गए। उन्हें बैरिस्टर गांधी को पौने दो हजार फीस के अलावा आने–जाने का जहाज किराया भी देना था। उनके रहने–खाने आदि का प्रबंध भी उन्हें ही करना था। गांधी जी का साहबी ठाठ देखकर सेठ को लगा कि भाई ने तो मेरे यहाँ सफेद हाथी बँधवा दिया है। उस समय उनके पास कोई काम नहीं था। उनका दीवानी मुकदमा ट्रांसवाल में चल रहा था।जिस पर उन्होंने मुकदमा चला रखा था, वह ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया में रहता था। वे बैरिस्टर को वहाँ अकेला भेजने में झिझक रहे थे। मन में शक था कि कहीं यह बैरिस्टर विपक्षी से मिलकर मामला चौपट न कर दे।

अनेक प्रकार की शंकाओं से सेठ का मन आगे–पीछे हो रहा था। सेठ के पास उस समय गांधी जी के लिए दो ही काम थे–एक मुकदमे का और दूसरे क्लर्की का। सेठ बहुत कम पढ़े–लिखे थे, परन्तु व्यवहार–ज्ञान में कम नहीं थे। कामचलाऊ अँग्रेजी जानकर अँग्रेज व्यापारियों से लेन–देन का काम चला लेते थे। उनका व्यापार बहुत फैला हुआ था। उनके अपने जहाज भी चलते थे। भारतीय उनका बड़ा सम्मान करते थे।

'पगड़ी उतारो'

सेठ अब्दुल्ला अपने बैरिस्टर को कचहरी दिखाने ले गए । वहाँ उन्होंने वकीलों से परिचय कराया और फिर एक मजिस्ट्रेट की अदालत में ले गए। मजिस्ट्रेट बड़ी देर तक उन्हें घूरता रहा; फिर बोला, "तुम अपनी पगड़ी उतारो।" गांधी जी उस समय बंगाली पगड़ी पहने हुए थे। उन्होंने मजिस्ट्रेट की आज्ञा मानने से इंकार कर दिया। वे अदालत के बाहर निकल आए। गांधी जी का अँग्रेजों से यह पहला मोर्चा था। बाहर निकलकर उन्होंने सोचा कि पगड़ी के स्थान पर टोप क्यों न लगाया जाए। पर सेठ को उनका यह विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, "बैरिस्टर साहब, यदि आप इस समय ऐसा करेंगे तो उसका प्रभाव उल्टा होगा। भारतीयों पर और कड़े अपमानजनक बंधन लगाने का इन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। एक बात और है, टोप लगाने पर गोरे आपको वेटर कहने लगेंगे। गांधी जी को सेठ की सलाह अच्छी लगी। उन्होंने पगड़ी कांड को अखबारों में छपवाया जिससे तीन–चार दिनों में ही दक्षिण अफ्रीका में उनकी प्रसिद्धि हो गई ।

सेठ के प्रतिवादी और अटार्नी (वकील) प्रीटोरिया में रहते थे। बैरिस्टर गांधी को वहाँ जाकर मामले को स्वयं समझना था और अटार्नी को समझाना था। सेठ ने उन्हें पहले दर्जे का टिकट कटाकर रेल के पहले दर्जे के डिब्बे में बैठा दिया। गाड़ी जब रात के लगभग 9 बजे नैटाल की राजधानी मेरिप्सबर्ग पहुँची तो उस डब्बे में एक अँग्रेज घुसा और एक काले आदमी को देखकर पहले तो चौंका, फिर रेल अधिकारी को ले आया और अपमान भरी आवाज़ में बोला– "उतर, दूसरे डिब्बे में जा" गांधी जी ने कहा– "मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है। मैं दूसरे डिब्बे में नहीं जा सकता।" गोरे ने ज़िद

की और अशिष्टता से बोला–''नहीं उतरेगा तो तुझे जबरदस्ती उतारा जाएगा।'' गांधी जी नहीं उतरे और सचमुच उन्हें जबरदस्ती उतार दिया गया और उनका सामान प्लेटफार्म पर फेंक दिया गया। गांधी जी रेल्वे कर्मचारी से बहस करते ही रहे और गाड़ी प्लेटफार्म छोड़कर आगे बढ़ गई। रात बीतती जा रही थी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। गांधी जी ठिठुरते–काँपते वेटिंगरूम में बैठे रात–भर सोचते रहे–"क्या मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या चुपचाप स्वदेश लौट जाना चाहिए? परन्तु मुकदमे को अधूरा छोड़कर भागना भी तो कायरता होगी। मुझ पर आज जो बीती है, वह एक महारोग का लक्षण है। यहाँ भारतीय इसी तरह अपमानों को सहते आ रहे हैं। कुछ भी हो, मैं प्रत्येक स्थिति का सामना करूँगा, राग–द्वेष से दूर रहकर अन्याय का विरोध करूँगा।" यह अंतरात्मा की आवाज़ थी, जिसने उनके भावी कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित कर दी।

सबेरे गांधी जी ने सेठ अब्दुल्ला को तार भेजकर रातवाली घटना की सूचना दी, जिससे सेठ ने तुरंत स्टेशन मास्टर को उन्हें रेल यात्रा की सुविधा देने के लिए तार दिया और बीच के स्टेशनों पर अपने लोगों को गांधी जी से मिलने के लिए तार द्वारा सूचना दी। गांधी जी पुनः गाड़ी में बैठे। गाड़ी उन्हें चार्ल्स टाउन ले गई। चार्ल्स टाउन से प्रीटोरिया तक रेल नहीं थी। इसीलिए कोच में यात्रा करनी पड़ी थी। वहाँ से उन्हें कोच सिकरम (घोड़ागाड़ी) में यात्रा करनी थी। कोच के एजेण्ट ने गांधी जी के टिकट को स्वीकार नहीं किया । यद्यपि गांधी जी बैरिस्टर थे, पर थे तो भारतीय और गोरे लोग भारतीयों को कुली ही समझते थे। गांधी जी के बहुत कुछ झगड़ने पर एजेण्ट ने उन्हें कोच बाक्स पर बैठने की अनुमति दे दी। गांधी जी कोच के भीतर बैठना चाहते थे, पर एजेण्ट जब उन्हें कोच में ले जाने के लिए राजी ही नहीं था, तब अर्द्धं त्यजेत् सःपंडितः (अर्द्ध तजहिं बुध सर्वस जाता) की नीति को स्वीकार कर बाहर कोच बॉक्स पर बैठ गए क्योंकि उन्हें प्रीटोरिया शीघ्रातिशीघ्र पहुँचना था। जब कोच अगले मुकाम पर पहुँची, तो जिस गोरे ने उन्हें कोच–बॉक्स पर बैठने की अनुमति दी थी, उसी ने उन्हें पुनः उठाने की कोशिश की–"अब तुम नीचे बैठो, मैं ड्रायवर के पास बैठूँगा।"

"अरे, तुम्हीं ने तो मुझे बॉक्स पर बैठाया था, अब तुम मुझे अपने पैरों के नीचे बैठाना चाहते हो, मैं हरगिज नहीं बैठूँगा। अब मैं कोच के भीतर बैठूँगा।'' गोरा गांधी जी के दृढ़तापूर्ण उत्तर से चिढ़ गया। उसने उनके सिर पर चोट की और वह जबरन उन्हें बॉक्स से नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। गांधी जी कोच बॉक्स की लोहे की छड़ को मज़बूती से पकड़े रहे और मार खाते रहे। यह अमानवीय दृश्य देखकर कुछ अँग्रेज यात्रियों की मानवता जागी और उन्होंने उन्हें कोच के भीतर बैठाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वे जोहेंसबर्ग पहुँचे। प्रीटोरिया पहुँचने के पूर्व उन्हें इस नगर में ठहरना पड़ा क्योंकि जिस व्यक्ति से उन्हें यहाँ मिलना था, वह नहीं पहुँच पाया था। वे वहाँ एक बड़े होटल में पहुँचे और ठहरने के लिए कमरा माँगा। मैनेजर ने जगह न होने की बात कहकर उन्हें टाल दिया। तब वे एक भारतीय की दुकान पर गए। जब उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई, तो उसने कहा, "भाई, ऐसी घटनाएँ तो हम लोगों के साथ प्रायः घटती ही रहतीं हैं। होटल में कमरे नहीं मिलते; हम गोरों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते; पहले–दूसरे दर्जे में हम रेल यात्रा नहीं कर सकते; बसों में इज्जत से नहीं बैठ सकते; क्या कहें हजारों मुसीबतें हैं।"

गांधी जी को रेल यात्रा पर प्रीटोरिया जाना था और वे पहले दर्जे में ही यात्रा करना चाहते थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर को एक चिट्ठी लिखी कि मैं बैरिस्टर हूँ, हमेशा फर्स्ट क्लास में यात्रा करता हूँ । मुझे जल्दी फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए। चिट्ठी भेजने के बाद वे पाश्चात्य वेशभूषा में गए। स्टेशन मास्टर ने उन्हें फर्स्ट क्लास की टिकट दे तो दी, पर यह प्रार्थना भी की कि यदि मार्ग में कोई फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उतार दे, तो आप रेल्वे के विरुद्ध कानूनी

कार्यवाही न करें। गांधी जी ने उसकी बात मान ली।

गांधी जी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे ही थे कि गार्ड टिकट चेक करने के लिए पहुँचा और उनसे थर्ड क्लास में जाने के लिए आग्रह करने लगा। सौभाग्य से एक अँग्रेज यात्री ने उन्हें अपने साथ यात्रा करने देने में अपनी सहमति प्रकट की। गार्ड झल्लाकर बड़बड़ाया– "अगर तुम गोरे लोग काले कुली के साथ बैठना पसंद करते हो तो मुझे क्या करना है, भाड़ में जाओ तुम सब।"

गांधी जी की वह रात्रि यात्रा शांतिपूर्ण निपट गई। प्रातः प्रीटोरिया स्टेशन पर गाड़ी पहुँची, तो उन्हें लेने कोई नहीं आया । उनका किसी होटल में जाने का साहस नहीं हुआ। उन्हें सोच विचार में देखकर एक अमरीकी नीग्रो उनकी सहायता के लिए तैयार हो गया। वह उन्हें एक अमरीकी होटल में ले गया। मैनेजर ने उन्हें इस शर्त पर ठहराना स्वीकार किया कि वे अपने कमरे में ही भोजन करें, भोजन करने के बड़े कमरे में नहीं। मैनेजर भला आदमी था, गांधी जी से बोला, "मुझे आपको डायनिंग हॉल (भोजन के कमरे) में बैठाने में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मेरे गोरे ग्राहक काले आदमियों के साथ खाने में आपत्ति उठाते हैं।" फिर भी मैनेजर ने एक बार अपने गोरे ग्राहकों से पूछा कि भारतीय बैरिस्टर हैं। आप लोगों के साथ भोजन कक्ष (डायनिंग हॉल) में बैठकर भोजन करना चाहते हैं। जब गोरों ने आपत्ति नहीं उठाई, तो गांधी जी ने उनके साथ बैठकर भोजन करना प्रारंभ कर दिया।

दूसरे दिन गांधी जी सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे के काम में लग गए। मामला पेचीदा था। हिसाब–किताब की बड़ी उलझनें थीं। गांधी जी को स्वयं अध्ययन कर अटार्नी को उसकी पेचीदगियाँ समझानी थीं। मामले को ठीक समझने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि यदि वादी–प्रतिवादी में समझौता न हुआ, तो दोनों अदालत के खर्च में पिस जाएँगे। जीतने वाला भी आर्थिक दृष्टि से हार में रहेगा। उन्होंने सेठ अब्दुल्ला को पंच फैसले पर राजी कर लिया। इस तरह वादी–प्रतिवादी में आपस में समझौता कराने में गांधी जी सफल हुए। गांधी जी को अपनी सफलता पर बेहद खुशी हुई। उन्हें वकालत करने का सच्चा गुर मिल गया। उन्होंने आत्मकथा में लिखा है, "इस मामले में मैंने मानव स्वभाव के अच्छे पक्ष को पहचानना जान लिया और मनुष्य के हृदय को जीतने की कला सीख ली।" गाांधी जी ने लगभग बीस वर्ष तक वकालत की। उन्होंने कई मामलों में वादी–प्रतिवादियों को कचहरी में न ले जाकर आपस में समझौता कराकर संतुष्ट किया। वे समझौते के मार्ग से मुकदमा निपटाने को अपनी जीत माना करते थे। झूठे मुकदमे की वे कभी पैरवी ही नहीं करते थे। अदालत के सामने जाने पर भी यदि उन्हें अपने मुवक्किल का पक्ष असत्य जान पड़ता, तो वे जज के सामने उसे प्रकट कर देते। इससे अच्छा प्रभाव पड़ता। झूठा मुकदमा लेकर कोई मुवक्किल उनके पास आने का साहस नहीं करता था।

प्रीटोरिया में सेठ अब्दुल्ला के मामले में समझौते कराकर गांधीजी डर्बन लौट गए और भारत लौटने की तैयारी करने लगे। जब सेठ उन्हें विदाई भोज दे रहे थे, उसी समय उनके हाथ में किसी ने 'नैटाल मर्करी' नाम का अखबार दे दिया। उसमें नैटाल विधान सभा की रिपोर्ट छपी थी; जिसमें भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने वाला विधेयक विधान सभा के अगले सत्र में उपस्थित करने की बात थी। पढ़ते ही उन्होंने भारत जाने का विचार स्थगित कर दिया और विधान सभा में पेश करने के लिए एक दरख़्वास्त तैयार की। साथ ही सरकार से विधान सभा की कार्यवाही स्थगित करने की अपील भी की। गांधी जी ने सेठ अब्दुल्ला के सभापतित्व में विरोध कमेटी कायम की। कमेटी के सभापति की हैसियत से सेठ ने विरोध का तार भेजा। सन् 1894 में भारतीयों की ओर से इस प्रकार के प्रार्थना–पत्र और तार भेजने का यह प्रथम अवसर था। परिणाम यह हुआ कि विधान सभा कार्यवाही दो दिन के लिए स्थगित

कर दी गई। पर दो दिन के पश्चात् वाली बैठक में यह बिल पास हो गया। गांधी जी ने उस समय के राष्ट्रीय विचारों के नेता दादाभाई नौरोजी को, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं से परिचित कराया। उन्होंने बड़ी नम्रता से उन्हें पत्र लिखा– "मैं अनुभवहीन नवयुवक हूँ, मुझसे भूल हो सकती है। जो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पर उठाई है, वह भारी है। आप मुझे समय–समय पर परामर्श देते रहें।"

भारतीयों को अभी तक किसी आंदोलन का अनुभव नहीं था। गांधी जी की प्रेरणा से उन्हें अपने अधिकारों को समझने की उत्सुकता पैदा हुई। नया उत्साह भर गया, नई उमंग दौड़ गई। सभाएँ होने लगीं। चंदा एकत्रित होने लगा। पुराने बसे हुए भारतीयों ने बड़े उत्साह से काम करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश उपनिवेश मंत्री लार्ड रिपन के पास नैटाल विधान सभा में पास हुए बिल के विरुद्ध दस हजार भारतीयों के हस्ताक्षरों सहित दरख़्वास्त भेजी गई।

गांधी जी ने जब पुनः भारत लौटने की इच्छा प्रकट की, तो भारतीयों ने बड़ी मनुहार कर उन्हें जाने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए एक स्थायी संगठन बनाया और उसका नाम 'नैटाल इंडियन कॉँग्रेस' रखा। इसकी स्थापना 22 अगस्त, 1894 के दिन हुई।

सेठ अब्दुल्ला कॉँग्रेस के अध्यक्ष और बैरिस्टर गांधी उनके मंत्री चुने गए। एक ही महीने में लगभग दो सौ सदस्य बना लिए गए, जिनमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई सभी शामिल थे। समान संकट के समय जाति विरोध भूलकर सभी एक हो गए थे।

लार्ड रिपन को जो प्रार्थना पत्र भेजा गया था, उसका असर हुआ। उन्होंने नैटाल विधान सभा का, भारतीयों को मतदान से वंचित करने वाला कानून, अमान्य कर दिया। इससे भारतीयों में हर्ष की लहर फैल गई।

अब गांधी जी ने भारतीय समाज की भीतरी समस्याओं पर ध्यान दिया। गोरों का यह आक्षेप बहुत अंशों में ठीक था कि भारतीय सफाई से नहीं रहते। अतः गांधी जी ने सबसे पहले भारतीयों को घरों की सफाई और व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के नियम पालने का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। समय–समय पर भाषणों के आयोजन होने लगे। उनमें गांधी जी अपने विचारों को प्रकट करने लगे। उन्होंने भारतीयों को अपनी सामाजिक स्थिति के अनुरूप अच्छे ढंग से रहना सिखलाया। नैटाल में गुजराती जानने वाले भारतीयों की संख्या अधिक थी, इसलिए सभाओं की कार्यवाही गुजराती में रखी जाती थी। लोकमत तैयार करने के लिए उन्होंने "नैटाल भारतीय शिक्षण संघ" की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से पुराने भारतीयों के बच्चों को शिक्षित कर वे उनमें मातृभूमि का प्रेम जागृत करना चाहते थे। संस्था के सदस्य नियमित रूप से एकत्र होते, भाषण देते या लेख पढ़कर अपने विचार व्यक्त किया करते थे। नैटाल कॉँग्रेस दक्षिण अफ्रीका की ब्रिटिश जनता और भारतीय जनता को प्रवासी भारतीयों की स्थिति से परिचित कराना चाहती थी। गांधी जी जो भी लिखते, उसमें सच्चाई होती। वे बढ़ा चढ़ाकर कोई बात न लिखते, न बोलते थे। ट्रांसवाल और केपटाउन में भी नैटाल कॉँग्रेस के समान संस्थाएँ थीं। यद्यपि उनके संविधान भिन्न थे, पर उद्देश्य एक ही थे।

गांधी जी ने भारतीय कुलियों की जो दशा देखी, वह बड़ी करुण थी। एक दिन उनके दफ्तर में बाल सुंदरम नामक एक तमिल कुली फटे चिथड़ों में उनके पास आया। उसके सामने के दो दाँत टूटे हुए थे और मुँह से खून बह रहा था। वह हाथ में पगड़ी रखे हुए था, क्योंकि गोरे, काले कुली के सिर पर पगड़ी देखकर सहन नहीं करते थे। यह दृश्य देखकर गांधी जी का हृदय दहल उठा। उन्होंने उसे पगड़ी पहनना, साफ–सफाई के साथ इज्ज़त से रहना सिखलाया। बाल सुंदरम् एक अँग्रेज के घर काम करता था। उसने उसे इतनी बुरी तरह

पीटा था कि उसके दाँत उखड़ गए थे और मुँह से खून बह रहा था। वह गांधी जी को अपना दुखड़ा सुनाने आया था। भारतीयों को उनके मालिक गुलाम समझते थे और उनसे सुंदरम् के समान निर्दय व्यवहार करते थे।

सन् 1894 में नैटाल सरकार ने प्रवासी भारतीयों पर पच्चीस पौंड वार्षिक कर लगाना चाहा, क्योंकि वे अपने परिश्रम से गोरों की अपेक्षा अधिक कमाने लगे थे। दक्षिण अफ्रीका में उनका भविष्य में प्रवेश न हो, इस दृष्टि से वे उन पर तरह–तरह के सख्त प्रतिबंध लगाना चाहते थे। कई भारतीय, जो कुली बनकर आए थे, धीरे–धीरे मकान और जमीन के मालिक बनने लगे। गोरे उन्हें समान अधिकार नहीं देना चाहते थे। प्रवासी भारतीयों पर वार्षिक कर लगाने के पहले नैटाल सरकार को भारत सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था। नैटाल सरकार के बहुत जोर देने पर भारत सरकार ने कर तो रहने दिया पर पच्चीस पौंड के स्थान पर केवल तीन पौंड कर लगाने की अनुमति दे दी। इस कर के बुरे परिणाम की ओर भारतीय नेताओं का भी ध्यान गया। भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि इससे संयुक्त परिवार बिगड़ जाएगा, पुरुष अपराध करने लगेंगे। गांधी जी को इन करों को रद्द कराने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा।

गांधी जी जब नैटाल में बस गए, तब भी प्रीटोरिया के ईसाई मित्र उन्हें नही भूले। डर्बन में ईसाई मिशन के प्रमुख पादरी उनके घनिष्ठ मित्र बन गए। उनके साथ उन्होंने ईसाई–धर्म ग्रंथों का, विशेषकर बाइबिल का, अध्ययन किया, साथ ही हिन्दू धर्म शास्त्र भी पढ़े। मैक्समूलर के ग्रंथ, उपनिषद्, मोहम्मद साहब की जीवनी और पारसियों के ग्रंथ भी पढ़े। कुछ समय तक योगाभ्यास भी किया। टॉल्सटाय के ग्रंथों का भी उनके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उनके दक्षिण अफ्रीका के कार्यों का भारत में अच्छा प्रचार हुआ। प्रवासी भारतीयों की दशा का ज्ञान भारतीयों को होने लगा।

भारत–प्रस्थान

25 वर्ष के तरुण गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों पर ढाए जाने वाले जुल्मों के विरुद्ध आंदोलन का श्रीगणेश कर गोरों के हृदय दहला दिए। कुली बैरिस्टर अब उन्हें फूटी आँखों नहीं सुहाता था। वे सेठ अब्दुल्ला के दीवानी मुकदमे की पैरवी करने एक वर्ष के लिए आए थे। उन्होंने दोनों पक्षों में समझौता कराकर उसे अवधि के पूर्व ही निपटा दिया था। उसके बाद उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का काम हाथ में लिया। यद्यपि आंदोलन समाप्त करने का समय नहीं आया था, फिर भी उन्हें देश और घर की जिम्मेदारी भी अनुभव हो रही थी। तीन वर्ष हो चुके थे । सच्चाई के कारण उनकी वकालत चमकने लगी थी। उन्होंने अफ्रीका में ही बसकर वकालत करने का इरादा किया था। साथ ही भारतीयों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समय–समय पर आंदोलन करना भी उनका उद्देश्य था जिसका श्रीगणेश वे कर चुके थे। स्वदेश वे अपनी पत्नी और बच्चों को लाने के लिए जाना चाहते थे।

सन् 1896 में उन्होंने जहाज से कोलकाता (कलकत्ता) की ओर प्रस्थान किया। लम्बी यात्रा थी, समय काटना था। इसलिए उसका सदुपयोग करने की दृष्टि से उन्होंने तमिल और उर्दू सीखी। दिल बहलाने के लिए कभी–कभी वे शतरंज भी खेलते रहते। जब जहाज हुगली पहुँचा तब मातृभूमि के दर्शन कर गांधी जी का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। भारत माँ की मूर्ति कल्पना में झूलने लगी। हृदय 'वन्दे मातरम्' बोल उठा। सचमुच उस समय वे बहुत भावुक हो उठे । उनके मुख से निकल पड़ा, ' के बोले माँ तुमी अबले।'

कोलकाता (कलकत्ता) में गांधी जी का किसी से परिचय नहीं था, फिर भी देशी व अँग्रेजी भाषा के पत्रकारों से वे मिलने गए । उन्हें 'स्टेट्समैन', 'द इंग्लिश मैन' के संपादकों ने बड़ा प्रोत्साहन दिया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों पर होने वाले अन्यायों की घटनाओं को सुनकर

अग्रलेख लिखे। कोलकाता (कलकत्ता) से गांधी जी राजकोट के लिए रवाना हुए। मार्ग में इलाहाबाद में गाड़ी बहुत समय तक रुकती थी। अतः उन्होंने इस समय का भी सदुपयोग किया। 'पायोनियर' के दफ्तर में गए, उसके संपादक से मिले और उसे प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा से परिचित कराया। 'पायोनियर' के संपादक ने समाचारों, अग्रलेखों और टिप्पणियों से उनके विचारों का जोरदार समर्थन किया ।

राजकोट पहुँचने पर वे शांत नहीं बैठे। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की दयनीय दशा और उन पर गोरों के अत्याचारों की हृदय विदारक घटनाओं से भरी एक पुस्तिका लिखी। उसका आवरण पृष्ठ हरा था। इसलिए वह 'हरी पुस्तिका' के नाम से मशहूर हो गई। इसकी प्रतियाँ भारत और इंग्लैंड के समाचार पत्रों को भेजी गईं। अफ्रीका के गोरों के हाथों में जब वह पड़ी तो वे क्रोध से आगबबूला हो उठे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि गांधी को दक्षिण अफ्रीका में नहीं रहने देंगे। यदि वह अफ्रीका लौटा तो उसे उतरने से रोकेंगे और यदि उतरा तो उसे समाप्त कर देंगे।

राजकोट पहुँचने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि मुम्बई में प्लेग से बहुत जन हानि हो रही है। वे अपने प्राणों की परवाह न कर मुंबई दौड़े गए और जनता को प्लेग से बचने के उपाय समझाने लगे। उन्होंने देखा कि धनी मानी लोग भी अपने घरों की सफाई नहीं करते, जिससे हवा दूषित होती है। उन्होंने गरीब और अमीर दोनों को समझाया कि प्लेग से बचने का उपाय स्वच्छता और वायु की शुद्धता है ।

मुंबई में वे प्रसिद्ध नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले। उन्हें गोपालकृष्ण गोखले ने बहुत प्रभावित किया। वे उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानने लगे। समय–समय पर अपनी समस्याओं का उनसे समाधान प्राप्त करने लगे। गोखले भी, उनकी समाज सेवा के कारण, उनसे पुत्रवत् व्यवहार करने लगे। गांधी जी मुंबई से चेन्नई गए। तमिल कुली बाल सुन्दरम् की करुण कहानी सारे देश में फैल चुकी थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के मज़दूरों और कुलियों के हितों की रक्षा करते थे। यह जानकर बहुत से तमिल भाषी उनसे मिलने आए। गांधी जी ने थोड़ी तमिल सीखी अवश्य थी; पर वे उसे ठीक तरह से बोल नहीं पाते थे। विदेशी भाषा में बोलना पसंद नहीं था, परन्तु विवश हो उन्हें अँग्रेजी में ही तमिल भाषी जनता को अफ्रीका की स्थिति समझानी पड़ी। धीरे–धीरे गांधी जी की ओर भारतीयों का ध्यान आकर्षित होने लगा; उनके प्रति आदर पैदा होने लगा।

अभ्यास

1. अफ्रीका में गांधी जी को किन–किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा ?
2. इन घटनाओं की गांधी जी पर क्या प्रतिक्रिया हुई ?
3. गांधी जी ने भारत आना क्यों स्थगित कर दिया ?
4. अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों को कैसे संगठित किया ?
5. नैटाल में गांधी जी ने भारतीय शिक्षण संघ की स्थापना क्यों की ?
6. भारत आकर गांधी जी ने प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा से लोगों को कैसे अवगत कराया ?
7. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :–

(क) नैटाल इंडियन काँग्रेस की स्थापना सन् .... में हुई ।

(ख) नैटाल इंडियन काँग्रेस के अध्यक्ष ....और मंत्री .... चुने गए ।

(ग) हरी–पुस्तिका का प्रकाशन .... में हुआ ।

(घ) गांधी जी .... को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे ।

छठी झलक

दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर गांधी का पुनरागमन

XUJ53L

गांधी जी स्वदेश में कठिनाई से छह महीने ही बिता पाए थे कि नैटाल से उन्हें दक्षिण अफ्रीका लौटने का तार मिला। अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की जो आग वे सुलगा आए थे, वह धीरे–धीरे प्रज्ज्वलित हो रही थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए सुलगाने वाले की आवश्यकता आ पड़ी थी ।

सेठ अब्दुल्ला ने 'कुरलैंड' नामक जहाज खरीदा था । उसी पर उन्होंने गांधी जी को सपरिवार, बिना किराया दिए, आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सेठ के आग्रह को स्वीकार कर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ डर्बन की ओर प्रस्थान कर दिया। उनके साथ–साथ दूसरा जहाज नादरी भी भारतीय कुलियों और व्यापारियों को लेकर नैटाल की ओर चला।

गांधी जी तो यूरोपीय पोशाक में रहते थे, उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को भी विशेष पोशाक पहनने का आदेश दिया, जिससे वे गोरों द्वारा अपमानित न हो पाएँ। पारसियों की पोशाक यूरोपीय पोशाक के समान ही लगती है। अतः उन्होंने कस्तूरबा को पारसी महिलाओं के समान वस्त्र पहनने को कहा और बच्चों को कोट, पेंट, बूट और मोजे पहनाए। बच्चों ने बूट कभी पहने नहीं थे, इसलिए उनके पैरों में छाले पड़ गए। गांधी जी ने उन्हें छुरी काँटे से भी खाना सिखलाया। इससे कस्तूर बा को बड़ा अटपटा लगा, परन्तु जिद्दी पति परायण पत्नी विवश थी। समर्पण में ही उसे सुख मिलता था।

जहाज सेठ अब्दुल्ला का था। इससे वह मुंबई से सीधे डर्बन रवाना हो गया। मार्ग में उसे भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। जहाज कई बार ऊँची लहरों के कारण बुरी तरह डगमगाता था और यात्री घबराकर चिल्लाते थे। गांधी जी सबको सांत्वना देते और परमात्मा से प्रार्थना करते थे । तूफान से बचकर जहाज ने डर्बन बंदरगाह पर लंगर डाल दिया ।

'गंदा गांधी, वापस जा'

बंदरगाह पर गोरे बड़ी संख्या में इकट्ठे थे और 'गंदा गांधी वापस जा' के नारे लगा रहे थे । नैटाल के गोरों ने पहले गांधी जी को डर्बन में प्रविष्ट न होने देने का निश्चय कर लिया था। जब उन्होंने दो जहाजों को डर्बन बंदरगाह पर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि गांधी उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए दो जहाजों में कुली भरकर लाया है। उन्होंने दोनों जहाजों के भारतीयों को तुरंत लौट जाने का नारा लगाया । वे धमकाकर कहने लगे कि अगर किसी कुली ने उतरने की कोशिश की तो उसे समुद्र में फैंक दिया जाएगा। गांधी जी यात्रियों को शांत रहने का ढाढ़स बँधाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हों तो स्वदेश लौट सकते हो। हो सकता है, उतरने पर मौत के मुँह में झोंक दिए जाओ। सभी भारतीयों ने डर्बन बंदरगाह पर उतरने के अपने अधिकार को न त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने गांधी जी से कहा कि हम गोरों की गीदड़ भभकियों से नही डरेंगे ।

जहाज के बंदरगाह पर पहुँचते ही डॉक्टरों ने यात्रियों की जाँच की। कोई यात्री बीमार नहीं था। फिर जहाज चूँकि मुंबई (बंबई) से आ रहा था, और वहाँ प्लेग की बीमारी थी, इसलिए यही बहाना लेकर जहाज को 23 दिन तक बंदरगाह पर अलग रखा गया और भारतीयों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। डॉक्टरी मत से प्लेग के कीटाणु 23 दिन तक कायम रहते हैं। यह आदेश आरोग्य की दृष्टि से नहीं लिया गया था, गोरों के विरोध आंदोलन के कारण लिया गया था। भारतीयों को वापस भगाने की यह एक चाल थी। डर्बन के गोरे बड़ी–बड़ी सभाएँ कर रहे थे। सेठ अब्दुल्ला को डराया–धमकाया जाता था, लालच भी दिया जाता था, परन्तु सेठ धमकियों से डरने वाले नहीं थे । 23 दिन का निर्धारित समय बीत जाने पर डर्बन के भारतीय और उनके वकील, मिस्टर लाटेन, जहाज पर आए और भारतीयों को उतरने के लिए प्रोत्साहन देने लगे । यात्री उतरने लगे, परन्तु गांधी जी को सरकार ने संध्या तक न उतरने की सलाह दी, क्योंकि गोरे बहुत उग्र हो रहे थे। सरकार को उनके प्राणों का भय था। गांधी जी ने संध्या को उतरना स्वीकार कर लिया, परन्तु एडव्होकेट मिस्टर लाटेन उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर दिन में ही ले जाने पर उद्यत हो गए। जहाज के कप्तान से विदा लेकर गांधी जी मिस्टर लाटेन के साथ अपने मित्र रुस्तम जी के मकान की ओर चलने लगे। गोरे लड़कों ने उन्हें पहचानकर 'गांधी–गांधी' की आवाज़ें लगाईं । गोरों की भीड़ जमा हो गई। मिस्टर लाटेन ने जो बैठने के लिए रिक्शा मँगाया था, उसे लड़कों ने भगा दिया। गांधी जी भीड़ में फँस गए। लाटेन उनसे अलग हो गए । गांधी जी ने जहाज से रवाना होने के पूर्व अपनी पत्नी तथा पुत्रों को रुस्तम जी की गाड़ी में सकुशल पहुँचा दिया था। जब गांधी जी भीड़ में घिर गए, तब उन पर पत्थर और सड़े अंडे बरसने लगे। किसी ने उनकी पगड़ी छीनी, किसी ने लातें मारी; किसी ने कोड़े मारे, किसी ने घूँसे और मुक्कों से पीटा। गांधी जी ने किसी पर हाथ नहीं उठाया। वे बेसुध होकर गिरने ही वाले थे कि इतने में पुलिस सुपरिंटेंडेंट अलेक्जैंडर की पत्नी उनके पास पहुँच गईं और उनके सिर पर छाता तानकर खड़ी हो गईं। उसी समय पुलिस की एक टुकड़ी उनकी रक्षा के लिए आ गई। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने उन्हें पुलिस थाने में ठहरने को कहा, परन्तु गांधी ने ठहरने से इंकार कर दिया। उन्हें जनता की बुद्धि पर विश्वास था। उन्होंने कहा, "जब भी उन्हें गलती समझ में आएगी वे अपने कृत्य के लिए स्वयं लज्जित होंगे।" उनकी इच्छा के अनुसार पुलिस ने उन्हें रुस्तम जी के घर पहुँचा दिया। वहाँ भी गोरों की भीड़ जमा हो गई। "गांधी कहाँ है, उसको निकालो" की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, तब पुलिस ने गांधी जी को समझाया कि आप मित्र के मकान से छद्म वेश में निकल जाइए, अन्यथा भीड़ मकान को जला देगी । मित्र के मकान की रक्षा को ध्यान में रखकर गांधी जी पुलिस कांस्टेबल के वेश में छिपकर निकल गये। दो जासूस भी उनके साथ हो लिए।

जब तक गांधी जी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुँचा दिए गए, तब तक पुलिस सुपरिंटेंडेंट भीड़ को नियंत्रित किए रहा। अंत में उसने मकान की तलाशी का अभिनय किया और बाहर आकर भीड़ से कहा कि तुम्हारा शिकार तो निकल गया। जब भीड़ को यह विश्वास हो गया कि काला बैरिस्टर वहाँ नहीं है, तब वह हो–हो–हो करती हुई तितर–बितर हो गई। पुलिस उपद्रवियों पर मुकदमा चलाना चाहती थी, परन्तु गांधी जी राजी नहीं हुए।

समाचार पत्रों में गोरों की असभ्यता और उद्दंडता की कड़ी आलोचना की गई। डर्बन के बहुत–से गोरे लज्जित हुए क्योंकि जिन कारणों से वे गांधी जी से क्रुद्ध थे, उनके लिए वे बिल्कुल जिम्मेदार नहीं थे ।

गांधी जी ने अब नैटाल कॉंग्रेस का कार्य हाथ में लेने का निश्चय किया। साथ ही वे कुछ लोक सेवा भी करना चाहते थे। उन्हें बीमारों की तीमारदारी में बहुत सुख मिलता था। इसलिए वे मिशन अस्पताल में कुछ समय इसी कार्य में देने लगे। वे अपना सब काम स्वयं करने लगे। उन्होंने भोजन बनाना सीख लिया, कपड़ा धोना भी सीख लिया और कपड़े स्वयं धोने लगे। यद्यपि उनके लड़के अँग्रेजी ढँग से रहते थे फिर भी उन्हें वे अँग्रेजी के मिशन स्कूल में पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। अतः उन्हें घर पर ही पढ़ाने का प्रबंध किया गया।

गांधी जी में सेवा भावना प्रबल थी, इसका प्रमाण बोअर युद्ध में सभी को मिल चुका था। युद्ध समाप्ति, के बाद उन्होंने रोगियों की प्राकृतिक चिकित्सा करनी प्रारंभ कर दी। कुछ ऐसी घटनाएँ भी हुईं, जिनके कारण लोग आश्चर्य करने लगे और गांधी जी में विशेष रूप में परमात्मा की शक्ति देखने लगे। एक मरणासन्न लड़की की गांधी जी ने चिकित्सा की। जब वह अच्छी हो गई तो लोगों ने उन्हें जादूगर समझ लिया। गांधी जी ने लोगों को समझाया – ''न मैं कोई जादूगर हूँ और न कोई महात्मा । लड़की को मैंने एनीमा दिया था। इससे उसके शरीर का विकार निकल गया और वह अच्छी हो गई।

गांधी जी एनीमा, टब स्नान, मिट्टी की पट्टी, संतुलित भोजन और उपवास आदि के द्वारा रोगियों की चिकित्सा करते थे।

बोअर–युद्ध की समाप्ति पर कुछ समय उन्होंने रोगियों की सेवा की और फिर भारत लौटने की इच्छा प्रकट की। प्रवासी भारतीयों ने बड़ी अनिच्छा से उन्हें जाने की अनुमति दी और उनसे यह वचन लिया कि जब उन्हें आवश्यकता होगी, वे उनकी सहायता के लिए अफ्रीका पुनः लौट आएँगे।

प्रवासी भारतीयों ने विदाई के अवसर पर गांधी जी को अनेक प्रकार के उपहार भेंट किए। उनमें कस्तूरबा के लिए हीरे का एक हार भी था। गांधी जी उपहारों को ग्रहण करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जो उपहार प्राप्त किए, उन्हें बैंक में रख दिया और उसका एक न्यास (ट्रस्ट) बना दिया। कस्तूरबा पहले हीरे का हार देने के लिए राजी नहीं हुईं थीं, क्योंकि वह गांधी जी को नहीं, उन्हें प्रदान किया गया था। गांधी जी ने कस्तूर बा के तर्क को स्वीकार नहीं किया और उनका बहुमूल्य हार भी उन्होंने बैंक में रख दिया और बैंक में रखे हुए धन का सार्वजनिक कार्य में उपयोग करने की न्यास द्वारा व्यवस्था कर दी ।

अभ्यास

1. गांधीजी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा ?
2. गोरों ने गांधी जी को डर्बन बंदरगाह पर उतरने से क्यों रोका ?
3. गोरे इस कार्य में कहाँ तक सफल हुए ?

XUNY73

सातवीं झलक

स्वदेश में गांधी जी

गांधी जी ने स्वदेश लौटते ही कोलकाता काँग्रेस में भाग लेने का निश्चय किया। वे उसी गाड़ी से रवाना हुए जिसमें सर फीरोज शाह मेहता और दिनशा बाछा (काँग्रेस अध्यक्ष) यात्रा कर रहे थे। गांधी जी चाहते थे कि काँग्रेस दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की दुर्दशा पर कोई प्रस्ताव पास करे। कोलकाता पहुँचने पर वे लोकमान्य तिलक के साथ ठहराए गए। गांधी जी नेता बनकर नहीं रहना चाहते थे। वे कार्यकर्ता के रूप में काँग्रेस में भाग लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वागत समिति के अधिकारियों से क्लर्की का काम ले लिया और दत्तचित्त हो निर्दिष्ट कार्य करने लगे। उन्होंने स्वयंसेवकों से झाड़ू लगाने और पाखाना साफ करने को कहा। स्वयंसेवक ऐसा विचित्र आदेश मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तब गांधी जी स्वयं सफाई के काम में जुट गए। गांधी जी कहते नहीं थे, करते थे।

जब काँग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ, तब उन्होंने अपनी बात कहने के लिए अध्यक्ष से समय माँगा। अध्यक्ष ने केवल पाँच मिनट दिए। इतने कम समय में वे अफ्रीका के भारतीयों की समस्या पर पर्याप्त प्रकाश न डाल सके। उन्हें बड़ी निराशा हुई। काँग्रेस को उन्होंने एक निष्प्राण संस्था के रूप में देखा। उसमें अँग्रेजों और अँग्रेजियत का प्रभुत्व उन्हें अखरा। उन दिनों काँग्रेस का अधिवेशन प्रति वर्ष तीन दिनों तक होता था।

गांधी जी कोलकाता में गोखले के साथ महीने भर रहे। उन्होंने अपने कोलकाता (कलकत्ता) निवास में वहाँ के नेताओं से भेंट की। वे काली मंदिर में भी गए। वहाँ पशु बलि के दृश्य ने उन्हें पीड़ा पहुँचाई। थोड़े समय के लिए उन्होंने बर्मा देश की भी यात्रा की।

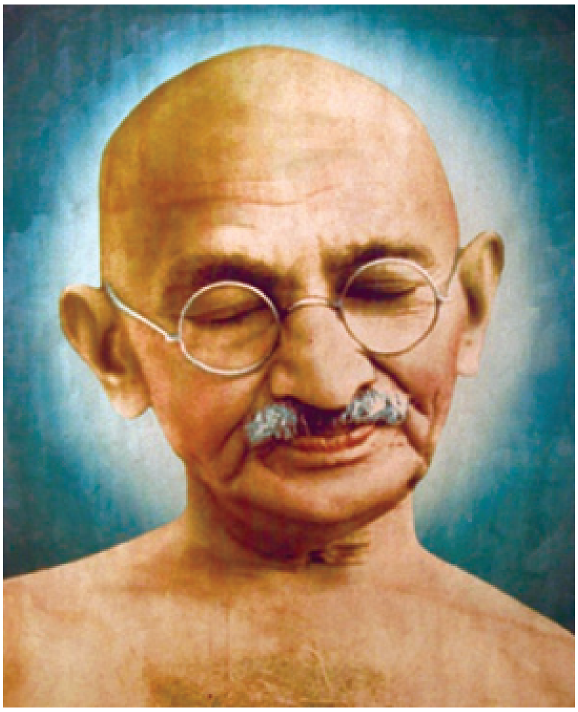

भारतीय जनता और जीवन का अध्ययन करने की दृष्टि से गांधी जी ने कोलकाता से राजकोट लौटते समय तीसरे दर्जे में यात्रा की। वे वाराणसी (बनारस), आगरा, जयपुर और पालनपुर में एक–एक दिन धर्मशालाओं में ठहरे। बनारस में वे एक पंडे के यहाँ ठहरकर धार्मिक जनता की मनोदशा का अध्ययन करते रहे।

राजकोट में वे कुछ महीने वकालत करने के पश्चात् पुनः मुंबई (बंबई) गए और वहाँ वकालत करने लगे। वहाँ भी वे बीमारों की चिकित्सा अपने ढंग से करते थे। उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। अफ्रीका में उन्होंने कई बीमारों को अच्छा किया था।

एक बार उनका पुत्र मणिलाल विषम ज्वर से बीमार हो गया। निमोनिया की आशंका होने लगी। तब उन्होंने एक पारसी डॉक्टर को बुलाया, जिसने चिकित्सा के समय अंडे और मांस का शोरबा देने की सलाह दी। परन्तु गांधी जी ने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी। उन्होंने अपनी ही चिकित्सा से अर्थात् जल चिकित्सा से मणिलाल को स्वस्थ कर दिया। चिकित्सा काल में वे परमात्मा से प्रार्थना भी किया करते थे। जब मणिलाल स्वस्थ हो गया, तो उन्होंने उस कुंद मकान को छोड़कर खुला हवादार मकान लिया और उसमें रहने लगे। मुंबई (बंबई) में उनकी वकालत जम ही रही थी कि दक्षिण अफ्रीका के मित्रों ने उन्हें पुनः अफ्रीका आने के लिए तार दिया। वे जानते थे कि उनके गए बिना उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा और भारतीय दयनीय दशा में ही जिंदगी बिताते रहेंगे। दिसम्बर 1902 में उन्होंने तीसरी बार नैटाल की ओर प्रस्थान किया ।

अभ्यास

1. यह कैसे सिद्ध करोगे कि गांधी जी में सेवा भावना प्रबल थी ?
2. कोलकाता काँग्रेस के अधिवेशन में भाग लेकर गांधी जी को निराशा क्यों हुई ?

XUQZ66

आठवीं झलक

गांधी जी की तीसरी अफ्रीका यात्रा

गांधी जी ने अफ्रीका पहुँचते ही भारतीयों से वहाँ की परिस्थिति का परिचय प्राप्त किया और ब्रिटिश मंत्री चैंबरलेन को उनकी शिकायतें दूर करने के लिए प्रार्थना पत्र तैयार किया। उसमें जोरदार शब्दों में उनसे भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया। चैंबरलेन ने भारतीयों की शिकायत को सही तो माना, पर उसे दूर करने में अपनी असमर्थता ज़ाहिर की ।

गांधी जी ने जोहेंसबर्ग में रहकर अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। ट्रांसवाल में भारतीयों को प्रवेश पत्र पाने में बड़ी कठिनाई होती थी। अफसर प्रवेश पत्र देने के लिए घूस भी खाते थे। बोअर युद्ध के समय बहुत–से भारतीय ट्रांसवाल से भाग गए थे। शांति स्थापित होने पर वहाँ आने के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करने में उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। गांधी जी ने समाचार पत्र द्वारा ट्रांसवाल सरकार के अन्य कार्यों की ओर जनता का ध्यान खींचना आरंभ कर दिया।

गांधी जी के योजनाबद्ध कार्य

गांधी जी योजनाबद्ध कार्य करने के पक्षपाती थे। सार्वजनिक कार्य तो वे योजना बनाकर करते थे, स्वास्थ्य संवर्द्धन का कार्य भी योजनाबद्ध होता था। यहाँ उन्होंने प्राकृतिक उपायों से जीवन व्यतीत करने की योजना बनाई। वे प्रातः 6 बजे उठ जाते, मीलों पैदल घूमने जाते। प्रातःकाल के नाश्ते को वे अनावश्यक समझते थे। शाकाहार की वैज्ञानिकता वे इंग्लैंड में ही समझ चुके थे। उन्होंने भोजन के प्रयोग प्रारंभ कर दिए। उन्होंने डबलरोटी के स्थान पर घर की चक्की के, हाथ से पिसे चोकर सहित आटे की रोटी बनाना प्रारंभ कर दिया। उन्हें दूध और घी अप्राकृतिक जान पड़ा। अफ्रीका में जब तक रहे, उनका सेवन नहीं किया। भारत में एक बार पेचिस से बहुत बीमार होने पर डॉक्टरों ने कहा कि आपको दूध लेना चाहिए तभी आप में शक्ति आएगी ।

उन्होंने कहा– "मैं दूध न लेने का प्रण कर चुका हूँ।" कस्तूरबा ने टोककर कहा, "आपने बकरी के दूध की कसम नहीं खाई है।" कस्तूरबा की ओर देखकर उन्होंने कहा– "बात तो ठीक कहती हो। प्रण करते समय मेरे मन में गाय माता और भैंस के दूध का ध्यान था।" डॉक्टरों ने भी बकरी के दूध के पक्ष में राय दे दी। परंतु गांधी जी आदर्शवादी थे। इसलिए बकरी का दूध पीते समय मन की कमजोरी को भूल नहीं पाते थे। वे मौसमी फल, पपीते, खजूर और शहद का सेवन करने लगे। मन की शांति के लिए मंदिर जाने का क्रम भी रखा। घर साफ करने के लिए एक नौकर रखा। पाखाना साफ करने के लिए म्युनिसिपैलिटी (नगर पालिका) का जमादार आता था। परन्तु पाखाने का कमरा साफ करने एवं बैठक धोने का काम वे स्वयं करते और बच्चों से भी करवाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े होने पर उनके बच्चों को पाखाना साफ करने में कभी झिझक नहीं हुई। आरोग्य के नियमों का पालन करने के कारण जोहेंसबर्ग में शायद ही कभी कोई बीमार पड़ा हो। गांधी जी पाँच मील दफ्तर ही आते–जाते थे और बच्चों को भी साथ ले जाते थे। इससे सहज व्यायाम हो जाता था।

जुलू–विद्रोह में सहायता

इसी बीच जुलू लोगों ने शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी निभाने के लिए गांधी जी ने बोअर युद्ध की तरह पुनः अपनी सेवाएँ सरकार को अर्पित कर दीं। उन्होंने अपने साथियों के साथ घायलों की सेवा सुश्रूषा की। कई घायलों का इलाज न होने से उनके घाव पक गए थे। गांधी जी ने अपने हाथों से उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें आराम पहुँचाया। सैनिकों का जुलू लोगों पर गोलियाँ चलाना गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। पर वे एक बार सरकार को सहायता करने का वचन दे चुके थे, इसलिए सैनिक कार्यवाही को अनुचित मानते हुए भी वे सरकार का साथ दे रहे थे। उन्हें संतोष इसी बात का था कि वे जुलू लोगों की सेवा कर रहे थे।

सन् 1904 में उन्होंने डर्बन से 'इंडियन ओपिनियन' नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। संपादक के रूप में उनका नाम प्रकाशित नहीं होता था, पर वास्तव में वे ही उसके संपादक थे। उसमें विभिन्न विषयों पर लेख लिखते थे। उनमें महापुरुषों की जीवनियाँ होती थीं, दक्षिण भारतीयों की समस्याओं पर विचार प्रकट किए जाते थे। सरकार के अन्यायी कार्यों की टीका–टिप्पणी की जाती थी और स्वास्थ्य आदि पर विचार व्यक्त किए जाते थे। अफ्रीका में भारतीय उनको भाई से संबोधित करते थे; परन्तु भारतवर्ष में वे महात्मा गांधी और बापू कहलाने लगे थे। महात्मा संबोधन उन्हें सदा खटकता रहा, पर बापू से उन्हें विरक्ति नहीं थी, क्योंकि वृद्धजन के लिए यह स्वाभाविक संबोधन था।

अफ्रीका में भारतीयों को नित नए–नए अपमानजनक कानूनों के विरुद्ध सरकार से झगड़ना पड़ता था। सरकार उन्हें हाथ की उँगलियों की छाप देने को विवश करती और उनके मकान में पुलिस स्वेच्छा से प्रवेश कर सकती थी। बार–बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (पंजीयन प्रमाण–पत्र) पेश करना पड़ता था। गोरे अफ़सर काले बैरिस्टर के साथ भी वही व्यवहार करते थे, जो प्रवासी कुलियों के साथ करते थे। प्रीटोरिया में एशियाटिक विभाग स्थापित था। वह दावा तो करता था एशियायियों की सहायता करने का, पर कार्य उसके विपरीत ही करता था। जब गांधी जी प्रीटोरिया गए तब इस विभाग के एक अधिकारी ने उन्हें बुलाया और जब वे उसके दफ्तर में गए, उनके साथ भी उसने असभ्य व्यवहार किया, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक न दी और उनके प्रीटोरिया में प्रविष्ट होने पर आपत्ति की। उसने कहा–"तुम्हें प्रवेश पत्र भूल से दिया गया है, अब तुम तुरंत लौट जाओ। ब्रिटिश मिनिस्टर चैंबरलेन से तुम नहीं मिल सकोगे।"

यद्यपि नैटाल में गांधी जी चैंबरलेन से मिल चुके थे और उसने उन्हें निराशाजनक उत्तर दे दिया था, फिर भी प्रीटोरिया के भारतीयों के आग्रह पर वे वहीं पहुँचे थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक स्थान से अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाई जाए ।

व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में संघर्ष के क्षण

11 सितम्बर, 1906 की सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए गांधी जी ने सत्याग्रह सिद्धांत की एक ही वाक्य में व्याख्या कर दी, "बुरे कानून के सामने न झुकना ही सत्याग्रह है।" 'इंडियन ओपिनियन' में वे बराबर भारतीय समाज पर लगे प्रतिबंधों के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे। ट्राम गाड़ियों और रेलगाड़ियों में भारतीय सम्मान के साथ यात्रा नहीं कर सकते थे। नैटाल में सरकार भारतीय व्यापारियों को बार–बार परमिट लेने के लिए आदेश देती थी। इसका गांधी जी ने बार–बार विरोध किया और व्यापारियों को दुबारा परमिट न लेने की सलाह दी। सोलह वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीयों पर प्रति वर्ष

एक पौंड कर लगाया गया था। प्रवेश–पत्रों, प्रमाण–पत्रों पर फीस लगाई जाती थी। इन सब अपमानजनक कानूनों और नियमों को रद्द कराने के लिए गांधी जी को विरोध करना पड़ता था। अदालतों की शरण लेने पर भी भारतीयों के पक्ष में फैसले नहीं होते थे।

फिनिक्स आश्रम की स्थापना

इंडियन ओपिनियन पत्र के लेखों का हेनरी पोलक पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे गांधी जी के भक्त हो गए। गांधी जी रहते तो थे जोहेंसबर्ग में, पर उनका पत्र, इंडियन ओपिनियन, छपता था डर्बन में। एक दिन जब वे जोहेंसबर्ग से डर्बन जाने लगे तो पोलक उन्हें स्टेशन छोड़ने गए और गाड़ी में पढ़ने के लिए उन्होंने उन्हें रस्किन की, 'अनटू दि लास्ट' पुस्तक दी। गांधी जी ने 24 घंटे की यात्रा में सारी पुस्तक पढ़ डाली। उसका उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने लिखा है – "इस पुस्तक ने मेरे जीवन में क्रांति पैदा कर दी।" उन्होंने इसे जीवन निर्माण कार्य की रचना कहा। 'सर्वोदय' के नाम से उसका उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। पुस्तक में शरीर, श्रम और हाथ से काम करने का गौरव प्रतिपादित किया है। पुस्तक के सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वे तुरन्त उद्यत हो गए और उन्होंने डर्बन में सौ एकड़ भूमि खरीदी और उसमें 'फिनिक्स कॉलोनी' (आश्रम) की स्थापना की। वहाँ अपना प्रेस लगाया और 'इंडियन ओपिनियन' पत्र को छापना प्रारंभ कर दिया। बिजली पर निर्भर न रहने की दृष्टि से उन्होंने अपने पत्र का आकार घटा डाला। पत्र की अफ्रीका में बड़ी माँग रहती, क्योंकि उसमें प्रति सप्ताह प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर कड़ी टिप्पणियाँ होती थीं। पत्र में अँग्रेजी, गुजराती, हिन्दी और तमिल विभाग रहते थे ।

फिनिक्स आश्रम गांधी जी के सहयोगियों का केन्द्र बन गया। ट्रांसवाल के भारतीयों की सेवा तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों में खर्च जुटाने के लिए उन्हें जोहेंसबर्ग रहकर वकालत करनी पड़ती थी। वे दिन भर कार्य करते और रात को भोजन के बाद परिवारजनों और मित्रों के साथ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते और दार्शनिक चर्चा करते थे। पैदल चलने का अभ्यास उनका बढ़ता जाता था। आहार संबंधी प्रयोग चल ही रहे थे। अपने बड़े भाई को उन्होंने एक पत्र लिखा था– ''मेरा अपना कुछ नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है, वह लोक सेवा में लगाया जा रहा है। मुझे किसी प्रकार के सांसारिक सुख भोग की कामना नहीं है। मैं समाज सेवा में पूर्ण रूप से जुट जाना चाहता हूँ।''

गांधी जी समझौते का मार्ग हमेशा खुला रखते थे। वे यूरोपियों के साथ भी अन्याय नहीं होने देना चाहते थे। बहुत समय तक उनका विश्वास रहा कि अँग्रेज संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं और कानून की इज्जत करते हैं। परन्तु बाद में उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि दक्षिण अफ्रीका के शासक अपने जाति बंधुओं का पक्ष लेते हैं और भारतीयों के साथ अन्याय करते हैं। अतः यदि भारतीय यूरोपियों के समान व्यापार आदि में समानता की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें जीवन मरण के संघर्ष में उतरना पड़ेगा ।

सत्याग्रही गांधी

सन् 1906 के अगस्त की बात है। गांधी जी अपनी फिनिक्स बस्ती में कुछ साथियों के साथ भावी कार्यक्रमों पर विचार कर रहे थे। इसी समय किसी ने उनके हाथ में 'ट्रांसवाल गवर्नमेंट गजट' का नया अंक थमा दिया। उसमें ट्रांसवाल सरकार का एक अध्यादेश छपा था। उसके अनुसार जो भारतीय सरकारी दफ्तरों में जाकर एशियाई रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन पत्र नहीं देगा, वह अपराधी माना जाएगा और उसे जुर्माना, जेल या देश–निकाले की सज़ा दी जा सकेगी।

'गजट' पढ़ते ही गांधी जी का माथा ठनका। वे समझ गए कि सरकार भारतीयों को अपमानित कर देश से निकालना चाहती है। उन्होंने तुरंत भारतीयों की एक सभा बुलाई और उन्हें नए कानून के परिणाम समझाए। भारतीयों ने उसके विरोध में आवाज़ उठाई, पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उन्होंने महात्मा गांधी के सुझाव के अनुसार अपने नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं कराए। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश करना प्रारंभ कर दिया। अदालत सभी अपराधियों को 48 घंटे के भीतर ट्रांसवाल छोड़ देने के आदेश देने लगी। जब भारतीयों ने ट्रांसवाल नहीं छोड़ा तो, उन्हें गांधी जी सहित पुनः पकड़ लिया गया। गांधी जी जब मजिस्ट्रेट के सामने लाए गए तो उन्होंने अपने बयान में कहा–''मैं अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहता। सरकार की दृष्टि में मैंने अपराध किया है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मुझे अधिक से अधिक सजा दी जाए।'' मजिस्ट्रेट आश्चर्य से गांधी जी की ओर देखने लगा, क्योंकि उसने ऐसा अपराधी नहीं देखा था जो अपना अपराध तुरंत स्वीकार करता है और अधिक–से–अधिक सज़ा की भी माँग करता है। उसने उन्हें दो मास की जेल की सज़ा दे दी। जेल जाने पर उनके कपड़े उतरवा लिए गए और जेल के कपड़े पहनाकर एक ऐसी कोठरी में बंद किया गया जहाँ हवा जाने के लिए दीवार के ऊपरी हिस्से में छोटा–सा झरोखा मात्र था। गांधी जी के जेल जाने के बाद भारतीय रोज़ ही कानून भंगकर जेल जाने लगे। सभी को गांधी जी के समान अँधेरे में रखा गया, जहाँ उनका रह–रहकर दम घुटता था, परन्तु उन्होंने शिकायत नहीं की। आदर्श के लिए कष्ट झेलने को वे एक पवित्र साधना समझने लगे।

सत्याग्रही गांधी की पोशाक बैरिस्टर गांधी की पोशाक से बिल्कुल भिन्न थी। बैरिस्टर गांधी टोप, टाई, पेंट, बूट और मोजे में रहते थे। पर जब सत्याग्रही के रूप में आंदोलन करते तब नंगे सिर, कुर्ता, लुंगी और नंगे पैर रहते थे। लुंगी पहनने का कारण यह था कि दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण भारतीय तमिलभाषी प्रवासियों की संख्या अधिक थी।

सत्याग्रहियों को जेल में भोजन भी अच्छा नहीं दिया जाता था। उनसे जिस प्रकार की मेहनत ली जाती थी, उस प्रकार का पर्याप्त भोजन उन्हें नहीं मिलता था। इतना कष्ट झेलने पर भी वे गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुरूप प्रसन्न ही रहते थे।

ट्रांसवाल सरकार ने जब देखा कि भारतीय शांतिपूर्वक लगातार जेलों में भर रहे हैं, तब उसके रक्षा मंत्री, जनरल स्मट्स ने समझौते

का मार्ग अपनाया। उसने गांधी जी को जेल से बुलाया और उनसे आंदोलन बंद करने को कहा। उसने यह समझौता किया कि भारतीय स्वेच्छा से रजिस्टर में नाम दर्ज करा लें तो मैं कानून वापस ले लूँगा। गांधी जी राजी हो गए। फलतः सभी कैदी छोड़ दिए गए। गांधी जी ने इस आंदोलन के रूप में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया।

जेल से छूटते ही उन्होंने सत्याग्रहियों की सभा बुलवाई और समझौते की शर्तों को समझाकर कहा, ''सरकार झुक गई है, हमारी जीत हुई है। अब आप अपनी मर्जी से एशियाई रजिस्टर में अपना नाम लिखा सकते हैं।''

"कौन कहता है कि हमारी जीत हुई है?" सामने बैठा हुआ पठान, मीर आलम, गरज उठा– "नाम दर्ज कराने की बात तो कायम रही न?" गांधी जी ने समझाकर कहा–"हमें अपनी मर्जी से नाम दर्ज कराना है, सरकार जबरदस्ती नहीं करेगी।"

"तो आप क्या करोगे ?"–पठान ने पूछा।

"मैं तो नाम दर्ज कराऊँगा और सबसे पहले करूँगा"–गांधी जी ने जवाब दिया ।

पठान जोश में बोला–"मालूम होता है आपको सरकार ने रिश्वत दी है, तभी आपने ऐसा गलत समझौता किया है।" "पठान का शक बेबुनियाद है, इसे कोई न माने"–यह कहकर गांधी जी जब सभा से जाने लगे, तो पठान ने धमकी दी, ''याद रखना, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, जो नाम दर्ज कराने जाएगा उसे मैं मौत के घाट उतारे बिना नहीं रहूँगा।" चलते–चलते गांधी जी ने कहा–"मुझे अपने भाई के हाथों मरने में खुशी होगी।" नाम दर्ज कराकर भारतीयों को ट्रांसवाल में रहने का अनुमति पत्र लेना पड़ता था। सरकार ने अनुमति पत्र लेने की अवधि तीन महीने की रखी थी।

अनुमति पत्र लेने के लिए गांधी जी एशियाई दफ्तर की ओर रवाना हुए। रास्ते में मीर आलम मिला। उसने हमेशा की तरह उन्हें सलाम नहीं किया। वह उन्हें घूर रहा था। गांधी जी ने खुद उससे पूछा–"कहो खान, कैसे हो?" खान ने रुखाई से कहा, ''अच्छा ही हूँ।'' जब गांधी जी दफ्तर की ओर बढ़े तो आलम ने लपककर पूछा– ''कहाँ जा रहे हो ?" गांधी जी ने ज्यों ही कहा– ''नाम दर्ज करा अनुमति पत्र लेने," त्यों ही उसने उनके सिर पर लाठी जमा दी। गांधी जी, 'हे राम' कहकर नीचे गिर पड़े। इसी हालत में खान के साथियों ने उन पर लातें लगाईं, डंडे बरसाए। यह देखकर पास खड़े कुछ भारतीय दौड़े और उन्होंने उन्हें बचाया। पठान और उसके साथी भागने लगे परन्तु लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

बेहोशी की हालत में गांधी जी को पास के एक गोरे के दफ्तर में ले जाया गया। मार से उनका होंठ फट गया, सामने के दो दाँत टूट गए और छाती की पसलियाँ बुरी तरह दुखने लगीं। होश में आते ही गांधी जी ने पूछा, ''मीर आलम कहाँ है?" जब उनसे कहा गया कि पुलिस उसे पकड़कर ले गई है, तो उन्होंने कहा "अरे जाओ, उसे छुड़ाने की कोशिश करो । वह बेचारा नहीं जानता कि उसने क्या कर डाला है।" गांधी जी ने पठानों को छोड़ देने के लिए पुलिस अधिकारी को चिट्ठी लिखकर प्रार्थना की, पर वे छोड़े नहीं गए। उन्हें सज़ा हुई। उसी समय एशियाटिक ऑफिस के कर्मचारी मिस्टर चमनी आ गए। गांधी जी ने उनसे कहा, ''आप अपने कागज़ पर यहीं मेरे हस्ताक्षर ले लीजिए। मुझसे पहले किसी की रजिस्ट्री न करें।'' मिस्टर चमनी जब कागज़ लेकर आए और गांधी जी ने बड़ी कठिनाई से अपनी उँगलियों की छाप दी, तब मिस्टर चमनी की आँखें भर आईं ।

सत्याग्रह का दूसरा दौर

जनरल स्मट्स ने गांधी जी को दिए गए वचनों का पालन नहीं किया। एशियाई रजिस्टर में नाम दर्ज कराने वाले कानून को रद्द नहीं

किया। गांधी जी ने कानून को भी भंग करने के लिए भारतीयों को तैयार किया। इनके नेतृत्व में नैटाल के सत्याग्रही भारतीयों ने ट्रांसवाल में प्रवेश कर कानून भंग किया। उन सब पर मुकदमे चलाए गए और सभी ने अपना अपराध स्वीकार किया। मजिस्ट्रेट ने सजा दी और वे जेल भेज दिए गए। गांधी जी को भी अपने साथियों के साथ जेल यात्रा करनी पड़ी। इस बार उन्हें ज़मीन खोदने का काम दिया गया। गांधी जी अपने सिद्धांत के अनुसार दिए हुए समय में उसे पूरा करते और जो समय बचता उसमें थोरो आदि के ग्रंथ तथा गीता पढ़ते थे। जेल से छूटने पर गांधी जी कुछ समय के लिए इंग्लैड गए, पर वहाँ उन्हें प्रवासी भारतीयों की समस्या हल कराने में सफलता नहीं मिली।

ट्रांसवाल सरकार ने अपनी दमन नीति नहीं छोड़ी । उसने कुछ भारतीयों को निष्कासित करने के आदेश जारी किए। गांधी जी ने आदेशों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जिसमें उन्हें सफलता मिली। सरकार भारतीयों को निष्कासित करने की अपनी योजना में सफल नहीं हो पाई ।

टाल्सटाय आश्रम

गांधी जी ने जेल यात्रियों और उनके परिवारों को एक साथ रखने के लिए एक आश्रम की योजना बनाई। उनके मित्र, केलेन बेक, ने एक हजार एकड़ जमीन मुफ्त में दे दी। उसमें झरना, दो कुएँ और एक झोपड़ी थी। गांधी जी को वह स्थान बहुत सुन्दर लगा। अपने प्रेरणाप्रदायक टाल्सटाय की स्मृति में उन्होंने उसका नाम 'टाल्सटाय आश्रम' रखा। यहाँ से स्टेशन एक मील और जोहेंसबर्ग इक्कीस मील था। इस खेत में शुद्ध वायु और जल का प्रबंध तो था ही, संतरे, खुबानी और बेर के पेड़ भी थे। गांधी जी को प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग की भी सामग्री अर्थात् शुद्ध हवा, पानी और ताजे फल, प्राप्त थी। गांधी जी ने स्त्री– पुरुषों को अलग–अलग रखने की व्यवस्था की, इसलिए दूर–दूर मकान बनाए गए। एक पाठशाला, बढ़ईखाना, मोचीखाना आदि के लिए मकान बनाने का प्रबंध किया गया। आश्रम जीवन की सभी आवश्यक चीजों के लिए गांधी जी आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। हाथ से काम करने और खुली हवा में रहने से भी आश्रमवासियों के चेहरों पर स्वास्थ्य की रौनक आ गई। सभी को कार्यवश जोहेंसबर्ग जाना पड़ता था। इसलिए यह नियम बनाया गया कि वहाँ जाने पर कुछ खर्च न किया जाए। इसीलिए आश्रमवासी जाते समय घर से नाश्ता ले जाते थे । उसमें हाथ से पीसे हुए चोकर सहित आटे की रोटी, मूँगफली का मक्खन और संतरों के छिलकों का मुरब्बा होता था। लोग जिस दिन जाते, उसी दिन लौट आते थे। इस प्रकार उनकी साठ–पैंसठ किलोमीटर की पद यात्रा हो जाती थी। गांधी जी भी इतनी पद यात्रा करते थे। वे जिस बात का उपदेश देते थे, उसे स्वयं करते थे। आश्रम

के लड़के, लड़कियों को अपने साथ नहाने ले जाते थे। इस प्रकार उनमें परस्पर सौहार्द्र और भाई–बहिन का भाव जागृत करते थे।

गांधी जी खुले बरामदे में धरती पर सोते थे। आश्रम में चारपाइयाँ नहीं रखी गईं थीं, अतः आश्रमवासी भी धरती पर सोते थे। गांधी जी आश्रम में सदाचार पर विशेष बल देते थे।

गांधी जी जब आश्रम में थे, तब उन्हें सूचना मिली कि भारतीयों की एक टोली को नैटाल की सीमा लाँघकर ट्रांसवाल लाया जा रहा है। सत्याग्रहियों की सहायता के लिए वे तुरंत गए और अदालत में उनकी पैरवी कर उन्हें छुड़ा लाए ।

स्त्री और पुरुषों का सत्याग्रह

केपटाउन की सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब फैसला दे दिया। इसमें ईसाई प्रथा से किए गए विवाहों को वैध माना गया। इसका परिणाम यह हुआ कि गैर ईसाई विवाह अवैध हो गए। भारतीय समाज में तहलका मच गया। स्त्रियाँ रोष में भर गईं, क्योंकि अब उनकी स्थिति वैवाहिक पत्नी की न रही। गांधी जी को इस सामाजिक अन्याय को दूर कराने के लिए पुनः सत्याग्रह की तैयारी करनी पड़ी। वे टाल्सटाय आश्रम से फिनिक्स बस्ती में रहने के लिए चले गए। वहाँ उन्होंने सत्याग्रह के लिए महिलाओं को संगठित किया। स्त्रियों की एक टोली, जिसमें कस्तूर बा भी थीं, नैटाल से बिना अनुमति पत्र लिए ट्रांसवाल में प्रविष्ट होने के लिए रवाना हुई। यह तय हो चुका था कि यदि सरकार उन्हें गिरफ्तार न करे, तो वे कोयले की खान पर जाएँ और मज़दूरों को हड़ताल के लिए प्रेरित करें। जैसी आशा थी, पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया, तब वे पूर्व निर्णय के अनुसार खान पहुँचीं और मज़दूरों की हड़ताल कराने में सफल हो गईं न्यू केसल खान के एक हज़ार मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। इस बार पुलिस निष्क्रिय नहीं रही। उसने महिलाओं और अन्य सत्याग्रहियों को पकड़कर अदालत में पेश कर दिया और अदालत ने उन्हें जेल की सज़ा दे दी।

गांधी जी स्त्री और पुरुष सत्याग्रहियों को अपने निश्चय पर डटे रहने की प्रेरणा देते रहे। उन्हें कैंप में रखकर उनके खाने–पीने की स्वयं व्यवस्था करते रहे। कई बार वे स्वयं सत्याग्रहियों के लिए भोजन पकाते और उनके रहने के स्थान की अपनी हाथों से सफाई करते थे। सत्याग्रहियों की टोली जब निकलती थी, तो जनता उसे 'गांधी की सेना' कहती थी। गांधी जी सत्याग्रह करने के पूर्व उसकी सूचना सरकार को दिया करते थे। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। निश्चित तिथि को वे अपनी सेना के साथ ट्रांसवाल के भीतर प्रविष्ट हुए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया परन्तु उनके एक मित्र ने उन्हें जमानत पर छुड़ा लिया। गांधी जी ने पुनः कानून भंग किया और गिरफ्तार हो गए। मित्र ने दुबारा जमानत देकर उन्हें छुड़ा लिया। गांधी जी पीछे लौटने वाले नहीं थे। उन्होंने तीसरी बार सत्याग्रह

किया। इस बार उन्हें जमानत पर नहीं छोड़ा गया। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए अधिक–से–अधिक सज़ा की माँग की। इस बार उन्हें तथा उनके साथियों को नौ–नौ माह की सख्त सज़ा दी गई ।

गांधी जी और उनके साथियों के जेल जाने के पश्चात् आंदोलन और अधिक तेजी से बढ़ा। देश के कोने–कोने से स्वयंसेवक सत्याग्रह के लिए आगे आए और उन्होंने ट्रांसवाल की जेलें भर दीं।

जब दक्षिण अफ्रीका की सरकार के दमन के समाचार भारत में पहुँचे तो भारतीय नेताओं के जोर देने पर वायसराय ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के अन्याय के विरुद्ध जाँच कमीशन की माँग की। लंदन की ब्रिटिश सरकार ने भी उसका समर्थन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जनरल स्मट्स को गांधी जी और उनके साथियों को जेल से छोड़ना पड़ा और जाँच कमीशन की नियुक्ति करनी पड़ी। कमीशन के सदस्यों में भारत विरोधियों की संख्या अधिक होने से गांधी जी ने उसका विरोध किया। भारत सरकार ने भी गांधी जी के पक्ष में समर्थन किया। इसलिए जनरल स्मट्स को झुकना पड़ा। उसने गांधी जी को समझौते के लिए आमंत्रित किया। समझौते के अनुसार गैर–ईसाई विवाह भी वैध ठहराए गए। प्रवासी भारतीयों पर लगाया जाने वाला तीन पौंड का वार्षिक कर रद्द कर दिया गया और बकाया माफ कर दिया गया। भारत से मज़दूरों का आयात बंद करने का भी प्रावधान रखा गया, परन्तु बिना अनुमति के भारतीयों के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में प्रवेश करने पर अनुमति–पत्र लेने का प्रतिबंध नहीं हटा।

अफ्रीका में गांधी जी का अष्टवर्षीय सत्याग्रह आंदोलन समाप्त हो गया। उनके नेतृत्व में वह अनुशासित और अहिंसात्मक रहा। अन्याय के

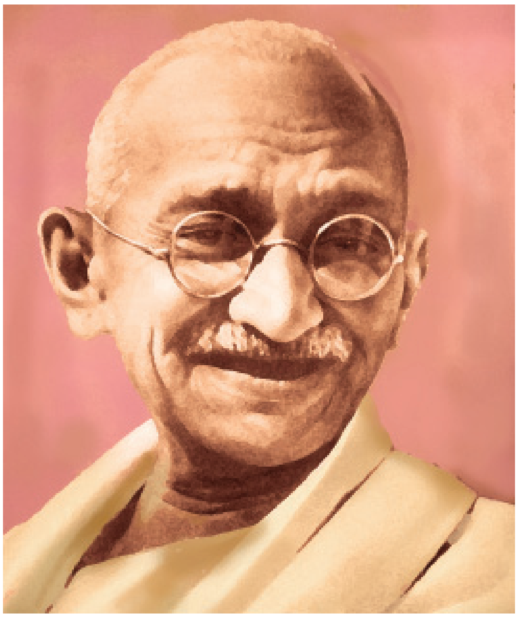

विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन का यह प्रथम प्रयोग था, जिसने संसार का ध्यान आकर्षित किया। 18 जुलाई 1914 को गांधी जी ने अफ्रीका से अंतिम बिदा ली ।

अफ्रीका में गांधी जी ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में सत्य के प्रयोग किए। शाकाहार, फलाहार, उपवास, व्यायाम, ध्यान, प्रार्थना, मौन व्रत उनकी व्यक्तिगत साधना के अंग थे । सत्याग्रह मानव अधिकारों की रक्षा की दिशा में किया गया अभिनव प्रयोग था, जिसमें संपूर्ण तो नहीं, बहुत कुछ सफलता अवश्य प्राप्त हुई थी। उसने भारतीयों को मानवीय अधिकारों के लिए किस प्रकार शांतिपूर्ण संघर्ष किया जा सकता है और ऐसा संघर्ष जिसमें मारना नहीं, मरना होता है, यह सिखलाया। उनके सत्याग्रह की यह विशेषता रही, कि उसने विपक्षी के प्रति घृणा अथवा शत्रुता का भाव घर नहीं कर पाया था। जनरल स्मट्स, जिसमें सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, गांधी जी के प्रति आदर रखता था। गांधी जी भाई के रूप में संबोधित होते थे। गुजरात में यह शब्द आत्मीयता और आदर का बोधक है। भाई गांधी जी के विदाई शब्द हैं– ''मुझे दुःख इस बात का है कि जहाँ मैंने जीवन

के इक्कीस वर्ष बिताए, असंख्य मीठे और कड़वे अनुभव प्राप्त किए और अपने कार्य की नींव डाली, उस दक्षिण अफ्रीका की भूमि से मैं विदा हो रहा हूँ।''

अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी केवल भारतीयों पर होने वाले अन्यायों का ही विरोध नहीं करते थे, वे खदान में काम करने वाले चीनी मजदूरों पर होने वाली ज्यादतियों के लिए भी सरकार की अवहेलना करते थे। उन्होंने भारतीयों के लिए पूर्ण नागरिकता की माँग की थी। एक भारतीय स्त्री पर उपनिवेश में प्रवेश करने का अनुमति–पत्र न होने के अपराध में जब मुकदमा चलाया गया तो पत्रों में उन्होंने सरकार की जोरदार शब्दों में निंदा की। इससे बड़ी हलचल मची और मामला उठा लिया गया। गांधी जी मनुष्य–मनुष्य में भेद नहीं मानते थे ।

अफ्रीका में रहते हुए भी उनकी दृष्टि भारत पर बराबर रहती थी। उन्होंने नमक कर समाप्ति, ब्रिटिश माल के बहिष्कार और बंग भंग आंदोलन के समर्थन में लेख लिखे। उन्होंने 'वन्दे मातरम्' को राष्ट्रगीत बनाने तथा देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की दृष्टि से राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हिंदी हिंदुस्तानी का समर्थन किया। न्याय और मानवता के आधार पर होमरूल (स्वराज्य) की माँग पेश की। वे बाहरी दुनिया पर भी दृष्टि रखते थे। रूस की क्रांति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा था कि यदि यह क्रांति सफल हो गई तो यह इस शताब्दी की महान विजय होगी ।

अभ्यास

1. गांधी जी को तीसरी बार अफ्रीका क्यों बुलाया गया ?
2. 'इंडियन ओपिनियन' नामक पत्र में गांधी जी किन–किन समस्याओं पर प्रकाश डालते थे?
3. गांधी जी ने सत्याग्रह की क्या व्याख्या की ?
4. गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना क्यों की ?
5. सन् 1906 में प्रकाशित ट्रांसवाल सरकार के अध्यादेश का विरोध गांधी जी ने क्यों किया ?
6. रक्षामंत्री जनरल स्मट्स ने समझौते का मार्ग क्यों अपनाया ?
7. गांधी जी के किस गुण के कारण जनरल स्मट्स उनके प्रति आदर भाव रखने लगा ?
8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :–
   (क) टाल्सटाय–आश्रम
   (ख) मीर आलम

नवीं झलक

इंग्लैण्ड मार्ग से भारत प्रस्थान

XUT159

अफ्रीका में बैरिस्टर गांधी की सार्वजनिक कार्यों के कारण काफी प्रसिद्धि हो गई थी। देश–विदेश की शिक्षित जनता उनके नाम से परिचित ही नहीं हो गई थी, उनके प्रति आदर भी रखने लगी थी ।

गांधी जी अपनी पत्नी और जर्मन मित्र मिस्टर केलेन बेक के साथ इंग्लैंड के लिए जहाज से रवाना हो गए। उनके पास यद्यपि तीसरे दर्जे का टिकट था फिर भी जहाज के कप्तान ने उन्हें विशेष सुविधाएँ दे रखीं थीं। उन्हें ताजे फल और मेवे दिए जाते थे, जो आम तौर से तीसरे दर्जे के यात्री को नहीं दिए जाते। डर्बन से इंग्लैंड की सत्रह–अठारह दिन की यात्रा थी। इस यात्रा का एक रोचक प्रसंग दो मित्रों का वाक् युद्ध है ।

केलेन बेक को दूरबीन का बड़ा शौक था। एक दिन वे कीमती दूरबीन लेकर सुदूर का दृश्य देखने का सुख ले रहे थे । गांधी जी अपने मित्र से कहने लगे, ''देखो केलेन बेक, जिस आदर्श को हम लोग अपनाए हुए हैं, कीमती दूरबीनों का रखना उनके अनुरूप नहीं है।'' केलेन बेक गांधी जी की बात को समझते तो थे पर वे दूरबीन का मोह छोड़ नहीं पा रहे थे। एक बार जब दोनों मित्र केबिन के पास खड़े थे, तब उनमें फिर से बहस छिड़ गई। गांधी जी बोले–''यह दूरबीन ही मित्र, हम दोनों के बीच झगड़े की जड़ है। बेहतर हो कि आप इसे फेंक दें।''

''जरूर फेंक देना चाहिए,'' कहकर केलेन बेक ने गांधी जी के हाथों में दूरबीन पकड़ा दी। गांधी जी ने दूरबीन समुद्र में उछाल दी। वह उछलती–कूदती लहरों में विलीन हो गई। दोनों मित्रों का विवाद भी उसी में विलीन हो गया।

जिस समय गांधी जी इंग्लैंड पहुँचे, उस समय यूरोप में युद्ध छिड़ा हुआ था, इंग्लैंड में वे मुख्यतः गोखले से मिलने आए थे। परन्तु उस समय वे इंग्लैंड में नहीं, पेरिस में थे। गांधी जी ने इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों की एक सभा बुलाई और उनसे युद्ध में अँग्रेजों का साथ देने के लिए आग्रह किया। कुछ वक्ता गांधी जी की इस सलाह से सहमत नहीं थे। वे शत्रु की

विपत्ति से लाभ उठाकर अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। गांधी जी को यह दलील पसंद नहीं थी। वे आपत्ति के समय अँग्रेजों से सौदेबाजी करना उचित नहीं समझते थे। अतः युद्धकाल तक उन्होंने अपनी माँगों को स्थगित रखने का निश्चय किया।

जिस प्रकार गांधी जी ने अफ्रीका में बोअर युद्ध में घायलों की सेवा–सुश्रूषा के लिए स्वयंसेवकों की टोली बनाई थी, वैसी ही यहाँ भी भारतीय स्वयंसेवकों की टोली ''इंडियन एम्बुलेंस कॉप्स'' तैयार की। ब्रिटिश सरकार ने उनकी सेवा को साभार स्वीकार किया।

इंग्लैंड में गांधी जी पसली के दर्द से बीमार हो गए। उनकी बीमारी केलेन बेक की चिंता का विषय बन गई। गांधी जी उस समय मूँगफली, कच्चे और पके केले, नीबू, जैतून का तेल, टमाटर, अंगूर आदि का सेवन कर रहे थे। दूध, अनाज बिल्कुल नहीं लेते थे। डॉक्टरों ने उनसे अनाज लेने का बहुत आग्रह किया। उनके गुरु गोखले जी ने भी डॉक्टरों की सलाह का समर्थन किया और उनसे बार–बार अन्न ग्रहण करने को कहा। गांधी जी दुविधा में पड़ गए; गुरु की आज्ञा मानूँ या अंतरात्मा की। उन्होंने अंतरात्मा की बात मानी और अन्न ग्रहण नहीं किया। फलाहार से धीरे–धीरे उनका स्वास्थ सुधरने लगा और वे स्वदेश की ओर रवाना हो गए। मिस्टर केलेन बेक भी गांधी जी के साथ भारत आने वाले थे, परन्तु जर्मन होने के नाते भारत सरकार ने उन पर रोक लगा दी, क्योंकि महायुद्ध में जर्मन, ब्रिटेन का शत्रु था।

जहाज में तीसरा दर्जा न होने से गांधी जी ने दूसरे दर्जे में यात्रा की। यात्रा में फल और मेवे का सेवन किया। इससे उनके स्वास्थ में बहुत सुधार हो गया। डॉक्टर ने छाती पर जो पट्टी बाँध दी थी और उसे बँधे ही रखने की सलाह दी थी, वह उन्होंने दो दिन में ही निकाल फेंकी। डॉक्टरी चिकित्सा पर उनकी बिलकुल आस्था नहीं थी। उसके प्रति अनास्था का भाव आजीवन बना रहा।

अभ्यास

1. गांधी जी और केलेन बेक के बीच झगड़े की जड़ कौन–सी वस्तु थी और क्यों?
2. इंग्लैंड में गांधी जी ने भारतीयों से युद्ध में अँग्रेजों का साथ देने के लिए क्यों कहा?
3. भारत सरकार ने केलेन बेक को गांधी जी के साथ क्यों नहीं आने दिया ?
4. गांधी जी ने अपना इलाज कैसे किया ?

दसवीं झलक

भारत में महात्मा गांधी और स्वातंत्र्य आंदोलन

XUXU8Q

गांधी जी के गुरु गोखले जी इंग्लैंड से भारत लौट आए थे और पूना में बीमार रहने लगे थे। परन्तु ज्यों ही उन्हें पता चला कि गांधी जी का जहाज मुंबई (बंबई) के बंदरगाह की ओर आ रहा है, त्यों ही वे मुंबई (बंबई) की ओर दौड़े और उनके स्वागत की तैयारी में लग गये।

9 जनवरी 1915 को गांधी जी का जहाज बंदरगाह पर लगा। जनता की भीड़ उनके दर्शन के लिए टूट पड़ी। उसने 'महात्मा गांधी की जय' से आकाश गुँजा दिया। उसने देखा कि धोती, दुपट्टे, अँगरखे और कठियावाड़ी पोशाक में ठिंगना,साँवला–सा आदमी, नंगे पैरों अपोलो बंदरगाह पर उतर रहा है। यही उसका महात्मा गांधी था। अपोलो बंदरगाह पर वायसराय और विशिष्ट व्यक्ति, जिन्हें आजकल वी. आई. पी. कहा जाता है, उतरने दिए जाते थे। गांधी जी को भी सरकार ने विशिष्ट व्यक्ति समझकर वहाँ उतरने की अनुमति दे दी थी ।

गोखले अपने शिष्य को भीड़ से बड़ी कठिनाई से बाहर ला सके। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा सफेद धोती और ब्लाउज पहने उन्हीं के साथ नंगे पैर चल रही थीं। जनता बैरिस्टर गांधी की सादगी पर मुग्ध हो रही थी। उसके स्वागत –सत्कार को नम्रतापूर्वक स्वीकार कर गांधी जी अपने गुरु के साथ पूना गए और कुछ समय तक उनके साथ रहे। गुरुजी ने उन्हें एक वर्ष तक देश में भ्रमण करने की सलाह दी। वे चाहते थे कि गांधी जी अपनी आँखों से देशवासियों की दशा देखें और तब उनकी भलाई और अधिकारों के समुचित उपाय पर विचार करें। गांधी जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। वे सबसे पहले मुम्बई(बम्बई) के गवर्नर विलिंग्डन से मिले। गवर्नर ने उनसे कहा–"जब आए गवर्नमेंट के खिलाफ कोई काम शुरू करो, तो मुझे उसकी पूर्व सूचना देना न भूलना।" "लार्ड साहब, मैं तो छिपकर कोई काम करता ही नहीं। मैं कार्यारंभ के पूर्व आपको अवश्य सूचना दूँगा, जिससे आप जनता की शिकायतों को जान सकें और उन्हें दूर कर सकें।"

देश–भ्रमण के पूर्व गांधी जी अपने रिश्तेदारों से मिलने राजकोट और पोरबंदर जाने के लिए रेल से रवाना हुए। मार्ग में एक स्टेशन पर एक कार्यकर्ता उनसे मिला और वीरमगाम के किसानों पर लगने वाले टैक्स (जकात) की ज्यादती की शिकायत करने लगा। गांधी जी को उस समय ज्वर था। उन्होंने उससे इतना ही पूछा–"क्या आप लोग जेल जाने को तैयार हैं?" कार्यकर्ता ने बड़े उत्साह से 'हाँ' कहा। "तो मैं जरूर इस बात की जाँच करूँगा। यदि शिकायत सच निकली, तो मैं उसे दूर कराने की कोशिश करूँगा।" कहकर गांधी जी ने कार्यकर्ता को आश्वस्त किया।

कठियावाड़ (सौराष्ट्र) में जहाँ–जहाँ गांधीजी गए, लोगों ने वीरमगाम के टैक्स की

शिकायत की। 'रामकाज कीन्हे बिना मोहिं कहाँ विश्राम' की बात चरितार्थ हुई। आए तो थे परिवार के बीच कुछ समय बिताने और विश्राम करने, पर जनता ने उन्हें विश्राम नहीं करने दिया। उन्होंने जनता की शिकायतों के प्रमाण एकत्र किए और उन्हें गवर्नर के पास भेजकर किसानों को राहत पहुँचाने की प्रार्थना की।

गवर्नर ने जब ध्यान नहीं दिया तब उन्होंने वाइसराय के दरवाजे खटखटाए। वाइसराय ने शिकायतों को सच पाया और टैक्स रद्द कर दिया। भारत में गांधी जी की यह प्रथम सफल जन सेवा थी।

अब गांधी जी ने देश भ्रमण प्रारंभ किया। रेल के तीसरे दर्जे में मामूली मुसाफिर की तरह उन्होंने यात्रा की। सफेद धोती, सफेद कुर्ता और सादी कश्मीरी टोपी उनकी वेश–भूषा थी। उन्होंने रंगून, कोलकाता (कलकत्ता) आदि स्थानों की यात्रा की। कोलकाता में उन्होंने विद्यार्थियों के बीच बोलते हुए कहा–"तुम्हें धार्मिक और सदाचारी बनना चाहिए। छिपकर कोई काम मत करो। जो काम करो, खुलकर करो।" कुंभ के मेले के अवसर पर हरिद्वार गए। वहाँ की गंदगी देखकर बड़े दुखी हुए। कुंभ के मेले में उन्होंने फिनिक्स आश्रम के नवयुवकों को सेवाकार्य में लगा दिया। ऋषिकेश में एक साधु मिले। उन्होंने उनकी सेवा की बड़ी प्रशंसा की और अंत में कहा, "आप अपने आपको हिन्दू कहते हैं फिर आपने चोटी और जनेऊ क्यों उतार दिए। ये तो हिन्दू धर्म की निशानी हैं।" गांधी जी ने उत्तर दिया– "मैं चोटी तो रख सकता हूँ, पर जनेऊ नहीं पहनूँगा क्योंकि देश में बहुत–से लोग जनेऊ न पहनकर भी हिन्दू बने हुए हैं।"

पूर्व और उत्तर भारत की यात्रा के पश्चात् गांधी जी ने दक्षिण की यात्रा की। मदुरै (मदुरा) में जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। एक स्थान पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने पीड़ितों की दुर्दशा पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा ''हिन्दू धर्म में अछूतों का तिरस्कार करने की बात नहीं है, उनके साथ धर्म अन्याय नहीं कर रहा है। उसके अनुयायी कर रहे हैं।'' उन्होंने अछूतों को सफाई से रहने और जूठा अन्न न खाने की सलाह दी। दूसरी सभा में उन्होंने देशी भाषाओं के प्रयोग की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा–"अँग्रेजी भाषा अच्छी है, परन्तु इसीलिए हमें अपनी देशी भाषाओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमें मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए। वे अपने भाषणों में चर्खे से सूत कातने और कपड़ा बुनने की चर्चा भी करते थे।

जब गांधी जी ने संपूर्ण देश की यात्रा कर ली, तब वे किसी स्थान पर अपने अफ्रीका के साथियों को लेकर बैठना चाहते थे और उसे अपने कार्यक्रमों का केन्द्र बनाना चाहते थे। उन्हें कई स्थान सुझाए गए परन्तु उन्होंने अहमदाबाद को ही चुना ।

साबरमती का सत्याग्रह आश्रम

गांधी जी में प्रकृति का आकर्षण प्रबल था। वे जनरव से दूर अपना आश्रम बनाना चाहते थे। अहमदाबाद के पास साबरमती नदी बहती है। उसी के किनारे 15 मई 1915 को महात्मा जी ने आश्रम की स्थापना की। उन्होंने उसका नाम सत्याग्रह आश्रम रखा, पर जनता

साबरमती आश्रम

उसे साबरमती आश्रम कहती है। सत्य,अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सहित स्वदेशी

व्रत का जीवन आश्रमवासियों को बिताना था। आश्रम में पहले उनके अफ्रीका के थोड़े साथी सम्मिलित हुए। फिर धीरे–धीरे आश्रमवासियों की संख्या बढ़ती गई।

आश्रमवासियों को सादे वस्त्र और भोजन से संतोष करना पड़ता था। भोजन के पदार्थों में मिर्च–मसाले नहीं डाले जाते थे, दूध बहुत कम दिया जाता, परन्तु फल और मेवे अधिक दिए जाते थे ।

आश्रमवासियों को छुट्टियाँ नहीं दी जाती थीं। उन्हें अपने हाथ से ही सारा काम करना पड़ता था। उनसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं ली जाती थी। जो अतिथि आते थें, उन्हें भी आश्रम के नियमों का पालन करना होता था।

आश्रम में हरिजन परिवार का प्रवेश

आश्रम की स्थापना के कुछ समय बाद गांधी जी को हरिजनों का कार्य करने वाले ठक्कर बापा की एक चिट्ठी मिली जिसमें उन्होंने आश्रम में एक हरिजन परिवार को रखने की सिफारिश की थी और पूछा था कि क्या उसे शीघ्र भेजा जा सकता है। गांधी जी धर्मसंकट में पड़ गए, इसलिए नहीं कि उन्हें आपत्ति थी, वरन् इसलिए कि आश्रम के कुछ लोगों को बहुत आपत्ति थी। फिर भी गांधी जी ने अछूत परिवार को आश्रम में बुला लिया। आश्रमवासी तो गांधी जी की इच्छा का बहुत समय तक विरोध नहीं कर सके, परन्तु विरोध घर में ही बहुत दिनों तक जारी रहा। उनकी पत्नी कस्तूर बा अछूतों के प्रवेश से उन पर बहुत झल्लाईं, बहुत बिगड़ीं। गांधी जी अपने सिद्धांत से डिगने वाले प्राणी नहीं थे। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक अपनी पत्नी से कह दिया, ''आश्रम से हरिजन परिवार नहीं जा सकता। यदि तुम उनके साथ नहीं रह सकती तो तुम आश्रम छोड़कर जा सकती हो।'' कस्तूरबा ने अंत में गांधी जी की इच्छा का पालन किया। वे हरिजन परिवार के साथ रहने लगीं। हरिजन परिवार का आश्रम में देखकर बहुत से दानियों ने दान देना बंद कर दिया। आश्रम की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। उसकी व्यवस्था गांधी जी के भतीजे मगनलाल कर रहे थे। उन्होंने गांधी जी से कहा,''बापू आपकी नीति से आश्रम की अर्थ व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। हमारे पास उसे चलाने के लिए अब द्रव्य नहीं रह गया है।''

बापू ने कहा– ''घबराओ नहीं, भगवान सहायता करेगा।'' और सचमुच दूसरे दिन ही भगवान ने सहायता कर दी। बापू बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे, सबेरे का वक्त था। एक बालक दौड़ा–दौड़ा आया और बोला, "बापू मोटर में एक सेठ आए हैं, आपको बुला रहे हैं।'' गांधी जी उठकर फाटक के पास गए। मोटर में बैठे सेठ ने उतरकर कहा–"गांधी जी, मैं आश्रम की सहायता करना चाहता हूँ। आप स्वीकार करेंगे न ?" गांधीजी ने कहा–''क्यों नहीं।

"तो कल मैं इसी समय आऊँगा। आप आश्रम में ही रहें"–इतना कहकर सेठ चले गए। दूसरे दिन ठीक समय पर फाटक के पास मोटर का भोंपू बजा। गांधी जी समझ गए कि सेठ का आगमन हुआ है। वे आश्रम के द्वार पर गए। सेठ ने तुरंत उनके हाथ में तेरह हजार के नोट रख दिए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और मोटर में बैठकर लौट गए। गांधी जी को ऐसा दानी और दान देने का ऐसा तरीका पहली बार दिखाई दिया। इस सहायता से एक वर्ष के लिए मगनलाल भाई बेफिक्र हो गए। इसी अवधि में लोगों की गांधी जी के हरिजन कार्य में रुचि बढ़ गई और वे उनकी सहायता के लिए तैयार हो गए । आश्रम में हरिजन परिवार आश्रमवासियों के साथ हिलमिल गया। हरिजन दूधा भाई की एक छोटी कन्या थी। गांधी जी उसे बहुत प्यार करते थे। उसे उन्होंने अपनी पोष्य पुत्री बना लिया। जब आश्रम का कार्य निश्चित गति से चलने लगा तब गांधी जी ने

अपने सिद्धांतों को जनता तक पहुँचाने के लिए आश्रम से बाहर जाने के कार्यक्रम बनाए।

हिन्दू विश्वविद्यालय का क्रांतिकारी भाषण

4 फरवरी, 1916 का दिन वाराणसी (बनारस) के इतिहास में सदा स्मरण रहेगा। महामना पं. मदन मोहन मालवीय ने देश के कोने–कोने में घूमकर चंदा एकत्र कर हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। शहर से दूर कई सौ एकड़ भूमि पर विश्वविद्यालय के भव्य भवन खड़े थे। उस दिन मालवीय जी का स्वप्न साकार हुआ था । इसका शिलान्यास वायसराय द्वारा हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में यह उद्‌घाटन समारोह मनाया जा रहा था। देश भर के राजा–महाराजा, अँग्रेज अधिकारी आदि गण्यमान्य लोग इकट्ठे हुए थे। महाराज दरभंगा हीरे–जवाहरातों में जड़ी पोशाक पहनकर सभापति पद पर विराजमान थे। आज महात्माजी को बोलना था। सभापति ने उन्हें मंच पर आने के लिए आमंत्रित किया। काठियावाड़ी पगड़ी, अँगरखा, धोती और चप्पल पहने ठिगना और साँवला–सा व्यक्ति धीरे–धीरे मंच पर आकर खड़ा हो गया और उसने बोलना प्रारंभ कर दिया–

"मैं भाषण देने नहीं आया। अपनी बात कहने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ वक्ता अँग्रेजी में बोल रहे हैं, जब कि यहाँ की जनता हिंदी बोलती और समझती है। हम अपनी भाषाओं का कब तक तिरस्कार करते रहेंगे ? इस मंच पर बोलने वाले महाराजा और अन्य वक्ताओं ने भारत की गरीबी की बात कही, परन्तु मैं यहाँ तो गरीबी की कोई निशानी नहीं देखता। राजा–महाराजा हीरे–जवाहरातों की पोशाक में शोभित हो रहे हैं। मेरा विश्वास है कि भारत का उद्धार तभी होगा, जब धनी–मानी लोग अपने हीरे–जवाहरात को जनता की गरीबी दूर करने के लिए अर्पित कर देंगे । गरीब जनता की जेब से निकाले गए पैसों से धनी लोग शानदार जिंदगी बिता रहे हैं; ऊँचे–ऊँचे महल खड़े कर रहे हैं। मैं राजद्रोहियों का सम्मान करता हूँ। पर उनके हिंसक कार्यों को पसंद नहीं करता। मैंने विश्वनाथ के मंदिर के आस–पास जो गंदगी देखी उससे मुझको बहुत दुःख हुआ। रेल यात्रा करते समय भी मैं लोगों को डिब्बों में गंदगी फैलाते देखता आया हूँ। अज्ञान ही इसका कारण है। क्या हम जनता को स्वच्छता से रहना नहीं सिखा सकते हैं?"

जब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन की तीखी आलोचना प्रारंभ की, तब राजभक्त 'बैठो –बैठो चिल्लाने लगे और नवयुवक तथा विद्यार्थी 'बोलिए–बोलिए' की आवाज लगाने लगे। सभा में हुल्लड़ भी मचने लगा; लोग भागने लगे। सभापति महाराजा दरभंगा सभा छोड़कर चले गए। तब गांधी जी ने हँसते हुए कहा–"मैंने कई सभाओं में लोगों को सभा छोड़कर जाते देखा है, परन्तु सभापति को सभा समाप्त किए बिना जाते नहीं देखा।"

महात्मा जी के भाषण में देश की दशा का जो चित्रण था और पूँजीपति राजा–महाराजाओं की विलासिता पर जो सीधा प्रहार था तथा अँग्रेजी शासन की जो चुभती आलोचना की उसने बड़ी सनसनी फैला दी। वाराणसी (बनारस) के कलेक्टर ने उन्हें तुरंत काशी छोड़ देने का आदेश दिया। मालवीय जी ने आदेश को रद्द कराने की असफल कोशिश की। गांधी जी स्वयं काशी छोड़ने का कार्यक्रम बना चुके थे। अतः वे दूसरे दिन वहाँ से चल दिए ।

महात्मा जी का वाराणसी (बनारस) विश्वविद्यालय में दिया गया पहला भाषण था जिसने सारे देश में तहलका मचा दिया। उन्होंने बिना आडम्बर के सीधे, साफ शब्दों में देश की दशा पर दो आँसू मात्र बहाए थे। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता की चिंता किए बिना अपनी बात निडर होकर कही। उनके चरित्र की यह बड़ी भारी विशेषता थी ।

चम्पारन में गांधी जी

बिहार के चम्पारन में नील की खेती होती थी। खेती पर बिहारी किसान और गोरों की मालिकी थी। किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में गोरों के लिए नील की खेती कानूनन करनी पड़ती थी। वहाँ 20 कट्टे का एक एकड़ होता था। उसमें तीन कट्टे नील किसानों को बोनी पड़ती थी। गोरे, किसानों को श्रम का उचित लाभ नहीं देते थे। गांधी जी चम्पारन गए और जब किसानों की शिकायत की जाँच करने लगे, तो गोरों ने उनका विरोध किया। वहाँ के अँग्रेज कमिश्नर ने गांधी जी की जाँच में रोड़े अटकाए, उन्हें गिरफ्तार किया परन्तु वायसराय के आदेश से वे छोड़ दिए गए। जाँच में किसानों का पक्ष सही पाया गया और सरकार को सौ वर्ष पुराने तीन कठिया कानून को रद्द करना पड़ा। गोरे नील के व्यापारियों को अनुचित रीति से लिए गए रुपए किसानों को लौटाने पड़े। चम्पारन की सत्याग्रह की लड़ाई में गांधी जी को पीड़ितों के रक्षक के रूप में और अधिक ख्याति प्रदान की।

चम्पारन से गांधी जी अपने आश्रम में लौटे ही थे कि अहमदाबाद के मजदूरों ने उनके सामने अपनी कष्ट कहानी सुनाई। मिल मालिक उन्हें बहुत कम वेतन दे रहे थे। यद्यपि गांधीजी का मिल मालिकों से मधुर संबंध था। फिर भी वे मजदूरों के लिए उनसे झगड़ने को तैयार हो

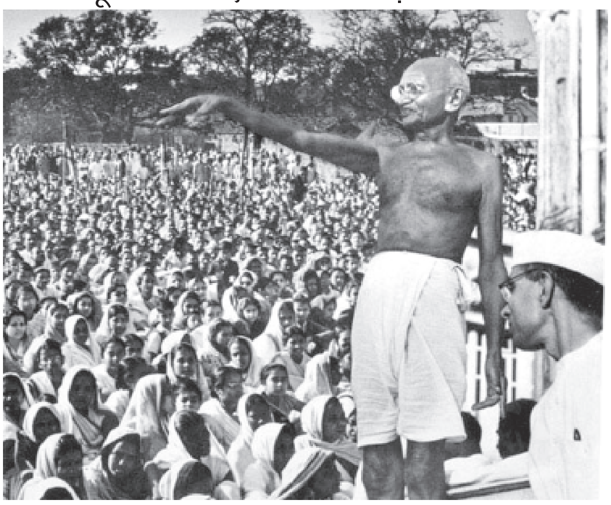

गए, क्योंकि मजदूरों का पक्ष उन्हें सही मालूम हुआ। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल की सलाह दी, पर यह शर्त रखी कि हड़ताल सर्वदा शांतिपूर्ण हो। हड़ताल कई दिनों तक चली। इस बीच गांधी जी ने देखा कि मजदूरों का धैर्य टूट रहा है और वे हिंसा की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। अतः उन्होंने आत्म शुद्धि की दृष्टि से मजदूरों पर प्रभाव डालने के लिए उपवास शुरू कर दिया। मिल मालिक झुके और उन्होंने पंच फैसले के अनुसार मजदूरों की माँग पूरी कर दी।

खेड़ा सत्याग्रह

गुजरात में खेड़ा नामक एक जिला है। वहाँ के अधिकतर लोग किसान हैं। खेती उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। सन् 1917–18 में जिले की अधिकांश फसल मारी गई थी। किसान निराश थे, लगान देने में असमर्थ थे परन्तु सरकार सख्ती से लगान वसूल करने पर तुल गई थी। कायदा यह था कि फसल रुपए में चार आने से कम हो, तो उसे साल का पूरा लगान और यदि छह आने से कम और चार आने से अधिक हो तो उसे आधा लगान मुलतबी रखा जा सकता है। गांधी जी को जानकारी थी कि जिले के छह सौ गाँवों में सिर्फ एक गाँव का पूरा लगान और एक सौ चार गाँवों का आधा लगान मुल्तबी रखने का सरकार ने निर्णय लिया है। किसान सरकार द्वारा दी गई राहत से संतुष्ट नहीं थे । सरकार के एजेण्ट, पटवारियों, ने सरकार को झूठी रिपोर्ट दी थी। विवाद इस बात पर था कि फसल कितने आने हुई है। गांधी जी ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि वह प्रजा के प्रतिनिधियों की सहायता से फसल की उपज की जाँच कराए और किसानों को न्यायपूर्ण राहत दे।

सरकार ने गांधी जी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और लगान की वसूली सख्ती से प्रारंभ कर दी। अब गांधी जी के पास सत्याग्रह अस्त्र के उपयोग के सिवाय दूसरा उपाय नहीं था। उन्होंने किसानों को लगान न

चुकाने की सलाह दी। जिले भर में लगान बंदी सत्याग्रह का जोर बढ़ा, तो सरकार जरा झुकी। उसने छोटे किसानों की लगान वसूली स्थगित कर दी। परन्तु बड़े किसानों की लगान वसूली में कुछ भी राहत नहीं दी। गांधी जी ने सरकार के इस निर्णय को सत्याग्रह की आधी विजय कहा क्योंकि गरीब और अमीर दोनों श्रेणियों के किसानों को फसल के खराब हो जाने के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा था। जिन्हें लगान चुकाना था उन्हें अपने किसानी के पशु, स्त्रियों के आभूषण और घर का दीगर सामान बेचना पड़ रहा था। उनके सामने संकट यह था कि यदि वे समय पर लगान न चुकाते, तो उनके खेत नीलाम पर चढ़ जाते।

यह सच है कि सत्याग्रह से पूर्ण सफलता नहीं मिली, परन्तु इससे जनता में सरकार के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का साहस अवश्य पैदा हुआ।

विद्रोही गांधी

ब्रिटिश सरकार ने महायुद्ध समाप्त होने पर भारतीयों की सहायता के उपलक्ष्य में कुछ शासन सुधार प्रस्तावित किए। उन्हें कुछ राजनीतिक नेताओं ने स्वीकार करने के पक्ष में और कुछ ने विपक्ष में राय दी । विपक्ष में राय देने वाले लोग गरम दल के लोग कहलाए और पक्ष में राय देने वाले नरम दल के। गरम दल वाले सुधारों को निष्प्राण कहते थे और चाहते थे कि सरकार साम्राज्य के अंतर्गत भविष्य में पूर्ण शासकीय अधिकार प्रदान कर दे। इधर भारतीयों को स्वाधीनता की आकांक्षा बढ़ रही थी। ब्रिटिश सरकार ने रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी कायम की। उसने अपनी रिपोर्ट में भारतीयों की स्वतंत्रता की भावनाओं को रौंदने के लिए सुझाव पेश किए, जिनके अमल में आने पर जनता सम्मानपूर्वक जिंदगी नहीं बिता सकती थी उसके अनुसार सरकार किसी को भी राजद्रोही होने के संदेह में, बिना मुकदमा चलाए, बंदी बना सकती थी। बिना आज्ञा वह निर्दिष्ट स्थान को नहीं छोड़ सकता था। पुलिस की आज्ञा से उसे उसके सामने हाजिरी देनी पड़ती। जिस पुस्तक को सरकार राजद्रोहात्मक समझती उसे न कोई रख सकता था और न बेच सकता था। व्यक्ति की स्वाधीनता पर यह जबर्दस्त कुठाराघात था।

जिस समय 'रोलेट कमेटी' की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, गांधी जी बीमारी से उठकर धीरे –धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। उन्होंने कुछ मित्रों से सलाह ली और सरकार के प्रस्तावित 'रोलेट बिल' का विरोध करने का निश्चय किया। सरकार ने रोलेट की रिपोर्ट को कानून का रूप दे दिया ।

गांधी जी दमनकारी कानून के संबंध में नेताओं से विचार करने के लिए चेन्नई (मद्रास) गए। उन्होंने नेताओं से कहा कि हमें इस कानून को रद्द कराने के लिए आंदोलन करना होगा यह आंदोलन सत्याग्रह के सिद्धांत के अनुसार चलाना होगा। चेन्नई (मद्रास) के नेता गांधी जी से सहमत हो गए। अतः सारे देश में 30 मार्च 1919 को हड़ताल करने की घोषणा की गई। परन्तु बाद में तारीख बदलकर 6 अप्रेल निश्चित की गई। घोषणा के अनुसार ही सारे देश में हड़ताल हो गई दिल्ली में पूर्व निर्धारित 30 मार्च 1919 को हड़ताल की गई। स्वामी श्रद्धानंद ने जोरदार भाषण दिया। पुलिस और सेना ने जनता को तितर–बितर करने की कोशिश में गोली चलाई, जिससे कुछ आदमी मारे गए। स्वामी श्रद्धानंद का ऊँचा, भव्य शरीर था। संन्यासी के वेश में वे जन समूह के आगे चल रहे थे। जब सैनिकों ने उन्हें रोका तो उन्होंने अपनी छाती खोलकर सामने कर दी। पुलिस की गोली ने स्वामी जी के प्राण ले लिए। दिल्ली की जनता का बलिदान और स्वामी जी के दिलेरी के समाचार फैलते ही देश की जनता में बिजली–सी दौड़ गई। वह कुछ करने के लिए उतावली हो गई। 6 अप्रेल को मुंबई में हड़ताल

के रूप में गांधी जी ने सत्याग्रह का श्रीगणेश किया। हजारों लोग जुलूस बनाकर सड़कों पर निकले गांधी जी ने कई स्थानों पर भाषण दिए और जनता को सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने अपनी दो जप्त पुस्तकें– "हिन्दू स्वराज्य" और "सर्वोदय"– को बेचकर कानून भंग किया। यह भी सत्याग्रह का एक प्रकार था। परन्तु सरकार ने गांधी जी और उनके साथियों को कानून भंग करने के अपराध में गिरफ्तार नहीं किया।

गांधी जी की गिरफ्तारी

गांधी जी दिल्ली की जनता के निमंत्रण पर दिल्ली रवाना हो गए, परन्तु मार्ग में ही पुलिस ने उन्हें दिल्ली और पंजाब में न जाने देने की सरकारी सूचना दी। पुलिस ने उन्हें गाड़ी से उतरने को कहा। जब वे नहीं उतरे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मुंबई भेज दिया गया, जहाँ वे छोड़ दिए गए।

गांधीजी की गिरफ्तारी का समाचार ज्यों ही अहमदाबाद और दूसरे शहरों में पहुँचा त्यों ही जनता में असंतोष की आग भड़क उठी और वह हिंसा के काम करने लगी। स्थान–स्थान पर हड़तालें हुईं। एक स्थान पर पुलिस कर्मचारी की हत्या की गई और रेल पटरी उखाड़ी गई। अहमदाबाद में सरकार ने फौजी कानून जारी कर दिए। गांधी जी को जनता के हिंसा के कार्यों से बड़ा दुख हुआ। वे मुंबई से अहमदाबाद गए, कमिश्नर से मिले, उसे फौजी कानून की अनावश्यकता समझाई। अंत में सरकार ने फौजी कानून उठा लिया, जिससे जनता शांत हो गई परन्तु गांधी जी का हृदय जनता के हिंसापूर्ण कार्यों के कारण बहुत दिनों तक अशांत बना रहा। उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप तीन दिन तक उपवास किया और सत्याग्रह को स्थगित कर दिया। जनता ने सत्याग्रह का ठीक–ठीक तरह से अर्थ नहीं समझा था । मुंबई में गिरफ्तार साथियों को छुड़ाने के लिए लोगों ने जेल पर धावा बोल दिया था। यह सत्याग्रह के सिद्धांत के विपरीत कार्य था।

गांधी जी स्वाधीनता की लड़ाई में मुसलमानों का भी सहयोग आवश्यक समझते थे। भारत में मुसलमान अँग्रेजों से इसलिए नाराज थे कि उन्होंने युद्ध की संधि में टर्की के सुलतान को खलीफा पद से वंचित कर दिया था और उसके स्थान पर अपने एक पिट्ठू को खलीफा बना दिया था। गांधी जी ने मुसलमानों के आंदोलन में साथ देने के लिए देश को तैयार किया। खिलाफत की एक सभा में उन्होंने विदेशी माल के बहिष्कार की जब बात कही तो उस पर लोग सहमत नहीं हुए। फिर एकाएक उनके मुख से असहयोग शब्द निकल गया। उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार से सहयोग करना छोड़ दें तो उसे हमारी माँगों को स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। गांधी जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि सत्याग्रह की अपेक्षा असहयोग आंदोलन अधिक शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जा सकता है। यदि लोग अपनी सरकारी उपाधियाँ छोड़ दें, वकील कचहरी जाना छोड़ दें, विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ना छोड़ दें, और सारे सरकारी नौकर नौकरी छोड़ दें, तो सरकार का काम–काज बिल्कुल ठप्प हो जाएगा।

गांधी जी ने मुसलमानों को खिलाफत के मसले को हल करने के लिए असहयोग का मार्ग सुझाया था, परन्तु बाद में यह मार्ग खिलाफत तक सीमित नहीं रहा, स्वाधीनता के आंदोलन का एक अंग बन गया।

गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के रूप में सत्याग्रह प्रारंभ करने की जो धारणा की थी, उसके फलस्वरूप देश–भर में हड़तालें हुईं और जनता पर पुलिस के प्रहार भी हुए। अमृतसर में हड़ताल मनाने के लिए जनता ने जलियाँवाला बाग में सभा का आयोजन किया। सभा में सरकार की दमन नीति का विरोध किया जाने वाला था। पंजाब सरकार ने

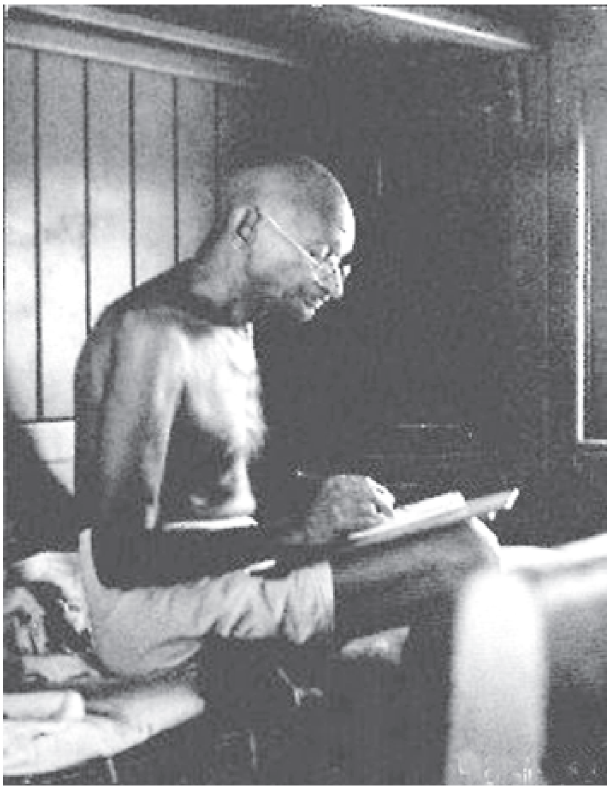

जनरल ओ डायर को अमृतसर की स्थिति सँभालने के लिए नियुक्त कर दिया। उसने आते ही सार्वजनिक सभा की मनाही की घोषणा कर दी। जनता ने उसकी उपेक्षा की। 'बागजन–समूह से भर गया। सभा कार्य चल ही रहा था कि जनरल ओ डायर 50 सैनिकों को लेकर वहाँ पहुँच गया और उसने पूर्व सूचना दिए बिना ही जनता पर गोली दागने का आदेश दे दिया। अधिकांश जनता भाग नहीं सकी। पल्टन ने 1650 बार गोली दागी, जिससे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 आदमी मारे गए और 1137 घायल हुए। उसके बाद ही जनरल ओ डायर ने आर्डर जारी किया कि भारतीय एक विशिष्ट सड़क पर खड़े होकर न चलें, चौपाया होकर रेंगें। प्रत्येक भारतीय को चाहिए कि अँग्रेज अफसर के आगे झुककर सलाम करे।

कानून भंग करने वाले को कोड़ों से पीटा जाता था। सारा पंजाब दमन की चक्की में पिस रहा था। गांधी जी को जनता की हिंसा और सरकार की प्रतिहिंसा से बड़ा क्षोभ हुआ। इसलिए उन्होंने 18 अप्रेल को रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह आंदोलन बंद करने की घोषणा कर दी।

गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल कहते थे। उसे स्थगित करने से गांधी जी के कई साथी रुष्ट हुए और पंजाब के युवकों ने तो यहाँ तक कहा कि यदि गांधी जी आंदोलन बंद न करते तो सरकार की दमन करने की हिम्मत न पड़ती।

असहयोग–आंदोलन

जलियाँवाला बाग हत्याकांड तथा अन्य नृशंस अत्याचारों के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर की भारत सरकार ने निंदा न कर प्रशंसा की। कुछ लोगों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक तक घोषित किया। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार बल प्रयोग से भारतीयों पर शासन करना चाहती है। उन्हें स्वाधीन बनाने का उसका कोई इरादा नहीं है।

सरकार के जन विरोधी रुख से गांधी जी का ब्रिटिश न्याय में रहा सहा विश्वास भी उठ गया। उन्होंने अपने साथियों के साथ अफ्रीका में बोअर युद्ध तथा जुलू विद्रोह में घायलों की सेवा सुश्रुषा कर ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। प्रथम महायुद्ध के समय इंग्लैंड में भारतीयों को घायलों की सेवा के लिए तैयार किया गया था और भारत आने पर मित्रों और जनता के विरोध के बावजूद खेड़ा के रँगरूटों की भर्ती का भी प्रयत्न किया था। उन्होंने ये सब सेवा कार्य इसलिए किए थे कि ब्रिटिश सरकार के साथ सद्भावना प्रदर्शित करने से भारत को शीघ्रातिशीघ्र स्वराज्य प्राप्त करने में सहायता मिल सकेगी।

युद्ध की समाप्ति के बाद सरकार ने स्वराज्य की दिशा में जो पहला कदम उठाया था, वह मांटेग्यु चेम्सफोर्ड के सुधार के अंतर्गत कुछ शासकीय विभागों का हस्तांतरण था। उन विभागों पर यद्यपि भारतीय मंत्री प्रशासन कर सकते थे, परन्तु उन पर गवर्नर और वाइसराय का अंकुश

रखा गया था। इस द्वैत शासन वाले सुधारों का अधिकांश नेताओं ने विरोध किया। उन्हें निकम्मा कहा। गांधी जी को विश्वास हो गया कि बिना संघर्ष किए स्वराज्य की मंजिल तय नहीं हो सकेगी। उन्हें असहयोग ही एक ऐसा उपाय सूझ पड़ा जो स्वराज्य देने के लिए अँग्रेजों को विवश कर सकता था ।

31 जुलाई 1920 की रात को भारतीय जनता को 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके ही रहूँगा ' का मंत्र देने वाले तेजस्वी नेता लोकमान्य तिलक का अचानक मुंबई में देहावसान हो गया। दूसरे दिन पहली अगस्त को गांधी जी ने लोकमान्य द्वारा भारतीय जनता को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार से असहयोग युद्ध की घोषणा कर दी और ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए 'कैसरे हिन्द पदक' को लौटाते हुए वायसराय को लिखा, ''ब्रिटिश सरकार लगातार अन्याय करती जा रही है और अन्यायकर्ता अधिकारियों की पीठ थपथपा रही है। ऐसी स्थिति में मेरा ब्रिटिश सरकार के न्याय में विश्वास नहीं रहा। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुझे ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं देना चाहिए। मैं अपने देशवासियों को भी यही सलाह दे रहा हूँ।''

असहयोग के कार्यक्रम में काउंसिलों अदालतों, स्कूलों, कॉलेजों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के अतिरिक्त सरकारी पदवियों को लौटाने की बात भी थी। उस समय अँग्रेज सरकार अपने भक्तों को रायबहादुर, रायसाहब, खानबहादुर, खान साहब, सर आदि की पदवियाँ प्रदान किया करती थी। गांधी जी ने लोगों से सरकारी कचहरियों में न जाकर पंचायतों में अपने झगड़ों को सुलझाने की सलाह दी। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शालाओं और विद्यापीठों में पढ़ने को कहा। विदेशी वस्तुओं के स्थान पर खादी धारण करने का आग्रह किया। लोगों से शराब और नशीली चीजों का प्रयोग न करने की अपील की, सरकारी कर्मचारियों को भी नौकरी छोड़ने को प्रेरित किया। सारांश यह कि भारतीयों को अँग्रेज सरकार से सर्वथा संबंध विच्छेद करने की बात सुझाई गई। संक्षेप में असहयोग आंदोलन का यही उद्देश्य था।

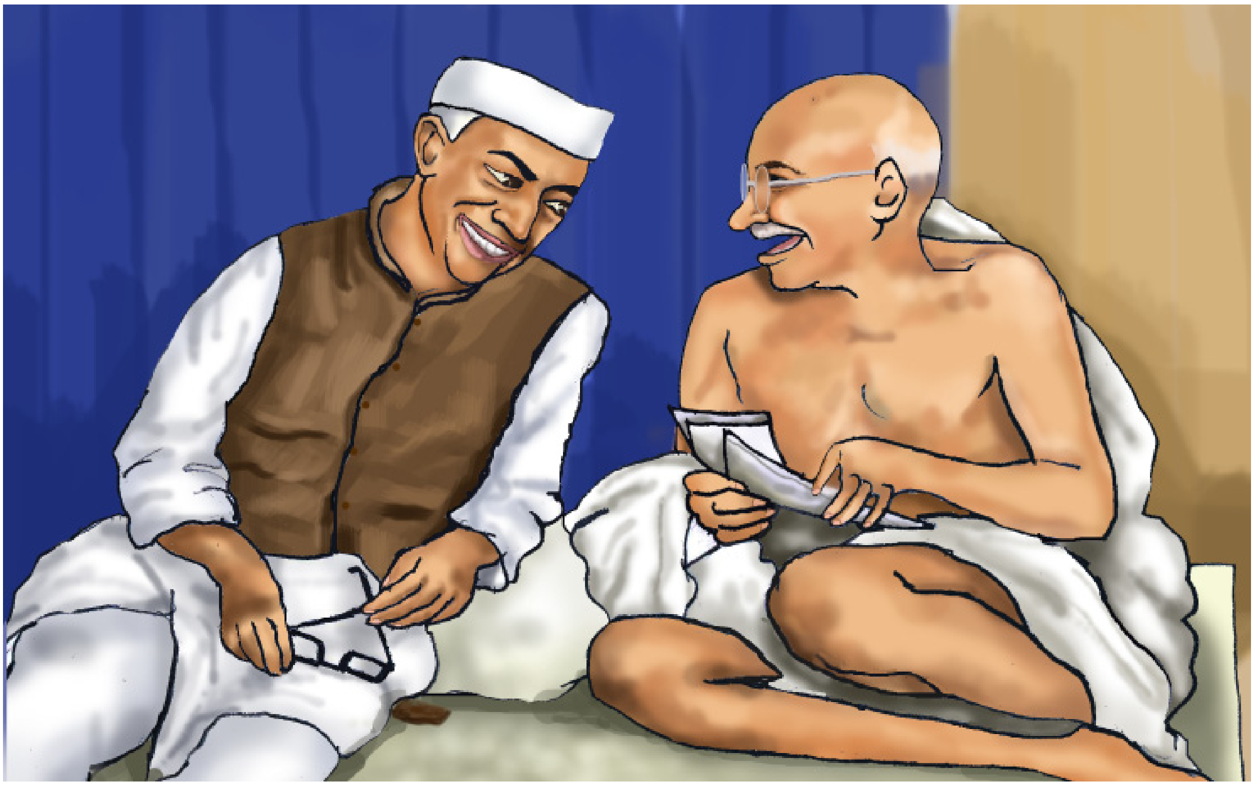

गांधी जी ने आंदोलन का श्री गणेश करने के पूर्व जनता से प्रत्येक स्थिति में शांति बनाए रखने की प्रार्थना की, हिंसा के कार्यों से दूर रहने का उपदेश दिया। उस समय देश में ऐसी गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएँ थीं, जो अहिंसा में विश्वास नहीं रखती थीं। उनके द्वारा यदा –कदा अँग्रेज अधिकारियों पर घातक आक्रमण होते रहते थे। क्रांतिकारियों का विश्वास था कि हिंसा की घटनाओं से अँग्रेज आतंकित होकर भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। गांधी जी का मत उसके विपरीत था । उन्होंने अनुभव किया था कि यदि स्वराज्य आंदोलन को जनता तक पहुँचाना है, तो उसे अहिंसा का रूप ही देना होगा। हिंसा का मार्ग जन समूह को आकर्षित नहीं कर सकता। इसलिए वे सत्याग्रहियों को मारना नहीं, मरना सिखाते थे और जनता में हिंसा की प्रवृत्ति देखते तो आंदोलन को स्थगित कर आत्मशुद्धि के लिए स्वयं उपवास करते थे।

गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करते ही यह घोषित किया कि यदि जनता ने मेरे सुझाए मार्ग का अवलंबन किया, तो एक वर्ष में ही भारत को स्वराज्य प्राप्ति हो जाएगी।

उन्होंने अपने आंदोलन का समर्थन कोलकाता काँग्रेस से प्राप्त कर लिया। कोलकाता काँग्रेस के बाद से काँग्रेस पर गांधी जी का एक प्रकार से आधिपत्य ही हो गया। जो काँग्रेस पहले अँग्रेज और अँग्रेजियत का आदर करने वाले नेताओं के इशारे पर चलती थी, वह अब जनसाधारण के प्रतिनिधि गांधी जी के इशारे पर नाचने के लिए तैयार हो गई। काँग्रेस में सादगी का वातावरण दिखाई देने लगा। काँग्रेसी जनता के बीच धरती पर बैठकर अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा हिन्दी में बात करने लगे और धोती, कुर्ता तथा टोपी की वेश–भूषा में रहने लगे। गांधी जी ने काँग्रेस और काँग्रेस कार्यकर्ताओं की कायापलट कर दी।

अंतर्मन मम विकसित करो हे

कोलकाता काँग्रेस के बाद गांधी जी अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए रवीन्द्र नाथ ठाकुर के शांति निकेतन में गए। जनरव से दूर, प्रकृति की गोद में स्थित यह निकेतन गांधी जी को अत्यंत मुग्धकारी लगने लगा। छोटी, सादी, झोपड़ियों में अध्यापक, छात्र और छात्राएँ रहकर परिवार के समान जीवन यापन करते थे। पेड़ों के नीचे अध्ययन–अध्यापन होता था। इन दृश्यों को देखकर गांधी जी को लगा, मानो प्राचीन गुरुकुल ने पुनः जीवन धारण कर लिया हो। उन्हें एक बात से तो और भी हर्ष हुआ कि विश्राम के क्षणों में छात्र–छात्राओं के कंठों से रवीन्द्र संगीत झरता था। वहाँ एक प्रार्थना–मंदिर था, जहाँ नित्य प्रार्थना होती थी। उस समय शांति निकेतन में भारत भक्त सी.एफ. एंड्रूज भी थे, जिन्हें गांधी जी प्यार से चार्ली कहा करते थे। काका कालेलकर भी वहीं थे, जो बाद में गांधी जी के आश्रम में आ गए थे।

रवि बाबू ने गांधी जी का शिक्षकों और शिक्षितों से मिलाप कराने के लिए प्रार्थना–मंदिर के प्रांगण में एक सभा आयोजित की। गांधी जी एक छोटे–से आसन पर आसीन किए गए। सामने गंध–पुष्प रखे गए। वातावरण सौरभ

से भर गया।

बालाओं ने कवि के इस गीत को गाया
अंतर्मन मम विकसित करो हे,
निर्मल करो, उज्ज्वल करो,
सुंदर करो हे,
जागृत करो, उन्नत करो,
निर्भय करो हे ।
अंतर्मन विकसित करो, वंदित करो हे।

गांधी जी शांत भाव से बैठे रहे और अंत में धीरे–से उन्होंने छात्रों से अपनी मातृभाषा और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य पालन के संबंध में दो शब्द कहे। रवि बाबू ने 'तोमारे करि नमस्कार' गीत से सभा की समाप्ति की।

असहयोग आंदोलन की आँधी

कोलकाता काँग्रेस के निर्णय के पश्चात् देश भर में 'असहयोग कर दो असहयोग कर दो' आवाज़ गूँजने लगी। स्कूल–कॉलेजों से विद्यार्थी हजारों की संख्या में निकल आए और राष्ट्रीय गीत गा–गाकर जनता में आज़ादी की आग सुलगाने लगे। कौंसिल के चुनाव में गैर काँग्रेसी खड़े हुए और कौंसिल के सदस्य बन गए। उनमें सरकारी बिलों का विरोध करने का साहस न था। इस प्रकार कौंसिल की निस्सारता सिद्ध हो गई।

दिसम्बर 1920 में नागपुर काँग्रेस ने भी गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। आंदोलन को चलाने के लिए लोकमान्य तिलक की स्मृति में एक करोड़ का 'तिलक स्वराज्य फंड' कायम हुआ ।

स्वराज्य के कई अर्थ लगाए गए, परंतु गांधी जी उसका अर्थ 'अपना राज्य' लगाते थे। गांधी जी ने काँग्रेस का नया संविधान बनाया और गाँव–गाँव में काँग्रेस कमेटियाँ कायम कीं। उन्होंने हिन्दू–मुसलमानों को परस्पर भाई–भाई के समान रहने का उपदेश दिया, अछूत कही जाने वाली जातियों को अछूत न रखने के लिए आग्रह किया। स्वराज्य का आंदोलन जनता तक पहली बार पहुँचा था। इससे उसमें प्रबल उत्साह दिखाई पड़ता था। महात्मा जी ने वर्ष भर देश के कोने–कोने में दौरा किया। वे रेल, मोटरगाड़ी और बैलगाड़ी का भी यात्रा में उपयोग करते थे। जहाँ जाते, विदेशी वस्तुओं को फेंकने की बात कहते और उनके सामने ही लोग विदेशी कपड़ों का ढेर लगा देते थे। देश भर में, जगह–जगह विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। यद्यपि सरकार ने देश भर में गिरफ्तारियों की धूम मचा दी, पर वह गांधी जी को, उनकी लोकप्रियता के कारण, पकड़ने से झिझकती रही।

जनता उन्हें असाधारण पुरुष मानती थी। इसलिए उनकी एक प्रकार से आराधना करने लगी। एक बार बिहार के एक गाँव में जब वे यात्रा कर रहे थे, तब उनकी मोटर पंचर हो गई। वे उतरकर चलने लगे। सामने एक बुढ़िया मिली, बोली–"बेटा, मेरी उमर 104 साल की है। न जाने कब चोला छूट जाए। मैं एक बार महात्मा गांधी को देखना चाहती हूँ।" गांधी जी ने पूछा– "क्यों माँ, तू उसे क्यों देखना चाहती है?" बुढ़िया बोली, "बेटा, वह भगवान का अवतार है न।"

असहयोग आंदोलन के काल में गांधी जी खादी का पंछा, खादी का कुर्ता और खादी की सफेद टोपी पहनते थे। उनका अनुसरण कर काँग्रेसी देशभक्त भी उन्हीं के समान खादी की सफेद टोपी पहनने लगे, जिसे बाद में लोग गांधी टोपी कहने लगे। थोड़े दिनों के बाद गांधी जी ने गरीब–से–गरीब जो वस्त्र पहन सकता है, उसको पहनना प्रारंभ कर दिया। अब उनकी पोशाक थी–खादी की लँगोटी, घुटनों तक धोती और जाड़े के दिनों में खादी की शाल। वे भीतर से तो महात्मा थे ही, बाहरी वेशभूषा से भी महात्मा लगते थे।

असहयोग आंदोलन तेजी पकड़ता जा रहा था। शहर–शहर, गाँव–गाँव में सभाएँ होती थीं। जोशीले भाषण दिए जाते थे। राष्ट्र को

जगानेवाला 'वन्देमातरम्' गीत गाया जाता था, जिससे सरकार बहुत चिढ़ती थी। लड़के और नौजवान गाते थे–

छीन सकती है नहीं सरकार
वंदे मातरम्।
हम गरीबों के गले का हार
वंदे मातरम्।।
सिरचढ़ों के सिर में चक्कर
उस समय आता जरूर ।
कान में पहुँची जहाँ झंकार
वंदे मातरम्।।

काँग्रेस द्वारा स्वराज्य प्राप्ति की घोषणा हुए एक वर्ष की समाप्ति का समय ज्यों–ज्यों निकट आता जाता था, नवयुवक अधीर हो जाते थे। शांतिमय असहयोग आंदोलन में युद्ध की गर्मी नहीं थी। वे लड़ाकू ढंग के आंदोलन की माँग कर रहे थे। गांधी जी कर बंदी आंदोलन आरंभ कर सकते थे, परंतु उसे देशव्यापी बनाने में उन्हें हिंसा का भय था। जनता जब कर न देती, तो सरकार जोर–जुल्म कर उसे वसूल करने की कोशिश करती। ऐसी दशा में दोनों ओर से मारपीट की संभावना थी। परन्तु नवयुवकों के जोश को देखते हुए उन्होंने सीमित दायरे में करबंद आंदोलन का प्रयोग करना चाहा और इसके लिए गुजरात के बारडोली जिले को चुना। वे आंदोलन की तैयारी कर ही रहे थे कि उन्हें समाचार मिला कि चौरी–चौरा (उ.प्र) में जनता और पुलिस में मुठभेड़ होने के कारण जनता ने पुलिस चौकी के साथ कुछ पुलिस कर्मचारी भी जला डाले। गांधी जी को इससे अत्यंत दुख और निराशा हुई। उन्होंने बारडोली में सत्याग्रह प्रारंभ करने का विचार छोड़ दिया और सारे देश में चलने वाले असहयोग–आंदोलन को भी स्थगित कर दिया तथा आत्मशुद्धि के लिये 6 दिन का उपवास भी किया।

गांधी जी को सरकार अधिक समय तक मुक्त नहीं रख सकती थी। उसने उन्हें 'यंग इंडिया' में प्रकाशित लेख के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और अहमदाबाद की अदालत में राजद्रोह का मुकदमा चला दिया। अँग्रेज जज ब्रुम फील्ड ने सजा सुनाते समय जरा सिर झुकाकर कहा, "आप करोड़ों लोगों की दृष्टि में महान् देशभक्त और नेता हैं। जो आपसे राजनीति में मतभेद रखते हैं, वे आपके ऊँचे आदर्श और संत के समान जीवनचर्या के कारण आपका आदर करते हैं। कानून की रक्षा के लिए मैं आपको 6 वर्ष की सादी सजा दे रहा हूँ, परन्तु यदि परिस्थिति बदले और सरकार आपको इसके पूर्व ही छोड़ दे, मुझे सबसे अधिक खुशी होगी।" सरकारी अँग्रेज, जिनकी सरकार के खिलाफ गांधी जी अहिंसात्मक लड़ाई लड़ते थे, उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वे सत्यवादी और निश्छल महापुरुष थे ।

छह वर्ष की सजा काटने के लिए गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया। वहाँ उन्होंने जेल में नियमों का पालन किया। चरखे के सिवाय और किसी चीज़ की माँग नहीं की। उन्होंने अपना समय चरखा कातने के अतिरिक्त महान् लेखकों के ग्रंथों के अध्ययन में व्यतीत किया। सभी धर्मों के ग्रंथों का भी वे पारायण करते रहते थे।

एक रात उनके पेट में असह्य पीड़ा हुई। जेल में अँग्रेज सर्जन ने उनकी परीक्षा की और उसे ऐसा जान पड़ा कि यदि तुरंत शल्य–क्रिया न की गई तो उनके प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए उसे सरकार की अनुमति लिए बिना शल्य–क्रिया कर आँतपुच्छ काट डाला। इसके बाद भी गांधी जी का स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा था। सरकार उन्हें जेल में मरने देना नहीं चाहती थी, अतः वे सजा पूरी होने के पूर्व ही छोड़ दिए गए। छूटने के बाद वे मुंबई में कुछ समय तक रहे, जहाँ उन्होंने अपना स्वास्थ्य सुधारा।

असहयोग–आंदोलन की समाप्ति के बाद काँग्रेसियों के पास उस समय एक ही कार्यक्रम

रह गया था, वह था कौंसिलों में जाकर सरकार के काम में अड़ंगे डाल उन्हें भंग करने का। कुछ काँग्रेस जन कौंसिल प्रवेश के पक्ष में नहीं थे। दोनों गांधी जी से जब सलाह लेने आए तो उन्होंने दोनों को अपना–अपना मार्ग ग्रहण करने की छूट दे दी और स्वयं रचनात्मक कार्यों में लग गए। उनके रचनात्मक कार्य थे–चरखा, खादी, ग्राम सुधार, नशाबंदी, हरिजनोद्धार, हिन्दू–मुस्लिम एकता आदि ।

सन् 1924 में जब देश में हिन्दू–मुस्लिमों में सांप्रदायिक संघर्ष हुआ तो उन्हें आंतरिक पीड़ा हुई। वे संघर्ष के क्षेत्र दिल्ली में गए और वहाँ मुसलमान नेता के घर रहकर उन्होंने 21 दिन का उपवास किया। जब हिन्दू– मुसलमान दोनों ने भाई–भाई के समान रहने का उन्हें आश्वासन दिया, तब मुस्लिम भाई के हाथ से संतरे का रस ग्रहण कर उपवास तोड़ा। देश में जब–जब हिंसा भड़क उठती, गांधी जी उपवास द्वारा आत्मशुद्धि करते।

गांधी जी ने जनता के हृदय को शुद्ध करने के लिए देशव्यापी यात्रा की। वे कहा करते थे, "जब तक हम अपनी शुद्धि नहीं कर लेंगे, स्वराज्य के अधिकारी नहीं होंगे।" अपनी सभाओं में खादी प्रचार और हरिजनोद्धार पर बराबर बल देते थे और सभा की समाप्ति पर जब इन कार्यों के लिए आर्थिक सहायता की अपील करते, तब अनेक स्त्रियाँ अपने आभूषण उतारकर उन्हें भेंट कर देती थीं।

गांधी जी ने यरवदा जेल से छूटने के बाद ही कहा था कि मैं काँग्रेस और राजनीति से अलग होना चाहता हूँ, परन्तु काँग्रेस जन उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। सन् 1924 में बेलगाँव में काँग्रेस अधिवेशन होने जा रहा था। काँग्रेस नेता गांधी जी को उसका सभापतित्व स्वीकारने का जब बहुत आग्रह करने लगे, तब वे उसके लिए इसी शर्त पर तैयार हुए कि काँग्रेस को चर्खा और खादी को अपनाने का कार्यक्रम स्वीकारना होगा और उसके सदस्यों को खादी पहननी होगी। साथ ही प्रतिदिन एक घंटा चर्खा भी चलाना होगा। सन् 1924 से खादी काँग्रेस सदस्यों की पोशाक बन गई, जो आज तक बनी हुई है।

सन् 1926 में जब काँग्रेस अध्यक्षता का उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तब उन्होंने एक वर्ष के लिए राजनीतिक मौन धारण कर लिया और साबरमती आश्रम में रहकर 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' पत्र द्वारा ब्रह्मचर्य, बाल विवाह, विधवा विवाह, अछूतोद्धार, हिन्दू–मुस्लिम एकता आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट करते रहे।

गांधी जी ने समाज सुधार के रचनात्मक कार्यों के सिलसिले में देश भर में दौरा किया। जहाँ–जहाँ वे गए, वहाँ–वहाँ उन्होंने अस्पृश्यता निवारण, मद्यनिषेध और खादी पर व्याख्यान दिए। किसी–किसी दिन तो वे बीस पच्चीस सभाओं में बोलते थे। एक दिन जब व्याख्यान देकर लौटे, तो बेहोश हो गए। डॉक्टर की सलाह से उन्होंने दो–तीन दिन विश्राम किया और फिर दौरा प्रारंभ कर दिया। दौरे में उनके साथ उनकी अँग्रेज शिष्या मीरा बेन और निजी सचिव (प्राईवेट सेक्रेटरी) महादेव भाई देसाई सदा रहते थे। महादेव भाई उनके इतने निकट थे कि गांधी जी क्या सोच रहे हैं, इसे भाँप लेते थे। मीरा बेन उनकी भोजन और आवास आदि की व्यवस्था करतीं थीं। उन्होंने थोड़ी–बहुत हिंदी सीख ली थी, जिससे वे गाँवों में जाकर लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करती थीं ।

सभाओं में गांधी जी जब भाषण समाप्त करते, तब झोली फैलाकर दरिद्रनारायण के नाम पर दान माँगा करते और जनता नोटों, रुपयों और पैसों की वर्षा से उनकी झोली भर देती। महिलाएँ तो अपने बहुमूल्य आभूषण तक उनके सामने उतार कर दे देतीं।

गांधी जी प्रत्येक पैसे का हिसाब रखते थे। जो व्यक्ति हिसाब रखने में लापरवाही बरतता, उसे वे क्षमा नहीं करते थे। एक बार दक्षिण भारत से एक कार्यकर्ता उनके पास आया और कहने लगा– "बापू, मैंने जो कुछ चंदा मिला था, उसे ठीक जमा किया है, उसमें से एक पैसा भी नहीं उठाया, फिर भी हिसाब जाँचने वाले ने मुझ पर एक हजार रुपया लेना बताया है। मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। अब मैं क्या करूँ ?" गांधी जी ने कहा– "यदि तुमने हिसाब ठीक नहीं रखा है तो मैं क्या करूँ? तुम्हें हजार रुपया भरना होगा।" उसने गिड़गिड़ाकर कहा– "बापू मेरे पास तो घर लौटने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है।'' "तो पैदल जाओ। मैं तुम्हें कोई सहायता नहीं दे सकता।"

बापू का स्वभाव फूल–सा कोमल था और बज्र–सा कठोर भी। हिसाब–किताब में या अन्य नैतिक आचरणों में ढिलाई करने वाले के प्रति वे जरा भी दया नहीं दिखलाते थे ।

यात्रा में अधिक परिश्रम के कारण उनका रक्त–चाप बढ़ जाया करता था। इस बार भी जब वे बहुत कमजोर हो गए तो डॉक्टरों की सलाह से विश्राम करने के लिए मैसूर चले गए।

एक दिन जब गांधी जी मैसूर में विश्राम कर रहे थे, तभी एकाएक वायसराय लार्ड इर्विन का पत्र उन्हें मिला जिसमें उन्हें दिल्ली बुलाया गया था। गांधी जी जब दिल्ली गए तो इर्विन ने उन्हें कमरे में बैठाकर एक टाइप किया हुआ पत्र दिया। उसमें लिखा था कि ब्रिटिश सरकार भारत को शासन सुधार की दूसरी किश्त देने के पूर्व परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए एक कमीशन भेजना चाहती है ।

कागज गांधी जी के हाथ में देकर इर्विन उनकी ओर देखने लगे, यह जानने के लिए कि उन पर पत्र का क्या असर हुआ। गांधी जी ने इर्विन की ओर देखकर कहा–"क्या और भी कुछ काम है।" इर्विन ने कहा–"नहीं।"

गांधी जी चुपचाप वायसराय की कोठी से अपने निवासस्थान पर लौट आए। ब्रिटिश सरकार ने जो कमीशन नियुक्त किया था, उसमें एक भी भारतीय सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था। काँग्रेस के नेताओं को ऐसा प्रतीत हुआ कि अँग्रेज सरकार की नीयत स्वराज्य देने की नहीं है। वह कमीशन के द्वारा खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त कर बात को टाल देना चाहती है।

इस कमीशन का भारत के सभी दलों ने विरोध करने का निश्चय किया। कमीशन के प्रमुख साइमन थे, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। जब 3 फरवरी, 1928 को वह मुंबई पहुँचा, तब उसे कहीं भी स्वागत के चिह्न नहीं दिखाई दिए। दिखाई दिए साइमन गो बैक (साइमन वापस जाओ) के पोस्टर और सुनाई पड़े 'साइमन गो बैक' शब्द। जो अँग्रेजी नहीं जानते थे, वे भी तीन शब्द सीखकर –'साइमन गो बैक' चिल्लाने लगे। कमीशन जहाँ गया, काले झंडे और विरोधी नारों से उसका स्वागत किया गया। किसी प्रतिष्ठित भारतीय ने उससे भेंट नहीं की। परन्तु पुलिस ने स्थान–स्थान पर विरोध जुलूसों पर लाठियों की वर्षा अवश्य की। लाहौर में विरोध–जुलूस का नेतृत्व करने वाले काँग्रेस नेता लाला लाजपतराय पर भी लाठियों का घातक प्रहार किया गया, जिससे कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में बाल, लाल और पाल की त्रयी मशहूर थी। बाल–बाल गंगाधर तिलक, पाल–विपिन चंद्र पाल और लाल से लाला लाजपतराय का आशय था। सरकार की दमन –नीति से जनता में विक्षोभ की तीव्र लहर फैल गई थी। अतः जनता गांधी जी से पुनः सत्याग्रह आंदोलन की माँग करने लगी।

'चलो बारडोली'

बारडोली में सरकार लगान के कानून में बाईस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करना चाहती थी। किसानों को यह बहुत अधिक लगी। स्थानीय नेताओं ने किसानों की कठिनाई सरकार को समझाने की कोशिश की। परन्तु वह अपने

निर्णय को बदलने के लिए तैयार नहीं हुई। वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से सत्याग्रह प्रारंभ करने की अनुमति चाही। गांधी जी ने उन्हें लगानबंदी के आंदोलन को प्रारंभ करने की अनुमति दे दी। वल्लभ भाई ने बारडोली तहसील में किसानों को लगान न चुकाने की प्रेरणा दी और किसानों के घर कुर्की जाने लगी। कुर्की करने वाले उनके घर का सामान उठा ले जाते और गाय, ढोर, भैंस भी ले जाते, किन्तु जब सामान या ढोरों की नीलामी बोली जाती, तो कोई खरीददार सामने न आता था। ऐसी दशा में सरकारी कर्मचारी ही चार–छह आने में गाय–भैंस खरीद लेते थे। किसानों के खेत भी इसी प्रकार सस्ते दामों में बेच दिए गए। ज्यों–ज्यों सरकार का दमन बढ़ता जाता, त्यों –त्यों आंदोलन में तेजी बढ़ती जाती। इस आंदोलन की ओर सारे देश का ध्यान खिंच गया। स्थान–स्थान पर सभाएँ होतीं, जिनमें किसानों पर होने वाले अत्याचारों पर भाषण होते थे और 'चलो बारडोली' के नारे लगाए जाते थे। सत्याग्रह को देश भर से सहायता पहुँचने लगी थी। अनुमान है कि सत्तासी हजार किसानों ने लगान न देकर सत्याग्रह में भाग लिया। सत्याग्रह साढ़े तीन महीने तक चलता रहा। सत्याग्रहियों की सहानुभूति में देश भर में 'बारडोली दिवस' मनाया गया। आश्चर्य की बात यह है कि कहीं से भी हिंसा का समाचार प्राप्त नहीं हुआ। जनता के जोश के आगे सरकार झुकी और उसने जाँच कमीशन बैठाकर किसानों के पक्ष में रिपोर्ट प्राप्त कर ली और लगान वृद्धि का कानून रद्द कर दिया। जप्त जमीनें लौटा दी गईं। जो पशु बेच दिए गए थे, उनका मुआवजा दिया गया। सत्याग्रहियों की रिहाई कर दी गई।

सत्याग्रह की यह पूर्ण विजय कही जा सकती है। इसका सफल संचालन करने के कारण जनता ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि प्रदान की। तभी से वे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। गांधी जी के नेतृत्व में जनता का दुगुना विश्वास बढ़ गया।

बारडोली की सफलता से उत्साहित हो तरुण पीढ़ी गांधी जी से काँग्रेस के पूर्ण स्वातंत्र्य के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए किसी प्रभावकारी आंदोलन की माँग करने लगी। देश का वातावरण बहुत क्षुब्ध हो रहा था। हिंसा में विश्वास रखने वाले तरुण रक्त–क्रांति का स्वप्न देख रहे थे। वे देश से अँग्रेजी शासन को समाप्त कर मज़दूर–किसानों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। सरकार ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित व्यक्तियों को पकड़कर उन पर षड़यंत्र के मुकदमे चलाए। उनमें मेरठ षड़यंत्र केस ने बड़ी प्रसिद्धि पाई। कुछ क्रांतिकारियों ने वायसराय लार्ड इर्विन की स्पेशल ट्रेन को बम से उड़ाने की असफल कोशिश भी की। वे सरकारी खजाने लूटते, शस्त्रागारों पर आक्रमण करते और कथित अत्याचारी अँग्रेज अधिकारियों की सफल–असफल हत्या के प्रयत्न करते। परिणामस्वरूप वे फाँसी के तख्ते पर झूलते अथवा आजन्म कारावास का दंड भोगते थे। रह–रहकर घटित होने वाली हिंसा की घटनाओं के कारण गांधी जी किसी देशव्यापी आंदोलन को शीघ्र ही प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे। परन्तु प्रबल जनमत की बहुत समय तक अवहेलना भी कैसे की जा सकती थी ? इसी बीच इंग्लैंड में मिली–जुली सरकार कायम हो गई थी और मज़दूर दल के नेता मेक्डोनल्ड प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे। इनकी सहानुभूति भारत के स्वातंत्र्य आंदोलन के पक्ष में थी। इसलिए इन्होंने सर्वदलीय नेताओं को आमंत्रित कर एक गोलमेज परिषद् बुलाने का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। वे देश को संगठित करने के प्रयत्न में लग गए।

विदेशी वस्त्रों की होली

गांधी जी ने इस बार विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन को प्रमुखता दी । वे अपने प्रत्येक सभा के अंत में विदेशी वस्त्रों को एकत्र कराते और उनमें अपने हाथ से दियासलाई लगाते थे। मुंबई की एक सभा में उन्होने विदेशी वस्त्रों की होली अपने हाथ से जलाई तो उनके भक्त एंड्रूज ने उनसे कहा, ''महात्माजी, आप सुन्दर चीजों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? यदि आप इन्हें पसंद नहीं करते तो वस्त्रहीन गरीबों को क्यों नहीं बाँट देते?'' गांधी जी ने हँसते हुए कहा–''चार्ली, तुम नहीं जानते कि मैं यह होली कांड क्यों रचता हूँ। मैं जवानों के जोश को हिंसक कार्यों से हटाने के लिए यह कार्य करता हूँ। इससे उनकी नष्ट करने की प्रवृत्ति संतुष्ट हो जाती है और जिस चीज़ को मैं स्वयं पसंद नहीं करता, उसे दूसरे को कैसे दे सकता हूँ। '' चार्ली गांधी जी के तर्क से संतुष्ट हुए हों या न हुए हों पर वे मुस्कुराकर मौन रह गए।

कोलकाता के श्रद्धानंद पार्क में गांधी जी ने जब जनता से विदेशी वस्त्रों को फेंक देने की बात कही तो चारों ओर से वस्त्र फिकने लगे और उनका विशाल ढेर लग गया। गांधी जी उसमें दियासलाई लगाने ही वाले थे कि पुलिस कमिश्नर सामने आ गया और कहने लगा कि कानून के अनुसार सार्वजनिक पार्क में ऐसे कार्य वर्जित हैं। गांधी जी ने उसकी आपत्ति की कोई परवाह न की, ढेर में दियासलाई लगा ही दी। विदेशी वस्त्र धू–धू जलने लगा। कमिश्नर के आदेश से पुलिस के सिपाहियों ने दौड़कर आग बुझाने की चेष्टा की। कमिश्नर ने स्वयं गांधी जी को कानून भंग के अपराध में गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उसने एक रुपया जुर्माने की सजा देकर छोड़ दिया।

साम्यवादी आंदोलन के कारण देश के भिन्न–भिन्न स्थानों में मजदूरों की हड़तालें होने लगीं। बंगाल में उनका जब जोर ज्यादा बढ़ा तो बंगाल सरकार ने बिना मुकदमा चलाए कई नेताओं को जेल में डाल दिया। अन्य प्रांतों में भी मज़दूर नेताओं पर बड़ी संख्या में मुकदमे चलाए गए और सजाएँ दी गई। लाहौर में कुछ लड़कों ने 'साम्राज्यवाद का नाश हो,' 'क्रांति जिन्दाबाद', 'टोरी–बच्चा हाय–हाय' आदि के जब नारे लगाए, तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया। इन घटनाओं से देश भर में क्षोभ फैल गया। सरकार दिल्ली की असेंबली में देश रक्षा कानून पास करना चाहती थी। इसके अंतर्गत व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता था। जब यह बिल असेंबली में पेश किया जा रहा था, तभी असेंबली दीर्घा से सरदार भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नीचे बम फेंक दिया और क्रांति के नारे लगाए तथा स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया। बाद में भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को हिंसा के अन्य मामलों में सजाएँ हुईं। भगतसिंह को फाँसी दी गई और दत्त को आजीवन कारावास। गांधी जी ने भगतसिंह को फाँसी से बचाने का असफल प्रयत्न भी किया था।

देश में स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए आंदोलन कई रूपों में चल रहे थे। दिसम्बर 1929 में लाहौर में रावी तट पर काँग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ। 26 जनवरी, 1930 को देश भर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। गांधी जी साबरमती लौट गए और उन्होंने नमक कानून तोड़ने के रूप में सत्याग्रह–आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया।

दांडी यात्रा

गांधी जी 12 मार्च, 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए चुने हुए आश्रमवासियों के साथ समुद्र के किनारे दांडी नामक स्थान की ओर रवाना हुए। आश्रमवासी स्वयंसेवकों की संख्या अठत्तर थी। प्रस्थान के समय अहमदाबाद की

महिलाओं ने तिलक लगाया, आरती उतारी। गांधी जी के हाथ में लाठी, शरीर पर घुटनों तक की धोती और पैरों में चप्पल थी। वे लंबे–लंबे डग भरते हुए तेजी से चलते थे। पहले ही दिन उन्होंने धूप और सड़क की धूल खाते हुए सोलह किलोमीटर की यात्रा तय कर ली। उनका पहला पड़ाव असलाली गाँव में हुआ, जहाँ सैंकड़ों ग्रामवासियों ने पुष्पहारों और वाद्य ध्वनियों (बाजे–गाजे) से उनका स्वागत किया। वे हमेशा अपने भाषणों में जनता को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते थे। यहाँ भी उन्होंने यही किया। इकसठ वर्ष के बूढ़े महात्मा का जोश देखकर नए जवान भी लजा जाते थे। दांडी यात्रा तीर्थ यात्रा के समान लगती थी, जो चौबीस दिनों में पूरी हुई। यह तीन सौ किलोमीटर की यात्रा थी।

यात्रा के दौरान सत्याग्रही प्रातः राब, काँजी अथवा नमकीन मोटी रोटी का नाश्ता कर चल पड़ते थे। दोपहर को पूर्व निश्चित गाँव में भोजन के लिए रुकते थे। दोपहर के भोजन में मोवन डली रोटी, सब्जी, मठा या दूध होता था। रोटी थोड़ी घी से चुपड़ दी जाती थी। भोजन के पश्चात् सत्याग्रही थोड़ा–सा विश्राम करते थे और दिन ढलने के पहले आगे की यात्रा प्रारंभ कर देते थे और अगले किसी ग्राम में रात बिताते थे। रात का भोजन खिचड़ी, सब्जी, दूध या मठा होता था। गांधी जी के भोजन में खजूर, किशमिश, नीबू और बकरी का दूध रहता था। ग्रामवासी बड़े उत्साहपूर्वक गांधी जी और सत्याग्रहियों को भोजन कराते और उनके आराम की चिंता करते थे। चाय और पान आदि का सेवन निषिद्ध था।

प्रत्येक विश्राम के गाँव में महात्मा जी सामूहिक प्रार्थना करते और ग्रामवासियों से छुआछूत को दूर करने तथा भगवान में विश्वास रखने का उपदेश देते थे। कहीं–कहीं ग्रामवासी सरकारी कर्मचारियों को खाने–पीने का सामान न देकर उनका बहिष्कार करते थे।

गांधी जी को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने यहाँ तक कहा, ''जिस डायर ने पंजाब में अनेक अत्याचार किए हैं, वह यदि मुझे गोली मार दे और मैं बेहोशी की हालत में यह सुन लूँ कि उसे जहरीले साँप ने काटा है, तो मैं उसका ज़हर चूसने को दौड़ जाऊँगा।''

गांधी जी की मानवता के आगे शत्रु का भी सिर झुक जाता था। वे किसी को शत्रु मानते ही न थे।

'स्वराज्य सवारी आवी छे'

गांधी जी अपने सत्याग्रही स्वयंसेवकों के साथ जब गाँव से गुजरते थे, तब गुजराती स्त्रियाँ स्वराज्य के गीत गाती थीं –

'आवी छे रे आवी छे, स्वराज्य सवारी आवी छे ।

जयनाद गगन माँ गाजे छे, स्वराज्य सवारी आवी छे ।

(स्वराज्य सवारी आई है, आई है, आकाश में जयनाद गूँज रहा है, स्वराज्य की सवारी आई है।) बापू कहीं–कहीं नंगे पैर चलने लगते थे। इसलिए जनता रास्ते के कंकड़ साफ करती, उन पर पानी छिड़कती और पत्ते बिछाती थी। ऐसा लगता था, मानो कोई ऋषि अपने शिष्यों के साथ तपोभूमि की ओर प्रस्थान कर रहा है।

जब सत्याग्रही 5 अप्रैल की रात को दांडी पहुँचे, तब हजारों स्त्री–पुरुष इकट्ठे हो गए और उन्होंने जागते–जागते रात बिताई। सत्याग्रही प्रातः उठे, उन्होंने प्रार्थना की और समुद्र की लहरों में स्नान किया। गांधी जी ने ठीक 6 बजकर 20 पर समुद्र किनारे के गड्ढे से नमक उठाकर कानून भंग किया। स्वयंसेवकों ने भी उनका अनुकरण किया। पुलिस खड़ी–खड़ी तमाशा देखती रही। उसने गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया।

गांधी जी के नमक कानून तोड़ने का समाचार ज्योंही देश भर में फैला, त्यों ही स्थान–स्थान पर नमक सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। कई स्थानों पर सरकार ने सत्याग्रहियों को लाठी से पीटा और गोलियों से भी भूना। देश–भर में गिरफ्तारियों का ताँता बँध गया, परन्तु जनता का उत्साह कम होने की बजाय बढ़ता ही गया।

जब गांधी जी को दांडी में नहीं पकड़ा गया तो उन्होंने धरासणा के नमक भंडारों पर धरने की तैयारी की और अपने स्वयंसेवकों को वहाँ भेज दिया। गांधी जी को सरकार ने धरासणा नहीं जाने दिया। जाने के पूर्व ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

जब सत्याग्रही धरासणा नमक भंडार पर पहुँचे तो पुलिस ने उन पर क्रूरता से लाठी प्रहार किया। उन्हें ठोकर मार–मारकर भगाने की कोशिश की। परन्तु सत्याग्रही शांति से प्रहार सहते रहे और अपने स्थान से जरा भी नहीं डिगे। देश भर में लाखों की संख्या में स्त्री–पुरुष जेल गए। जब सरकार ने देखा कि उसका काम–काज ठप्प होने को है तो वह झुकी और वायसराय ने यरवदा जेल से गांधी जी को आमंत्रित किया। देश के प्रमुख नेता भी उसी समय छोड़ दिए गए। वायसराय ने काँग्रेस से समझौता किया। समझौते के अनुसार नमक कानून रद्द करने और सभी सत्याग्रहियों को छोड़ने के लिए सरकार राजी हो गई।

अनुदार दल के प्रतिनिधि मिस्टर चर्चिल ने इंग्लैंड में इस समझौते के विरुद्ध पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। उसने जोश के साथ कहा, ''यह बागी फकीर, अधनंगा गांधी वायसराय की कोठी पर जाता है और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से बराबरी की हैसियत से समझौता करता है। इसे मै बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता।''

समझौते के बाद सत्याग्रही छोड़ दिए गए तो गांधी जी ने भी सत्याग्रह स्थगित कर दिया।

लंदन में सरकार ने पुनः गोलमेज परिषद् आयोजित की जिसमें गांधी जी और देश के कुछ नेता आमंत्रित किए गए। गांधी जी काँग्रेस प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए और उसी नंगे फकीर के वेश में। जनता उन्हें कौतूहल से देखती थी। वे कड़ाके की सर्दी में खादी की शाल ओढ़े, चप्पल पहने हुए तेजी से प्रातः जब घूमने निकलते तो एक दृश्य–सा बन जाता।

लड़के–लड़कियाँ चीख उठते–"बाप रे बाप! इतनी कड़ी ठंड में यह बूढ़ा कैसे जिंदा रहेगा? गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनता? अरे गांधी, तुम्हारी पैंट कहाँ है।" वे जिस सड़क से निकलते, भीड़ उनके पीछे लग जाती। गांधी जी लंदन में तीन महीने रहे और जनता को अपने सादे जीवन से आकर्षित करते रहे। वे उसे भारत की स्थिति और उसकी स्वाधीनता की माँग समझाते रहे।

गोलमेज परिषद् की समाप्ति पर सम्राट जार्ज ने प्रतिनिधियों से मिलने की इच्छा प्रकट की। लोगों ने गांधी जी को अपनी पोशाक बदलने की सलाह दी, परन्तु उन्होंने कहा, ''मैं सम्राट से मिलना छोड़ सकता हूँ, अपनी पोशाक नहीं।'' अतः वे अपनी खादी की ही पोशाक में सम्राट के महल में गए और उनसे हाथ मिलाया और अपनी सीधी–सादी भाषा में भारत की स्थिति पर दो शब्द कहे।

गांधी जी ने मुंबई पहुँचते ही सरकार द्वारा पुनः दमन चक्र चलाने के समाचार सुने। पुराने वायसराय इर्विन के स्थान पर नए वायसराय लार्ड विलिंगटन की नियुक्ति हो गई थी। ये गांधी विरोधी थे। इन्होंने 'गांधी इर्विन समझौते' को तोड़ने की क्रिया प्रारंभ कर दी और 4 फरवरी, 1932 को पुनः गांधी जी को पकड़कर यरवदा जेल में बंद कर दिया। वहाँ गांधी जी ने अपना दैनिक कार्यक्रम जारी रखा। वे चरखा कातते, प्रार्थना करते और विविध विषयों का अध्ययन करते। स्वावलंबी होने के कारण वे अपने कपड़े स्वयं धोते थे।

ब्रिटिश सरकार ने भारत के आंदोलन को शांत करने की दृष्टि से नया संविधान तैयार किया, जिसमें विधान सभा में हिन्दू, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन का विधान था। गांधी जी को अँग्रेजों की विभाजन नीति से बड़ी वेदना हुई। सरकार हरिजनों को हिन्दू समाज से पृथक करना चाहती थी। यह गांधी जी के लिए असह्य बात थी। उसे दूर कराने के लिए गांधी जी को एक ही उपाय सूझ पड़ा और वह था आमरण उपवास। गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखा कि संविधान में से हरिजनों के पृथक निर्वाचन का जो विधान रखा गया है, उसे निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हिन्दू समाज खंडित हो जाएगा। सरकार ने जब गांधी जी की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने आमरण उपवास प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने कहा– "मैं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नहीं हूँ । मैं हिन्दू समाज को जागृत करने की दृष्टि से अपने प्राणों की आहुति देना चाहता हूँ।" जिस दिन गांधी जी ने उपवास किया, उस दिन देश के लाखों लोगों ने उपवास रखा था। नेताओं ने हरिजनों के प्रतिनिधि डॉक्टर अम्बेडकर को समझा–बुझाकर उनसे पृथक निर्वाचन अमान्य करवा दिया। उसकी सूचना ब्रिटिश सरकार को भेज दी गई,। गांधी जी उपवास से काफी दुर्बल हो गए थे। क्षण–क्षण उनकी हालत गिरती जा रही थी। ब्रिटिश सरकार पर गांधी जी के अँग्रेज मित्र दबाव डाल रहे थे। ब्रिटिश सरकार भी उन्हें जेल में मरने नहीं देना चाहती थी। उसने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्हें जेल से छोड़ दिया।

जेल से छूटने के बाद से द्वितीय महायुद्ध आरंभ होने तक गांधी जी सक्रिय राजनीति से अलग रहे। उन्होंने ग्रामसुधार, हरिजनोद्धार, नई तालीम (बुनियादी शिक्षा) आदि रचनात्मक कार्यों में योगदान जारी रखा।

ग्राम सुधार

कहा जाता है और ठीक कहा जाता है कि भारतवर्ष ग्रामों में बसा है। गांधी जी जब इंग्लैंड में थे, तब किसी ने उनसे पूछा, 'मैं भारत की सेवा करना चाहता हूँ। आप बतलाइए मैं क्या करूँ?' गांधी जी ने तुरंत कहा–'गाँव में जाओ; वहाँ की गंदगी दूर करो; लोगों को सफाई से रहना सिखलाओ और उन्हें आत्म–निर्भर बनाओ।''

गांधी जी भारत में एक आदर्श ग्राम का निर्माण करना चाहते थे। वर्धा के सेठ जमुना लाल बजाज उनके अनन्य भक्त थे। गांधी जी उनको पुत्र के समान मानते थे। उन्होंने गांधी जी से वर्धा के पास सेगाँव को आदर्श गाँव बनाने की प्रार्थना की। गांधी जी अपनी अँग्रेज शिष्या मीरा बेन के साथ जब सेगाँव गए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में वह बहुत पिछड़ा

हुआ है। लोग स्वच्छता का नाम भी नहीं जानते। अज्ञान के कारण आधी से अधिक जनसंख्या किसी–न–किसी रोग से बीमार रहती है। उन्होंने से गाँव में रहना स्वीकार कर लिया। उनके लिए घास–बाँस, लकड़ी और मिट्टी से एक छोटी सी कुटिया भी बना दी गई। उसी के आस–पास उनके साथियों के रहने के लिए दूसरी कुटिया भी बना दी गई,। गांधी जी ग्रामीणों के समान ही गर्मी–सर्दी का दुख–सुख भोगना चाहते थे। उन्हीं के समान जीवन व्यतीत करना चाहते थे।

गांधी जी ने वहाँ पहुँचने के बाद गाँव की गंदगी दूर करने का कार्यक्रम हाथ में ले लिया। वे स्वयं अपने साथियों के साथ गाँव की सफाई में योगदान करते थे। उनके आश्रम में रहने वालों को अपना काम स्वयं करना पड़ता था। उन्हें अपने हाथ से भोजन बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना और मैला भी साफ करना पड़ता था। आश्रमवासियों के लिए ये कार्य अनिवार्य थे। जो व्यक्ति आश्रम में रहना चाहता था उसको तभी रहने की अनुमति मिलती थी, जब वह पाखाना साफ करने के लिए तैयार होता था। सेगाँव का नाम बाद में सेवाग्राम हो गया।

आश्रम में गांधी जी की दिनचर्या अखंडित और निश्चित रहती थी। वे प्रतिदिन तीन बजे उठते, संसार भर से प्राप्त चिट्ठियों का यथासंभव सार रूप में उत्तर देते और चार बजे के लगभग प्रार्थना कर खुली हवा में टहलने के लिए निकल जाते थे। बहुत से दर्शनार्थी और प्रश्नोत्तरार्थी टहलते समय साथ हो लिया करते थे। इससे उनका बहुत–सा समय बच जाता था। वे समय का बहुत ध्यान रखते थे।

टहलकर लौट आने के पश्चात् वे मालिश कराते और टब में स्नान करते थे। उसके बाद खजूर या किसी एक फल के साथ बकरी का दूध लेकर नाश्ता करते थे। नाश्ता करने के बाद चरखा चलाते और तत्पश्चात् आश्रम में बीमार लोगों की सेवा करने पहुँच जाते। वे रोगियों की प्राकृतिक प्रणाली में चिकित्सा करते थे, भोजन में फलादि देते और जरूरत पड़ने पर उपवास भी कराते थे। प्राकृतिक चिकित्सा में उनका अटूट विश्वास था और औषधियों में उनका अटूट अविश्वास। उन्हें किसी भी रोग से भय नहीं लगता था। वे कोढ़ियों की सेवा भी बड़ी प्रसन्नता से करते थे। एक विद्वान, श्री परचुरे शास्त्री, जिन्हें कोढ़ हो गया था, आश्रम में रहते थे। गांधी जी ने उनकी सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया था। वे उनके घावों को धोते, शरीर में मालिश करते और अन्य उपचार करते थे। आश्रम निवासी बीमार हो जाने पर गांधी जी से चिकित्सा कराने को उत्सुक रहते थे, क्योंकि इससे उन्हें उनके नजदीक आने में सुविधा हो जाती थी और गांधी जी को भी प्रसन्नता होती थी।

गांधी जी आदर्श ग्राम की कल्पना करते थे। उनका आग्रह था कि आदर्श ग्राम में ग्राम–वासियों को अपने अनाज तैयार कर भोजन की

और कपास बोकर वस्त्र की समस्या हल कर लेना चाहिए। पशुओं के लिए चारागाह होना चाहिए। बच्चों के लिए खेल का मैदान और मनोरंजन के लिये कोई स्थान सुरक्षित रखना चाहिए। यदि गाँवों के साथ अधिक खेल जमीन लगी हो तो उसमें ऐसी फसल उगाई जाए, जिससे अन्न हो सके। परन्तु तम्बाकू, अफीम आदि स्वास्थ्यनाशक वस्तुएँ न उगाई जाएँ। गाँव में एक थियेटर, स्कूल और सार्वजनिक हॉल की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

गाँव के हर काम सहकारी सिद्धांत पर हों यानी लोगों को मिल–जुलकर काम करना चाहिए। गाँव को आधुनिक बनाने के लिए बिजली घर की स्थापना की जा सकती है ।

आदर्श ग्राम में अराजकता नहीं होगी। लोग कानून व्यवस्था का आदर करेंगे। अपराधियों को शरीर का दंड न देकर उनके भीतर संस्कार को सुधारने की कोशिश की जाएगी। लोग सादा जीवन व्यतीत करेंगे। गांधी जी आदर्श ग्राम में अपने जीवन सिद्धांतों को प्रतिबिंबित देखना चाहते थे।

गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार

गांधी जी उद्योगी शिक्षा के पक्षपाती थे जो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाती है। उन्होंने शिक्षा के निम्नलिखित आदर्श स्थिर किए थेः–

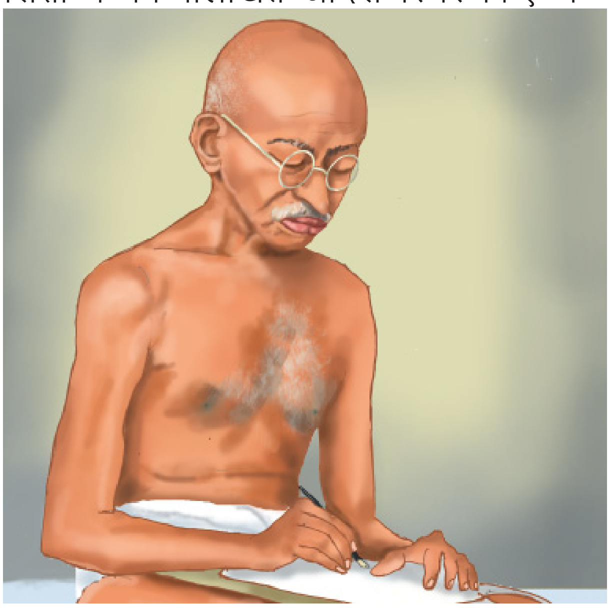

1. शिक्षक की देख–रेख में शिक्षार्थियों को शारीरिक कार्य में लगना चाहिए।
2. प्रत्येक लड़के और लड़की की रुचि जानकर उसे उसकी रुचि का काम देना चाहिए।
3. समझने की योग्यता हो जाने पर अक्षर ज्ञान के पूर्व सामान्य ज्ञान कराना चाहिए।
4. उसे प्रारंभ से शुद्ध अक्षर लिखना सिखाना चाहिए।
5. लिखने के पहले बच्चे को पढ़ना सिखाना चाहिए।
6. बच्चों को बातचीत द्वारा ज्ञान प्राप्त कराया जाए अर्थात् शिक्षक ज्ञान की बातें बोलकर विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश करें।
7. बच्चों को जबर्दस्ती कुछ न सिखाया जाए। वे जो पढ़ें उसमें उन्हें आनंद आना चाहिए।
8. शिक्षा खेल के समान लगनी चाहिए। खेल भी शिक्षा का एक अंग है ।
9. शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए।
10. अक्षर ज्ञान के पहले बच्चों को राष्ट्रभाषा हिन्दी की इतनी शिक्षा दी जाए कि वे उसे बोल समझ सकें।
11. धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो, पर यह पुस्तक से नहीं, शिक्षक के आचरण और उसके मुख से दी जानी चाहिए।
12. सोलह वर्ष की आयु के बाद शिक्षा का दूसरा काल प्रारंभ होता है । हिन्दू बालक को संस्कृत का और मुसलमान बालक को अरबी का ज्ञान दिया जाना चाहिए। शारीरिक कार्य के साथ–साथ अक्षर ज्ञान बढ़ाया जाए।
13. बालक को माता–पिता के धंधे की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह अपने पारिवारिक धंधे को अपना सके।
14. सोलह वर्ष तक के लड़के–लड़कियों को दुनिया के इतिहास, भूगोल, वनस्पति शास्त्र, गणित, ज्यामिती और बीजगणित का ज्ञान हो जाना चाहिए। लड़कियों को रसोई बनाने और सीने–पिरोने का भी ज्ञान कराया जाए।

15. नौ वर्ष के बाद शुरू होने वाली शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए अर्थात् विद्यार्थी पढ़ते समय ऐसा उद्योग करे, जिससे पढ़ाई का खर्च निकल जाए। शिक्षकों में सेवावृत्ति होनी चाहिए। वे चरित्रवान हों। अँग्रेजी पढ़ाई भाषा के रूप में हो सकती है। उसे पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए, पर उसका अनिवार्य रहना आवश्यक नहीं है।

बुनियादी शिक्षा : नई तालीम

महात्मा जी प्रचलित शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे। वे आदर्श शिक्षा उसे मानते थे जिसके द्वारा व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास हो। वे बच्चों को हस्त कौशल की शिक्षा देने पर अधिक बल देते थे, क्योंकि उसके जरिए बच्चा कई विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उनका कहना था कि यदि बच्चा कताई का काम सीख ले तो वह चरखे की बनावट, उसके चक्के और नली को देखकर ज्यामिती के वर्ग, वृत्त तथा रेखाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। उसको लकड़ी और कपास की पैदावारी की सारी बातें मालूम हो जाएँगी। उसमें कौतूहल जाग जाने से वह प्रत्येक बनाई जाने वाली चीज़ के माध्यम से भूगोल, इतिहास आदि का भी ज्ञान प्राप्त कर लेगा। अफ्रीका में गांधी जी दस्तकारी के माध्यम से बच्चों को विविध विषयों का ज्ञान करा चुके थे। भारत लौटकर उन्होंने अपने साबरमती आश्रम में बच्चों को अपने सिद्धांतों के अनुसार बुनियादी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। इस शिक्षा से गांधी जी दो उद्देश्य पूरा करना चाहते थे–

1. बच्चा अपनी कमाई से फीस चुका सके और
2. उसके शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विकास हो सके।

गांधी जी का यह मत था कि नई तालीम की पद्धति से शिक्षक भी अपना वेतन अर्जित कर सकता है। उसका आदर्श यह होना चाहिए कि पढ़ने और पढ़ाने का वातावरण ही न रहे। यदि कोई पूछे कि लड़के क्या कर रहे हैं तो यह कहा जाए कि खेत में काम कर रहे हैं या रोगी की सेवा कर रहे हैं या सफाई कर रहे हैं आदि। इन सब कार्यों से वे ज्ञान ही तो प्राप्त करते हैं। गांधी जी किताबी ज्ञान की अपेक्षा अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। बड़ी आयु के विद्यार्थियों को वे रचनात्मक कार्य में लगाना चाहते थे। उनका मत था कि राजनीति का अध्ययन तो करें पर राजनीतिज्ञों की दलदली नीतियों के शिकार न हों। उन्हें हरिजन तथा आदिवासी आदि पिछड़ी जातियों के सुधार संबंधी कार्यों में सहयोग देना चाहिए। ग्राम की स्वच्छता और उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग देना उनका कर्त्तव्य होना चाहिए।

हरिजनोद्धार यात्रा

गांधी जी ने दक्षिण में हरिजनों के प्रति विशेष अलगाव का भाव होने से यात्राएँ प्रारंभ कीं। मछलीपट्टम की सड़कों पर हरिजनों को आज़ादी से चलने की मनाही सरकार द्वारा नहीं, उच्च वर्णियों द्वारा की गई थी। गांधी जी उनकी दयनीय दशा पर बड़े दुखी थे। वहाँ सभा में अपनी व्यथा को शब्दों में उड़ेलते हुए बोले–''यदि हमने अपने समाज से अस्पृश्यता (छुआछूत) समाप्त न की तो हम अपनी कब्र स्वयं खोदेंगे।'' भाषण की समाप्ति पर उन्होंने तीन मंदिरों को हरिजनों के लिए खुलवा दिया। दक्षिण में हरिजनों को मंदिरों में जाकर मूर्ति के दर्शन की सुविधा तो थी ही नहीं, वे मंदिर को जाने वाली सड़कों पर भी चल नहीं पाते थे। कहीं–कहीं उन्हें डंडा पीटकर अपने अशुभागमन की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे ऊँची जाति वाले लोग उनकी छाया से दूर रह सकें। चेन्नई (मद्रास) ही नहीं, भारत के अन्य प्रदेशों में भी, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। गांधी मानव समानता में विश्वास रखते थे इसलिए वे जाति प्रथा के बहुत विरोधी थे और छुआछूत को हिन्दू समाज का कलंक मानते थे। गांधी जी की हरिजनोद्धार –यात्रा का परिणाम यह हुआ कि देश भर के

कई मंदिर उनके लिए खुल गए और उनके प्रति अलगाव के भाव भी कम हो गए।

नए सुधार और काँग्रेस का सहयोग

गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में सहयोग देकर हिन्दू और मुसलमानो को नज़दीक लाने का जो प्रयत्न किया था, वह असफल हो गया। मिस्टर जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने आबादी के आधार पर मुस्लिम बहुल प्रांतों से एक पृथक राष्ट्र की माँग पेश कर दी और अपने प्रस्तावित राष्ट्र का नाम 'पाकिस्तान' रखा। धर्म के आधार पर राष्ट्रों के निर्माण का विचार गांधी जी को अटपटा लगा। उनका मत था कि भिन्न धर्मों का अर्थ भिन्न राष्ट्रीयता या संस्कृति नहीं होता। परन्तु मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाए जाने के संबंध में आंदोलन जारी रखा।

द्वितीय महायुद्ध और भारत

1 सितम्बर, 1939 को जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने पोलैंड पर एकाएक हमला कर द्वितीय महायुद्ध का बिगुल बजा दिया। इटली का तानाशाह मुसोलिनी उसके साथ हो गया। हिटलर ने ज्यों ही पोलैंड के शहरों पर बम वर्षा प्रारंभ की त्यों ही इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

भारत के वायसराय ने रेडियो पर कहा –'वी आर एट वार विद् जर्मनी (हम जर्मनी से युद्ध कर रहे हैं।)' भारत को युद्ध कार्य में सहायता देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।' काँग्रेस को वायसराय की घोषणा में 'हम' शब्द के प्रयोग से आपत्ति थी। युद्ध में उतरने से पहले ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से कब सलाह ली थी? काँग्रेस ने अँग्रेज सरकार को तभी सहायता देने की इच्छा प्रकट की, जब वह भारत को स्वतंत्र कर दे। सरकार काँग्रेस की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं थी, अतः काँग्रेस ने सरकार को युद्ध में सहायता देने से इंकार कर दिया और अपने सभी प्रांतों के मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दिलवा दिया। अब मुस्लिम लीग सरकार की विशेष कृपापात्र बन गई।

गांधी जी अँग्रेजों को संकट में फँसा देखकर उनके आगे कोई शर्त नहीं रखना चाहते थे। युद्धकाल में वे स्वतंत्रता की माँग पेश करने में एक प्रकार की हिंसा देखते थे। काँग्रेस के बहुत से नेता उनकी अहिंसा की इतनी सूक्ष्म व्याख्या को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।

उस समय चर्चिल ब्रिटिश सरकार में प्रधान मंत्री थे। वे गांधी जी और भारत के स्वाधीनता–आंदोलन के घोर विरोधी थे।

यद्यपि गांधी जी युद्ध के समय सत्याग्रह के समान किसी आंदोलन को प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे, परन्तु स्वाधीनता के लिए छटपटाने वाली जनता के मत को ठुकराना भी उनके लिए कठिन था। अतः उन्होंने छोटे पैमाने पर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जन समूहों को नहीं, अपने द्वारा चुने हुए काँग्रेस नेताओं को ही सत्याग्रह करने का आदेश दिया। आचार्य विनोबा भावे प्रथम और पंडित जवाहर लाल दूसरे सत्याग्रही थे। उस समय सभाई नारा था–नहीं भाई, नहीं पाई। इसका अर्थ यह था कि कोई भी भारतीय पलटन में भर्ती नहीं

होगा और युद्ध के कार्यों में एक पाई की भी सहायता नहीं देगा। देश में लगभग चौबीस हजार काँग्रेस नेता युद्ध विरोधी भाषण देने के अपराध में जेल में बंद कर दिए गए, पर जापान के आक्रमण के भय से सन् 1941 में उन्हें छोड़ दिया गया।

सन् 1941 के अंत में युद्ध ने भीषण रूप धारण कर लिया। जापान भी उसमें कूद पड़ा और तेजी के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को हराता हुआ, आगे बढ़ा आ रहा था। यह भय होने लगा कि हिन्दुस्तान पर आक्रमण कर उसे भी न निगल जाए। अमेरिका और रूस भी मित्रराष्ट्र अँग्रेज और फ्रांस के साथ होकर जर्मनी और जापान से लड़ने लगे ।

अमेरिका की सहानुभूति भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रति प्रारंभ से रही थी। युद्धकालीन अमरीकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने चर्चिल से आग्रह किया कि वे भारतीयों को स्वाधीन कर दें। इंग्लैंड का जनमत भी भारत के पक्ष में था। लाचार होकर चर्चिल ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से भावी सुधारों के संबंध में चर्चा करने के लिए भेजा। क्रिप्स औपनिवेशिक स्वराज्य का प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने नेताओं से स्पष्ट कहा कि युद्ध के पश्चात् ही औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जा सकता है। औपनिवेशिक स्वराज्य का जो मसौदा वे लाए थे, उसमें प्रांतों को पृथक हो सकने की स्वतंत्रता थी। इस प्रकार के स्वराज्य से देश के कई टुकड़े हो जाने की संभावना थी। गांधी जी को क्रिप्स का प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ। काँग्रेस ने भी उसे ठुकरा दिया। चर्चिल पर रूजवेल्ट का बहुत अधिक दबाव होने के कारण उसने अपने मंत्री क्रिप्स को स्वाधीनता का निकम्मा प्रस्ताव लेकर भेजा था। वह जानता था कि भारतीय नेता उसे ठुकरा देंगे।

जापान की आक्रामक गति तेजी पकड़ती जा रही थी। वह म्यांमार (बर्मा) की ओर बढ़ रहा था। गांधी जी चाहते थे कि यदि भारत स्वाधीन हो जाता है तो वह शत्रु का खुलकर मुकाबला करेगा। अतः उन्होने पुनः सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया।

'भारत छोड़ो आंदोलन और गांधी जी'

अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने अपनी सात–आठ अगस्त 1942 की मुंबई में होने वाली बैठक में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए सत्याग्रह– आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पास कर दिया। गांधी जी ने भावपूर्ण भाषा में काँग्रेस प्रतिनिधियों से कहा कि अब करने या मरने का समय आ गया है। हमें अँग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहना पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति में यही एक विकल्प रह गया है। गांधी जी आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व वायसराय को विस्तार के साथ उसके संबंध में पत्र लिखना चाहते थे परन्तु सरकार ने उन्हें तथा उनके साथियों को 9 अगस्त को प्रातः पकड़कर यरवदा जेल भेज दिया। फिर वे आगा खाँ महल में रखे गए। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही देश भर में धरपकड़ शुरू हो गई। नेताओं के जेल में बंद हो जाने के कारण सत्याग्रह का अहिंसात्मक रूप समाप्त हो गया। देश भर में हिंसा के कार्य होने लगे। रेल की पटरियाँ उखाड़ी जाने लगीं। टेलिफोन के तार काटे जाने लगे और सरकारी खजाने लूटे जाने लगे तथा सरकारी कर्मचारियों, विशेष कर पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमण होने लगे। इसी प्रकार के अराजक और हिंसक कार्य छिपकर और खुलकर होने लगे। देश के कई स्थानों पर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गईं मानो अँग्रेजी राज्य समाप्त हो गया हो।

गांधी जी का हिंसा के कार्यों से सदा विरोध रहा परन्तु अँग्रेज सरकार इन कार्यों के लिए बराबर गांधी जी को ही जिम्मेदार ठहराती रही। चर्चिल किसी प्रकार गांधी जी को जापानियों से साँठ–गाँठ होने के अभियोग में फाँसकर भयंकर दंड देना चाहता था, परन्तु उसे बहुत छानबीन कराने पर भी उनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला। गांधी जी ने वायसराय को लिखे लंबे पत्रों में देश में होने वाले हिंसा के कार्यों के लिए अपने को कतई जिम्मेदार नहीं माना। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही डाली।

उन्होंने लिखा कि आंदोलन के संचालित करने के पूर्व ही जब मुझे पकड़ लिया गया, तब मैं देश में होने वाली हिंसा की घटनाओं के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ ? फिर आत्मशुद्धि

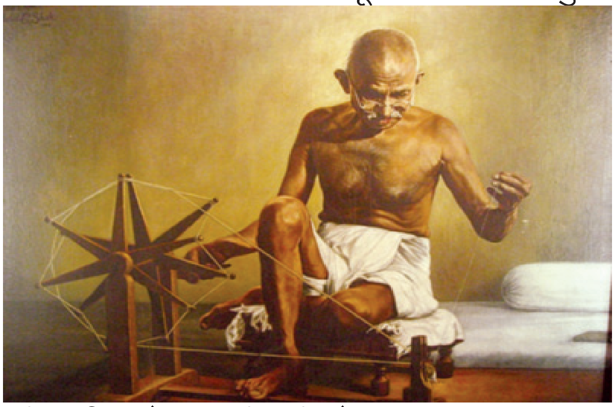

की दृष्टि से गांधी जी ने उपवास प्रारंभ कर दिया, जिससे जनता हिंसा के कार्यों को रोक दे। वायसराय लार्ड लिनलिथगो गांधी जी को छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनकी हालत, उपवास के कारण, बहुत खराब होती जा रही थी। उपवास की अवधि में कई क्षण ऐसे आए जब उनकी मृत्यु होने में डॉक्टरों को भी संदेह नहीं रहा परन्तु उन्होंने अपने आत्मबल से संकट के क्षण टाल दिए और उपवास समाप्त हुआ। धीरे–धीरे वे स्वस्थ हो गए। एक दिन अचानक उनके निजी सचिव महादेव भाई देसाई की मृत्यु हो गई। आगा खाँ महल में, जहाँ नेता बंदी थे, शोक छा गया। गांधी जी प्रतिदिन प्रातः देसाई के दाह संस्कार के स्थान पर जाते, फूल चढ़ाते और गीता का पाठ करते थे। वहाँ एक पत्थर गाड़ा गया जिस पर मीरा बेन ने ओम के साथ–साथ मुस्लिम और ईसाई चिन्ह भी अंकित किए।

महादेव भाई के स्वर्गवास के बाद आगा खाँ महल को एक और मृत्यु का अभिशाप झेलना पड़ा। वह था कस्तूर बा की मृत्यु 22 फरवरी, 1944 को। कस्तूर बा ने गांधी जी की गोद में अंतिम साँस ली। उन्होंने मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व यह इच्छा प्रकट की थी कि मेरा दाह–कर्म गांधी जी द्वारा तैयार की गई खादी की साड़ी के साथ किया जाए। महादेव भाई की दाह–भूमि के पास ही बा का दाह संस्कार वैदिक मंत्रों की ध्वनियों के साथ संपन्न हुआ।

महादेव भाई और कस्तूर बा की मृत्यु के पश्चात् गांधी जी अपने को एकाकी अनुभव करने लगे और थोड़े ही समय में दो बार मलेरिया और पेट की बीमारी से जब बहुत अधिक दुर्बल हो गए तो सरकार ने उनकी मृत्यु की आशंका से उन्हें 6 मई 1944 को जेल से छोड़ दिया। उनके साथ ही अन्य प्रमुख नेता भी छोड़ दिए गए ।

जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने मुंबई के जुहू नामक स्थान में थोड़ा विश्राम किया परन्तु जनता जनार्दन की सेवा के बिना उन्हें आंतरिक विश्राम नहीं मिलता था। सन् 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। अनुमान है कि पन्द्रह लाख से अधिक लोगों ने भूख–भूख चिल्लाकर अपने प्राण दिए थे। बंगाल के शहरों के गोदामों में सैकड़ों मन अनाज भरा पड़ा था पर वह सरकार की निर्दय नीति के कारण लोगों के मुँह में नहीं जा पाता था। उस समय गांधी जी जेल में थे। बंगाल की पीड़ित जनता की करुण गाथाएँ सुन–सुनकर वे व्याकुल हो उठते थे। जेल से उन्होंने वायसराय को अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कई पत्र लिखे, परन्तु उनका कोई परिणाम नहीं निकला।

बंगाल की यात्रा

स्वास्थ्य जब जरा सँभल गया तो उन्होंने पुनः तत्कालीन वायसराय लार्ड वेवेल को पत्र लिखकर बंगाल जाने की अनुमति चाही। लार्ड वेवेल फौजी आदमी था, उसके मन में गांधी जी के प्रति आदर का भाव नहीं था। वह सोचने लगा, 'गांधी जनता की सेवा के बहाने लोगों को भड़काने और कॉंग्रेस का प्रचार करने जा रहा है।' बंगाल के गवर्नर का नाम था कैसी। उसके मन में गांधी जी के प्रति आदर का भाव था परन्तु वह वायसराय की इच्छा के प्रतिकूल स्वयं निर्णय नहीं ले सकता था क्योंकि वेवेल ने गांधी जी के पत्र के उत्तर में उन्हें बंगाल जाने

की मनाही कर दी थी।

सन् 1945 में द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया। इंग्लैंड में चुनाव हुए भारत का विरोधी चर्चिल, चुनाव में हार गया और उसके स्थान पर मजदूर दल के शांतिप्रिय नेता लार्ड एटली की सरकार बनी।

अब गांधी जी को बंगाल जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। जब वे कोलकाता पहुँचे तो उन्होंने गवर्नर कैसी से भेंट की। वह गांधी जी की सत्यवादिता और देशभक्ति पर मुग्ध था। उसने उन्हें बंगाल में उनकी इच्छा के अनुसार कहीं भी जाने की स्वतंत्रता दे दी।

गांधी जी ने बंगाल की यात्रा से अनुभव किया कि प्रांत में भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी का बोलबाला है। गांधी जी बंगाल के कई गाँवों में गए और जनता की कष्ट गाथाएँ सुनकर उन्हें दूर करने का आश्वासन देते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गवर्नर भला आदमी है। लेकिन उसका ध्यान किसी खास बात की ओर आकर्षित किया जाएगा तो अवश्य उस पर कार्यवाही करेगा। गांधी जी छह सप्ताह बंगाल में रहे और जो कुछ उनसे जनता की सहायता के लिए हो सका, उन्होंने किया।

बंगाल से गांधी जी चेन्नई (मद्रास) गए और वहाँ उन्होंने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता की। गांधी जी ने जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया, तब उन्हें दक्षिण भारत में उसके प्रचार की आवश्यकता अनुभव हुई। उन्होंने उत्तर भारत के कुछ उत्साही हिन्दी प्रेमियों के साथ अपने पुत्र देवदास गांधी को चेन्नई (मद्रास) भेजकर दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की । इस सभा ने दक्षिण में हिन्दी का प्रचार कार्य अपने हाथ में ले लिया और लाखों स्त्री–पुरुषों को हिन्दी सिखाई और आज भी सिखा रही है। गांधी जी के स्वभाव की यह विशेषता रही है कि वे सभाओं में अपने विचार प्रकट कर चुप नहीं रह जाते थे, उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिए जी जान से जुट जाते थे।

इस बीच एटली की सरकार ने भारत को स्वाधीन करने का निश्चय कर लिया और उसके लिए उसने मंत्रिपरिषद् के तीन प्रतिनिधि भारत भेजे। उनमें सर क्रिप्स, पैथिक लारेंस और अलेक्जेंडर थे। सर क्रिप्स पहले भी चर्चिल के कार्यकाल में औपनिवेशिक स्वराज्य का मसौदा लेकर आए थे और गांधी जी से मिले थे। द्वितीय महायुद्ध मित्र राष्ट्रों के लिए उस समय संकट पैदा कर रहा था। उस समय गांधी जी ने क्रिप्स से विनोद में कहा था–'स्वराज्य का मसौदा तो डूबते बैंक के नाम अग्रिम तारीख के चैक समान (अर्थात् निरर्थक) है ।'

इस बार क्रिप्स मिशन ठोस प्रस्ताव लेकर जिस समय दिल्ली पहुँचा, उस समय गांधी जी पुणे के निकट प्राकृतिक स्वास्थ्य सदन उरूलीकांचन में विश्राम कर रहे थे। सर क्रिप्स उनसे शीघ्र ही मिलना चाहते थे । उन्होंने सुधीर घोष को, जो उनके और गांधी जी दोनों के विश्वासपात्र थे, उरूलीकांचन भेजा। गांधी जी ने बहुत तर्क–वितर्क के पश्चात् सर क्रिप्स से मिलने का निश्चय किया।

उरूलीकांचन से गांधी जी अपने 13 साथियों के साथ तीसरे दर्जे के एक डिब्बे की स्पेशल ट्रेन से दिल्ली रवाना हुए। स्पेशल ट्रेन का प्रबंध सरकार ने ही किया था। गाड़ी प्रायः हर स्टेशन पर ठहरा ली जाती थी क्योंकि जनता को ज्ञात हो गया था कि गांधी जी स्पेशल ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं। वह उनके दर्शनों के लिए बहुत बड़ी संख्या में स्टेशनों पर पहुँचती थी और स्टेशन मास्टर को गाड़ी ठहराने को मजबूर करती थी। गांधी जी भी जनता की इच्छा का ध्यान रखते थे। इसीलिए दिल्ली समय पर नहीं पहुँच पाए। उनकी स्पेशल ट्रेन भी क्या थी? एक तीसरे दर्जे का डिब्बा और इंजन बस। चाल भी उसकी तेज नहीं थी । गांधी जी सदा की भाँति हरिजन बस्ती में ठहरे।

पैथिक लारेंस ने, जो मिशन के दूसरे

सदस्य थे, संदेश भेजा कि मैं 7 बजे संध्या को आपसे मिलने आ रहा हूँ। गांधी जी ने शिष्टतावश स्वयं ही वायसराय की कोठी पर उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की ।

इसी बीच गांधी जी को स्मरण हुआ– ''अरे रेल का किराया तो हमने चुकाया ही नहीं।'' उन्होंने सुधीर घोष को तुरंत बुलाकर कहा–'' जोड़ो तो तीसरे दर्जे का 13 आदमियों का कितना किराया होता है।''सुधीर ने जोड़कर कहा–''बापू तीन सौ पचपन रुपये और छह आने होते हैं।''

''तो लोक वायसराय के सेक्रेटरी को यह किराया दे आओ।'' सुधीर गए और वायसराय के सेक्रेटरी से खासकर कहा कि यह स्पेशल ट्रेन की यात्रा का किराया गांधी जी ने भेजा है। सेक्रेटरी ने मुस्कुराते हुए कहा, –''क्या मैं स्टेशन मास्टर हूँ, जो किराया लूँ ? अरे, इसकी जरूरत क्या है? सरकार ने ही तो उन्हें बुलाया है। नहीं–नहीं, किराया वगैरह कुछ नहीं।'' सुधीर ने कहा, ''साहब, बूढ़े बापू नहीं मानेंगे, बड़े जिद्दी हैं।'' सेक्रेटरी ने रेल्वे बोर्ड से उसी समय पूछकर कहा, ''स्पेशल ट्रेन का किराया अट्ठारह हजार रुपया है। अपने बापू से कहो कि चुकाएँ।''

सुधीर असमंजस में पड़ गए। गांधी जी के पास गए और उन्हें सेक्रेटरी की माँग के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। गांधी जी ने कहा, ''सेक्रेटरी से जाकर कहिए कि उनका हिसाब गलत है । सामान्य तौर पर मैं तीसरे दर्जे में यात्रा करता हूँ । इसलिए मैं तीसरे दर्जे का किराया दूँगा। "वायसराय के सेक्रेटरी को गांधी जी के तर्क के आगे झुकना पड़ा और तीसरे दर्जे का किराया लेकर संतोष करना पड़ा। गांधी जी यह मानते थे कि मैं जनता के द्रव्य पर जी रहा हूँ। इसलिए मुझे सँभाल कर उसे खर्च करना चाहिए।

दिल्ली में रहकर गांधी जी और सर क्रिप्स तथा पैथिक लारेंस में बीच–बीच में परामर्श होता रहा था। मिशन ने दिल्ली में देश के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर यह जानना चाहा कि किस प्रकार के संविधान से सभी लोग संतुष्ट हो सकेंगे। मिशन दो उद्देश्यों को लेकर आया था। एक था संविधान के रूप का निर्णय और दूसरा सत्ता सौंपने के पूर्व एक अंतरिम केन्द्रीय सरकार की स्थापना का प्रयत्न।

मिशन ने इन्हीं दो बातों के संबंध में शिमला में मुस्लिम लीग और काँग्रेस के प्रतिनिधियों से विचार–विनिमय के लिए सभा आमंत्रित की थी। गांधी जी को दिल्ली में आभास हो गया था कि उनकी स्वराज्य की कल्पना के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए वे शिमला नहीं जाना चाहते थे। यहाँ यह स्मरण रहना चाहिए कि गांधी जी काँग्रेस के साधारण सदस्य भी नहीं थे। फिर भी वे उसके सर्वस्व थे, पर वे प्रजातंत्र में विश्वास करते थे। इसलिए अपने सहयोगियों को स्वतंत्रता देते थे। उन्होंने दिल्ली और शिमला में होने वाली कमेटियों की बैठकों में भाग नहीं लिया। क्रिप्स के बहुत आग्रह करने पर वे शिमला गए। क्रिप्स और उनके साथी गांधी जी से मिलते थे। गांधी जी को उनकी और भारतीय नेताओं की चर्चा से संतोष नहीं हुआ। वे दिल्ली लौट आए और अपने उन स्वाधीनता सेनानियों को जेल से मुक्त कराने का प्रयत्न करने लगे, जो वर्षों से बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल में ठूँस दिए गए थे।

गांधी जी ने सर क्रिप्स और पैथिक लारेंस से आग्रह किया कि आप राजनैतिक बंदियों की रिहाई के साथ गरीबों पर लगने वाले नमक कर से भी छूट दिला दें। सर क्रिप्स ने वायसराय द्वारा गांधी जी का पहला काम तो पूरा कर दिया। राजनैतिक बंदी छोड़ दिए गए परन्तु नमक कर की छूट नहीं करा सके। सम्भवतः उन्होंने उसे अधिक महत्व की बात नहीं समझी।

क्रिप्स मिशन के इंग्लैंड लौट जाने पर गांधी जी ने वायसराय से बार–बार नमक कर हटा देने का आग्रह किया। पर वह राजी नहीं

हुआ । इस कर को गांधी जी ने केन्द्र में अस्थायी सरकार बनने पर रद्द करवा दिया।

क्रिप्स मिशन जब तक भारत में रहा, तब तक उसने गांधी जी से संपर्क बनाए रखा। गांधी जी किसी भी रूप में देश का विभाजन नहीं चाहते थे। परन्तु मुस्लिम लीग विभाजन पर तुली हुई थी । गांधी जी ने लीग के सर्वेसर्वा जिन्ना से कई बार भेंट की और उनसे एक बार तो यह भी कहा कि तुम चाहो तो मेरे शरीर के दो टुकड़े कर डालो, परन्तु देश के दो टुकड़े न करो; परन्तु गांधी जी की भावना का जिन्ना पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सीधी कार्यवाही की धमकी भी दी। उसके अनुसार लीग के अनुयायियों ने कार्य भी प्रारंभ कर दिया। वायसराय ने नेताओं के समझौते के बाद केन्द्र में अंतरिम सरकार स्थापित कर दी थी । मुस्लिम बहुल प्रांतों में लीगी मंत्रिमंडल और शेष प्रांतों में काँग्रेसी मंत्रिमंडल स्थापित हो चुके थे ।

लीग की सीधी कार्यवाही के प्रस्ताव का यह परिणाम हुआ कि कोलकाता और पूर्वी बंगाल में भयंकर साम्प्रदायिक दंगे हुए। बाद में बिहार में जवाबी साम्प्रदायिक दंगों से जन–धन की बड़ी हानि हुई। कोलकाता और पूर्वी बंगाल में हत्याकांडों को गवर्नर नहीं रोक सका। गांधी जी को कोलकाता और पूर्वी बंगाल से निरपराध स्त्री–बच्चों की हत्या, लूट, अग्निकांड आदि के जब समाचार मिले तो वे अपने को रोक नहीं सके । केन्द्रीय सरकार की अनिच्छा की परवाह न कर वे कोलकाता गए और वहाँ हिन्दू और मुसलमानों को शांति और प्रेम का उपदेश दिया। फिर बंगाल के नोआखाली और अन्य स्थानों में गए, जहाँ अमानुषिक अत्याचारों से अल्पसंख्यक जनता बर्बाद हो चुकी थी और भय से आकुल हो रही थी। उन्होंने कई गाँवों का दौरा किया उनके साथ उनकी नातिन और दो व्यक्ति भी थे। वे पैदल यात्रा करते थे, कभी–कभी नंगे पैर भी चलते थे। प्रत्येक गाँव में एक–दो रोज़ ठहरते और हिन्दू– मुसलमान को प्रेम से रहने का उपदेश देते थे। उनकी सभा में मुसलमान भी बड़ी संख्या में आते थे। उन्होंने पूर्वी बंगाल से लौटकर बिहार दंगा पीड़ितों को राहत पहुँचाने का काम किया।

एकला चलो रे

पूर्वी बंगाल के गाँवों में गांधी जी हिन्दू–मुसलमानों को प्रेम और भाईचारे की जिंदगी बिताने का जो उपदेश दे रहे थे, उसको प्रांतीय सरकार पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि उनकी सद्भावना यात्रा से सरकार की विफलता की ओर संसार का ध्यान खिंचता था। केन्द्र से भी उनको सहायता नहीं मिल रही थी। वे भयंकर तूफान में अकेले ही खड़े थे। केवल

दृढ़ निश्चय उनके साथ था। रवीन्द्र की आवाज़ उनके कानों में गूँज रही थी–'यदि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुनता तो क्या चिंता है, तुम अपने गंतव्य की ओर अकेले बढ़े चलो, बढ़े चलो, घबराओ मत। अरे, एकला चलो रे, एकला चलो।'

ब्रिटिश सरकार के प्रधान मंत्री लॉर्ड एटली भारत को स्वाधीन करने का विचार कर चुके थे। अतः उन्होंने पार्लियामेंट में घोषित कर दिया कि अँग्रेज जून 1948 में भारत छोड़ देंगे। इसके बाद उन्होंने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल को इंग्लैंड वापस बुला लिया और उनके स्थान पर लॉर्ड माउंट बेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेज दिया। लॉर्ड माउंट बेटन चतुर राजनीतिज्ञ, मधुर भाषी और गांधी जी के प्रति सम्मान रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने आते ही मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना और कॉंग्रेसजनों से बातचीत करना शुरू कर दिया। जिन्ना पाकिस्तान की बात पर दृढ़ रहे। कॉंग्रेस ने देश को पराधीनता से मुक्त करने की दृष्टि से विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। परिस्थितियों के चक्र के कारण अँग्रेजों को भारत छोड़ने की निश्चित तिथि से एक वर्ष पूर्व ही 15 अगस्त, 1947 को भारत को स्वतंत्र कर देश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। गांधी जी कॉंग्रेस नेताओं के मत से सहमत नहीं थे, क्योंकि वे देश के विभाजन से हिन्दू और मुस्लिम दोनों की भलाई नहीं देखते थे। परन्तु जब देश का विभाजन अनिवार्य हो गया, तब दुखी मन से इसे नियति का विधान मान वे मौन हो गए। उत्तर पश्चिम प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब का पश्चिमी भाग और बंगाल का पूर्वी भाग कटकर पाकिस्तान बना और शेष भाग भारत के नाम से घोषित हो गया।

गांधी जी का हृदय देश के दो टुकड़े हो जाने के कारण भीतर–ही–भीतर रो रहा था। जब 14 अगस्त की संध्या को भारत की जनता 15 अगस्त 1947 के स्वातंत्र्य सूर्य के उदय की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी, तब महात्मा गांधी कोलकाता की हिन्दू–मुस्लिम भाइयों के रक्त से रँगी हुई सड़कों तथा गलियों में एक मुसलमान के मकान में चरखा चलाकर सूत कात रहे थे और दोनों जातियों के लोगों को प्रेम से रहने का उपदेश दे रहे थे।

स्वराज्य की रात

14 अगस्त, 1947 की आधी रात; ठीक 12 बजे घंटे बज रहे थे, शंखध्वनि हो रही थी, संसद सदन के केन्द्रीय कक्ष में बाबू राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में संविधान सभा की एक विशेष बैठक ब्रिटिश शासन से सत्ता ग्रहण करने का समारोह मनाने को हो रही थी। जनता में हर्ष, उमंग की हिलोरें उठ रहीं थीं। सभा भवन दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने सत्ता स्वीकारते हुए महत्वपूर्ण भाषण दिया था। रह–रह कर करतल ध्वनि से हॉल गूँज उठता था, पर संसद में बैठे हुए स्त्री–पुरुषों की आँखें महात्मा के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहीं थीं, जिसके त्याग और तपस्या के बल से भारत स्वाधीन हो रहा था; वहाँ वह नहीं था। वह था कोलकाता के एक मुस्लिम परिवार के घर में, जिसके बाहर की गलियाँ और सड़कें हिन्दू–मुसलमान भाइयों के रक्त से रँगी हुईं थीं। वह दोनों

भाइयों को प्रेम का संदेश देने गया था। वह भारत की अखंडता का पुजारी, खंडित भारत के स्वराज्य समारोह का दृश्य नहीं देखना चाहता था, नहीं देख सकता था। जब अँग्रेज पत्रकारों ने उनसे संदेश माँगा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा–''मुझे कुछ नहीं कहना।''

जिन क्षणों में सारा देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, उन क्षणों में भारत का निर्माता, मानवता का अनन्य पुजारी, दीनहीनों का संरक्षक, शांति और प्रेम का देवता नोआखाली के रक्त रंजित, धूलमय मार्गों और पगडंडियों पर हिन्दुओं और मुसलमानों को पारस्परिक प्रेम और सहानुभूति का पावन संदेश देता हुआ घूम रहा था। भारत और पाकिस्तान में स्वतंत्रता के कार्यों पर दोनों राष्ट्रों के नेताओं के हस्ताक्षर की स्याही सूख भी नहीं पाई थी कि दोनों राष्ट्रों के शहरों और ग्रामों की सड़कें तथा बस्तियाँ भाई–भाई के रक्त से गीली होने लगीं। ऐसी स्थिति देखकर महात्मा जी ने बड़े दुःख के साथ कहा था, ''मैं भाई–भाई के आपस में कट मरने का दृश्य देखने को जिंदा नहीं रहना चाहता।'' उन्होंने पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में भी जाना चाहा था, परन्तु दिल्ली में ही नरसंहार, लूट आदि के भयानक कांड हो रहे थे, इसलिए वहाँ भी गांधी जी की आवश्यकता थी। वे वहीं बिरला भवन में ठहर गए और प्रतिदिन संध्या को प्रार्थना सभा में अहिंसा, प्रेम और एकता आदि पर प्रवचन करने लगे। जनता की हिंसक प्रवृत्ति को शांत करने के लिए उन्होंने 13 जनवरी 1948 को उपवास भी प्रारंभ कर दिया और यह घोषित किया कि जब तक हिन्दू, मुसलमान, सिख आदि जातियाँ लड़ना बंद नहीं करेंगी, मेरा उपवास जारी रहेगा। उसका परिणाम यह हुआ कि पाँच दिन के भीतर ही सब संप्रदायों के नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम शांति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। अतः उन्होंने उपवास त्याग दिया और नित्य की भाँति प्रार्थना सभा में प्रवचन जारी रखा।

महाप्रयाण

1948 की जनवरी की 30 तारीख थी; शुक्रवार का दिन था । संध्या रात की ओर बढ़ रही थी। घड़ी ने पाँच बजा दिए थे। बिरला हाउस के प्रांगण में जनता की भीड़ महात्मा गांधी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उनका प्रार्थना सभा में आगमन का समय हो रहा था।

"बापू को आज क्या हो गया? वे तो कभी लेट नहीं होते थे''–लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। "जरा अपनी घड़ी को देखो, कहीं वही तो गड़बड़ नहीं है"–कुछ लोग सावधान होकर बोल रहे थे। पाँच बजकर बारह मिनट हुए।

लोगों ने देखा महात्मा जी लॉन में दो लड़कियों – आभा और मनु के कंधों पर हाथ धरे जल्दी–जल्दी चले आ रहे थे। कंधे पर खादी की शाल ओढ़े हुए थे, दिल्ली में कँपाने वाली सर्दी जो बरस रही थी। वे प्रार्थना सभा के स्थान पर आए। जनता उनके निकट जल्दी–जल्दी बढ़ने लगी । वे हाथ जोड़े मंच पर मुश्किल से पाँच ही सीढ़ी चढ़े होंगे कि एक आदमी भीड़ में से लपका और उसने चरण छूने की मुद्रा में झुक छाती पर पिस्तौल तान दी और लगातार तीन फायर किए। महात्मा जी के मुख से केवल 'हे राम' निकला और वे बेहोश होकर धरती पर गिर गए। जनता में खलबली मच गई। हत्यारा पकड़ लिया गया। जनता उस पर बुरी तरह टूट रही थी, पर पुलिस उसे खींचकर शीघ्र मैदान से बाहर ले गई । गांधी जी को बिरला हाउस में ले जाया गया। बिरला

हाउस को जनता की असंख्य भीड़ ने घेर लिया। नेता गांधी जी के शव के पास शोक मुद्रा में बैठे रहे । 'रघुपति राघव राजाराम की धुन गूँजती रही।'

आकाशवाणी ने उनकी हत्या का समाचार संसार भर में प्रसारित कर दिया। पं. जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम रुँधी हुई आवाज़ में संदेश देते हुए कहा –

"हमारे जीवन की रोशनी बुझ गई, चारों तरफ अँधेरा छा गया है।" फिर जरा सँभलकर वे बोले – "मैंने अभी कहा कि रोशनी बुझ गई है, यह ठीक नहीं है । जिस रोशनी से देश जगमगा रहा था, वह मामूली रोशनी नहीं थी। वह कभी नहीं बुझ सकती।"

दिल्ली में यमुना नदी के किनारे महात्मा जी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, परन्तु वे अपने यश रूपी शरीर से युग–युग तक जीवित रहेंगे और संसार को अपने ज्ञान प्रकाश से ज्योतित करते रहेंगे ।

'असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्माऽमृतं गमय ।।'

अभ्यास

1. गोखले जी ने गांधी जी को देश भ्रमण की सलाह क्यों दी ?
2. सत्याग्रह आश्रमवासियों को किन नियमों का पालन करना पड़ता था ?
3. सत्याग्रह आश्रम में हरिजन परिवार के आ जाने पर गांधी जी के सामने कौन–सी समस्याएँ आईं ?
4. महात्मा गांधी जी का वाराणसी (बनारस) विश्वविद्यालय में दिया गया भाषण क्रांतिकारी क्यों कहा गया ?
5. गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए– कौन–कौन से तरीके अपनाए गए ?
6. बारडोली सत्याग्रह क्या था ? इसका क्या परिणाम निकला?
7. नमक कर तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया ?
8. गांधी जी बुनियादी शिक्षा के पक्षपाती क्यों थे ?
9. गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी?
10. किन परिस्थितियों के कारण गांधी जी को 'भारत छोड़ो आंदोलन' प्रारंभ करना पड़ा ? उसका क्या परिणाम हुआ ?
11. गांधीजी ने देश भ्रमण करते हुए क्या–क्या अनुभव किए ?
12. संक्षिप्त टिप्पणी लिखो –
    साबरमती आश्रम, जलियाँवाला बाग का हत्याकांड, गोलमेज परिषद्, क्रिप्स मिशन, रोलेट एक्ट।
13. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो –

(क) 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके ही रहूँगा।' यह कथन श्री .... का था ।

(ख) शांति निकेतन की स्थापना .... ने की थी ।

(ग) महात्मा गांधी के निजी सचिव श्री .... थे ।

(घ) भारत छोड़ो आंदोलन सन् .... में प्रारंभ हुआ था ।

(ङ.) जब देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था तब .... हिन्दुओं और मुसलमानों को प्रेम का संदेश देते घूम रहे थे ।

ग्यारहवीं झलक

संस्मरण–सुमन

566A5I

माँ ने कहा था

सन् 1892 की घटना है। उस समय गांधी जी लंदन में बैरिस्टर बनने गए थे । वहाँ उनकी कोट्स नाम के एक अँग्रेज से गहरी मित्रता हो गई। दोनों मित्र सभी विषयों पर खुलकर चर्चा किया करते। एक दिन कोट्स को गांधीजी के गले में 'माला' दिखाई दी। उसने पूछा–''मिस्टर गांधी, यह क्या अंधविश्वास गले में बाँधे फिरते हो।''

''मित्र, यह माँ का प्रसाद है। माँ ने कहा था तू इस माला को गले से मत उतारना, भगवान तेरी रक्षा करेगा।''

''तो क्या तुम माँ के कहने पर इतना विश्वास करते हो।''

''मैं विश्वास करूँ या न करूँ। मेरी माँ तो विश्वास करती है। मैं इसे यों नहीं फेंक सकता। जब यह टूट जाएगी, तब दूसरी मँगा कर नहीं पहनूँगा।''

गांधीजी की मातृ भक्ति देखकर अँग्रेज मित्र सन्न रह गया। मन–ही–मन कहने लगा– ''तो गांधी इसलिए माला नहीं उतारेगा कि उसे पहनने को माँ ने कहा था।''

फल की भेंट

सन् 1944 में जेल से छूटने के बाद स्वास्थ्य सुधारने के लिए गांधी जी जुहू में एक मित्र के घर पर ठहरे हुए थे। दर्शनों के लिए सुबह से शाम तक जनता की भीड़ लगी रहती। पर डॉक्टरों की राय थी कि गांधी जी को बहुत लोगों से न मिलाया जाए। इसलिए सरोजनी नायडू ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। वे गांधी जी के कमरे के दरवाज़े पर बैठी रहतीं और उनसे किसी को मिलने नहीं देतीं थीं। एक दिन एक बालक सबेरे–सबेरे आ गया और दिन भर दरवाज़े पर बैठा रहा । गांधी जी ने श्रीमती नायडू से उसे भीतर आने देने के लिए कह दिया। लड़का भीतर गया, साथ में बहुत से फल लाया था। गांधी जी से उन्हें स्वीकारने का आग्रह करने लगा। लोगों ने उसे भिखारी समझा। लोगों के चेहरे का भाव समझकर उसने कहा, ''महात्मा जी, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैंने जब से आपके जेल से छूटने की खबर सुनी है, तब से कुली का काम करके कुछ कमाई की है।

उसी कमाई से मैंने फल खरीदे हैं।'' गांधी जी बालक की बातों से द्रवित हो गए, बोले– ''बेटा, जाओ तुम अपनी कमाई के फल खाओ।'' पर लड़के ने एक फल नहीं छुआ। बोला–''महात्माजी, यदि आप खाएँगे तो मेरा पेट भर जाएगा। इतना कहकर वह झटपट कमरे से बाहर हो गया । उसके चेहरे पर खुशी नाच रही थी।

भाषा की गुलामी कब तक?

एक बार गांधी जी दिल्ली में हरिजन कॉलोनी में ठहरे हुए थे। वे वायसराय माउंटबेटन को एक महत्वपूर्ण पत्र लिख रहे थे। इतने में उनके कानों में बाहर खड़े भाई–बहिन की अँग्रेजी में बातें सुनाई पड़ीं। गांधी जी ने उन लोगों को अपने पास बुलाया और पूछा–''तुम कौन हो ?'' वे अचकचा गए क्योंकि गांधी जी उन्हें जानते थे। उन्होंने फिर पूछा–''बोलो, तुम कौन हो।''

उन्होंने कहा–''बापू, हम दोनों सगे भाई–बहिन हैं।''

''तुम कहाँ के रहने वाले हो।''

''पंजाब के।''

''तुम तो पंजाबी, हिन्दी, गुजराती इन सभी भाषाओं को जानते हो; फिर आपस में इनका प्रयोग क्यों नहीं करते ? तुम अपनी देशी भाषाओं की हिंसा कर रहे हो; अँग्रेजी के गुलाम बने हो। ऐसा लगता है आज हम आज़ादी के लायक नहीं हुए। मैं अँग्रेजी को बुरी भाषा नहीं मानता, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का तिरस्कार कर दें।'' महात्मा जी की इस फटकार से दोनों भाई–बहिन लज्जित हो गए और उन्होंने उनसे क्षमा माँगी।

बच्चों के साथ बापू का तैरना

गांधी जी बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे, उनकी ज़िद भी पूरी करते थे। वे एक बार साबरमती आश्रम में बैठे कुछ लिख रहे थे। इतने में ही आश्रम के बच्चों की टोली उनके पास आ धमकी।

''अरे, यह वानर सेना किस पर धावा बोलना चाहती है''–गांधी जी हँसते–हँसते बोले। एक मुँहलगे बच्चे ने कहा–''बापू, आप पर आज हम साबरमती नदी में आपके साथ नहाएँगे और तैरेंगे भी, हम आपको लेने आए हैं।''

बापू ने कहा – ''तो एक शर्त है। बोलो, पूरी करोगे।''

''क्यों नहीं, बोलिए न,'' बच्चे बोल उठे।

गांधी जी ने कहा –''अच्छा यह प्रण करो कि तुम आपस में नहीं लड़ोगे। मारपीट नहीं करोगे।'' ''नहीं करेंगे, अब तो चलिए'', एक साथ बच्चे चिल्ला उठे।''

गांधी जी ने अपने कागज़ अलग रख दिए और वे बच्चों के साथ साबरमती नदी में नहाए और तैरे भी।

बच्चे और बापू खुशी–खुशी आश्रम लौट आए।

जनता के पैसे सँभालकर खर्च करो

गोलमेज़ परिषद् की बैठक में गांधी जी लंदन गए हुए थे। वहाँ वे वही भोजन करते थे, जो भारत में करते थे। भोजन में शहद अवश्य होता था। भोजन की व्यवस्था उनकी अँग्रेज शिष्या मीरा बेन करतीं थीं। एक दिन वे अपने ठहरने के स्थान से शहद की शीशी लाना भूल गईं। भोजन का समय हो रहा था। गांधी जी ने मीरा बेन को नई शीशी में से शहद डालते देख लिया । उन्होंने पूछ ही लिया– ''मीरा, अपनी पुरानी शहद की शीशी कहाँ गई? यह तो नई मालूम होती है।'' ''हाँ बापू, मैं अपनी शीशी डेरे पर भूल आई थी । इसलिए मैंने बाजार से शहद की नई शीशी मँगा ली– ''मीरा ने सकुचाते हुए उत्तर दिया।

गांधी जी को यह अच्छा नहीं लगा। बोले "मीरा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम जनता के पैसों पर जीते हैं। एक दिन शहद न खाने से मैं मर थोड़े जाता। जनता के पैसों को सँभालकर खर्च करना चाहिए।''

फिजूलखर्ची से चिढ़

गांधी जी फिजूलखर्ची के बहुत विरुद्ध थे। वे अपने लेखों को छोटे–छोटे कागजों पर लिखते थे। कागज का कोई हिस्सा बेकार नहीं जाने देते थे। पत्र व्यवहार में लिफाफे के स्थान पर कार्ड का अधिक उपयोग करते थे। कार्ड में थोड़े शब्द में मतलब की बात लिखने की उन्हें कला आती थी। वे जब गोलमेज परिषद् में इंग्लैंड जाने लगे तो एक भक्त ने उन्हे शॉल भेंट की। गांधी जी ने उसे अपने पास नहीं रखा। उन्होंने वह शाल नीलाम कर सात हजार रुपए में बेच दी और धन हरिजन कोष में जमा कर दिया। वे कार्यकर्ताओं से कहते थे, जहाँ पैदल जा सको, वहाँ गाड़ी का उपयोग मत करो।'' अफ्रीका में अपने आश्रम के लिए आवश्यक चीजें लेने वे कभी–कभी दस–बारह किलोमीटर तक पैदल चलते थे। गांधी जी चंदे से प्राप्त धन के एक–एक पैसे का हिसाब रखते थे। जैसे एक आना ट्रॉम पर, दो पैसे का पानी आदि । वे प्रायः तीसरे दर्जे में रेल यात्रा करते थे, क्योंकि भारत गरीब देश है। गरीब जनता

तीसरे दर्जे में ही यात्रा कर सकती है। वे अपने को गरीब जनता का प्रतिनिधि मानते थे। उनकी पत्नी गहने नहीं पहनती थीं। अपने लड़कों को उन्होंने खर्चीले विद्यालयों में नहीं पढ़ाया और न उन्हें महँगे वस्त्र पहनाए। वे स्वयं खादी पहनते थे और घर में सभी आश्रित व्यक्तियों को खादी पहनाते थे। वे स्वयं अपना काम करना पसंद करते थे। वे अपने हाथ की खादी का कुर्ता, धोती, जो घुटनों तक रहती थी, मोटी चादर और प्रायः अपने ही हाथ की बनी चप्पल पहनते थे। अफ्रीका की जेल में उन्होंने मोची का भी काम सीख लिया था। वे कभी–कभी हँसी में कहते, ''मैं बनिया हूँ; एक–एक पैसा बचाना जानता हूँ।''

संतों की सेवा करना कठिन है।

एक बार महात्मा जी उड़ीसा की यात्रा के समय जगन्नाथ पुरी गए। उनके साथ कस्तूर बा और महादेव भाई देसाई भी थे। बा ने सोचा कि जगन्नाथ जी के दर्शन कर आना चाहिए। उन्होंने महादेव भाई से अपनी इच्छा ज़ाहिर की। वे राजी हो गए। दोनों दर्शन करके जब लौटे तो महात्मा जी ने पूछा– ''कहाँ गए थे ? तुम्हें पता नहीं था कि इस मंदिर में हरिजनों का प्रवेश मना है। महादेव जानता था, फिर तुम दोनों ऐसे मंदिर में क्यों गए ? तुमने बड़ी गलती की।'' महात्मा जी इतना कहते–कहते दुखी हो गए । उनके हृदय की धड़कन इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। गांधी जी अपने सिद्धांत के बड़े पक्के थे। हरिजनों को अछूत कहना उन्हें पसंद नहीं था। जिस मंदिर में हरिजनों का प्रवेश न हो, उसमें उनकी पत्नी और उनके सेक्रेटरी उनकी भावना को जानते हुए भी कैसे चले गए। यह बात उन्हें बहुत कष्टकर हुई। इसी से वे बेचैन हो गए थे और उनके हृदय की धड़कन बढ़ गई थी। महादेव भाई देसाई ने अपनी डायरी में लिखा है, ''संतों की सेवा करना और उनके साथ रहना सचमुच कठिन काम है। कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता ?''

अभ्यास

1. गांधी जी गले में माला क्यों पहने रहते थे ?
2. बालक ने गांधी जी से फलों को स्वीकार करने का आग्रह क्यों किया ?
3. गांधी जी के सामने दोनों भाई–बहनों को लज्जित क्यों होना पड़ा ?
4. गांधी जी बच्चों के साथ तैरने को किस शर्त पर तैयार हुए ?
5. नई शीशी में से शहद डालने पर गांधी जी ने मीरा बेन से क्या कहा ?
6. किन बातों से पता चलता है कि गांधी जी फिजूलखर्ची के विरुद्ध थे ?
7. कस्तूर बा और महादेव भाई देसाई पर गांधी जी किस घटना के कारण नाराज़ हुए?

बारहवीं झलक

विचार बिन्दु

56F676

सत्य

गांधी जी सत्य के बड़े आग्रही थे। वे सत्य को ईश्वर मानते थे। एक बार वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि सत्य की कल्पना भारत में यूरोप से आई है। इस पर गांधी जी बड़े क्षुब्ध हुए और उन्होंने वायसराय को लिखा,''आपका विचार गलत है। भारत में सत्य की प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। सत्य परमात्मा का रूप माना जाता है। ''

''सत्य मेरे लिए सर्वोपरि सिद्धांत है। मैं वचन और चिंतन में सत्य की स्थापना करने का प्रयत्न करता हूँ। परम सत्य तो परमात्मा है। परमात्मा कई रूपों में संसार में प्रकट हुआ। मैं उसे देखकर आश्चर्य चकित और अवाक हो जाता हूँ। मैं सत्य के रूप में परमात्मा की पूजा करता हूँ। सत्य की खोज में अपनी प्रिय वस्तु की बलि चढ़ा सकता हूँ।''

अहिंसा

अहिंसा पर गांधी जी ने बड़ा सूक्ष्म विचार किया है। वे लिखते हैं, ''अहिंसा की परिभाषा बड़ी कठिन है। अमुक काम हिंसा है या अहिंसा यह सवाल कई बार उठा है। मैं समझता हूँ कि मन, वचन और शरीर से किसी को भी दुख न पहुँचाना अहिंसा है। लेकिन इस पर अमल करना, देहधारी के लिए असंभव है। साँस लेने में अनेक सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। आँख की पलक उठाने, गिराने से ही पलकों पर बैठे जीव मर जाते हैं। साँप, बिच्छू को भी न मारें, पर उन्हें पकड़कर दूर फेंकना ही पड़ता है। इससे भी उन्हें थोड़ी बहुत पीड़ा तो होती ही है। मैं जो भी खाता हूँ, रहने से जो स्थान रोकता हूँ, जो कपड़े पहनता हूँ यदि उन्हें बचाऊँ तो मुझसे जिन्हें ज़्यादा जरूरत है, वे उन गरीबों के लिए काम आ सकते हैं। मेरे स्वार्थ के कारण उन्हें ये चीज़ें नहीं मिल पातीं। इसलिए मेरे उपयोग से गरीब पड़ोसी के प्रति थोड़ी हिंसा होती है। जो वनस्पति अपने जीने के लिए मैं खाता हूँ, उससे वनस्पति जीवन की हिंसा होती है। बच्चों को मारने, पीटने, डाँटने, में हिंसा ही तो है। क्रोध करना भी सूक्ष्म हिंसा है।''

ब्रह्मचर्य

जो मन, वचन और काया से इंद्रियों को अपने वश में रखता है, वही ब्रह्मचारी है। जिसके मन के विकार नष्ट नहीं हुए हैं, उसे पूरा ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। मन, वचन से भी विकारी भाव नहीं जागृत होने चाहिए। ब्रह्मचर्य की साधना करने वालों को खान–पान का संयम रखना चाहिए। उन्हें जीभ का स्वाद छोड़ना चाहिए और बनावट तथा शृंगार से दूर रहना चाहिए। संयमी लोगों के लिए ब्रह्मचर्य आसान है।

अस्तेय (चोरी न करना)

यह पाँच व्रतों में से एक है। दूसरे की चीज़ उसकी इज़ाज़त के बिना लेना चोरी है । जो चीज़ हमें जिस काम के लिए मिली हो, उसके सिवाय दूसरे काम में उसे लेना या जितने समय के लिए मिली हो, उससे ज़्यादा समय तक उसे काम में लेना भी चोरी है। अपनी कम–से–कम जरूरत से ज़्यादा मनुष्य जितना लेता है, वह चोरी है। अस्तेय और अपरिग्रह मन की स्थितियाँ हैं। सबके लिए इतनी बारीकी से उसका पालन करना कठिन है। पर जैसे–जैसे मनुष्य अपने शरीर की आवश्यकताएँ घटाता जाएगा, वैसे–वैसे अस्तेय और अपरिग्रह की गहराई में पहुँच जाएगा।

अपरिग्रह

जिस प्रकार चोरी करना पाप है, उसी प्रकार जरूरत से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह करना भी पाप है। इसलिए हमें खाने की आवश्यक चीजें, कपड़े और टेबिल, कुर्सी, पलँग आदि सामान आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना अनुचित है। उदाहरण के लिए यदि आपका काम दूसरी तरह चल जाए तो कुर्सी रखना व्यर्थ है।

प्रार्थना

महात्मा जी को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय से ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रार्थना प्रारंभ कर दी थी। प्रार्थना का मूल अर्थ माँगना है। पर गांधी जी प्रार्थना का अर्थ ईश्वरीय स्तुति, भजन, कीर्तन, सत्संग, आध्यात्म और आत्मशुद्धि मानते थे। अँग्रेजी के कवि टेनिसन ने लिखा है, ''प्रार्थना से वह सब कुछ संभव हो जाता है, जिसकी संसार कल्पना नहीं कर सकता।'' गांधी जी का भी कुछ–कुछ ऐसा विश्वास था। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है। उसे हमें हृदय में अनुभव करना है; साक्षात्कार करना है, इसी के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। गांधी जी सत्य को ईश्वर मानते थे। वे सत्य का अर्थ परमात्मा निरूपित करते थे, जो जगत में प्रारंभ से ही था, अभी है और भविष्य में भी रहेगा। आराधना ही प्रार्थना है। प्रार्थना में सत्य से एकाकार होने की इच्छा रखनी चाहिए। जिस प्रकार विषयी अपने विषयों में एकरस होने को व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी उस परम सत्य में एक रस होने के लिए व्याकुल हो जाना चाहिए। प्रार्थना में व्याकुलता आनी चाहिए।

स्वास्थ्य

महात्मा जी ने आजीवन स्वास्थ्य की चिंता की और उसके लिए तरह–तरह के उपायों का अवलंबन किया। वे औषधियों के घोर विरोधी थे। उन्होंने कुने की जल चिकित्सा, जुष्ट की प्रकृति की ओर लौटो और साल्ट की शाकाहार आदि पुस्तकें पढ़कर, उसमें बतलाए हुए नियमों

का पालन करने का प्रयत्न किया। अफ्रीका में रहते हुए भी वे अपने पत्र में आरोग्य पर लेख लिखा करते थे। वहीं उन्होंने 'स्वास्थ्य की कुंजी' नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने अपने पूर्व अनुभवों को सम्मिलित किया है। उन्होंने भोजन के संबंध में कई प्रयोग किए ।

दूध बहुत दिनों तक ग्रहण नहीं किया, पर अधिक अस्वस्थ्य हो जाने पर बकरी का दूध लेने लगे थे। सेवाग्राम में एक बार एक ऐसे सज्जन आए जो बिना अग्निस्पर्श का अन्नाहार करते थे। गांधी जी ने भी उनका अनुसरण किया और वे कुछ दिनों तक अंकुरित कच्चे अन्नपर रहे। पर उससे उन्हें पेचिस की शिकायत होने लगी। एक बार नीम की बहुत सी पत्तियों को खाने से चक्कर आने लगे थे। अनुभवों के बाद अंत में वे घर की चक्की में पिसे चोकर सहित आटे की डबलरोटी के कुछ टुकड़े, खजूर, अंगूर, शहद, मुसम्बी, नीबू आदि मौसमी फल, मेवे तथा बकरी के दूध पर रहने लगे थे। सर्व साधारण के लिए वे हरी सब्जी, दाल, हाथ के कुटे चावल, चोकर सहित गेहूँ की रोटी, थोड़ा दूध और घी का प्रयोग उचित मानते थे।

वे तारों भरी रात में खुली छत या आँगन में सोना पसंद करते थे। सर्दी से बचने के लिए आवश्यक कपड़े ओढ़ लेते थे। वे मुख ढाँककर सोने की सलाह नहीं देते थे । आकाश के नीचे सोने में सचमुच स्वास्थ्य चमकने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो आकाश से चन्द्र और तारों की किरणों से अमृत झरता हो। गांधी जी आश्रमवासियों को पानी उबालकर पीने की सलाह देते थे। प्रातः खुली हवा में घूमना स्वास्थ्यवर्धक मानते थे। अफ्रीका में वे कभी–कभी एक दिन में दस–बारह किलोमीटर पैदल चलते थे। वे कहीं भी रहते, पैदल चलना नहीं भूलते। लंदन में जब वे गोलमेज परिषद् में भाग लेने गए, तो ठिठुरने वाली सर्दी में प्रातः लम्बे डग भरते हुए टहलने जाते थे। नींद तो उनके वश में थी। वे रात चाहे जितनी देर तक जागें, प्रातः चार बजे के पूर्व उठ जाते थे और हाथ–मुँह धोकर प्रार्थना करते थे। दिन को भी इच्छा से बीच–बीच में झपकी ले लेते थे। वे जल, आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी के उपयोग को प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत मानते थे। जल का उपयोग टब स्नान करने में, वायु का प्रातः भ्रमण करने में, पृथ्वी की स्वच्छ मिट्टी की पट्टी को शरीर के बीमार अंग पर रखने में, तेज का सेंकने में और आकाश का उपयोग सूर्य–किरणों से स्नान करने और रात को उसके नीचे सोने से हो जाता है। परंतु इन सबके अतिरिक्त राम–नाम को वे सब रोगों पर रामबाण औषधि मानते थे, पर रामबाण तभी प्रभावकारी होता है, जब हृदय से लिया जाए।

समाजवाद

समाजवाद बड़ा सुन्दर शब्द है । उसमें राजा और किसानों, गरीब और धनवान, मालिक और मज़दूर सभी समान स्थिति में आ जाते हैं; न कोई बड़ा रहता है और न कोई छोटा । दर्शन की भाषा कहें तो समाज में द्वैत रहता ही नहीं, अद्वैत ही रहता है। परन्तु जब हम संसार की ओर आँख उठाकर देखते हैं तो कहीं अद्वैत नहीं दिखाई देता, द्वैत ही दिखलाई देता है । 'यह ऊँचा है, यह नीचा है; यह हिंदू है, यह मुस्लिम है; यह सिख है, यह पारसी है; यह ईसाई है– यही सुन पड़ता है । इनमें भी उपभेद हैं। गांधी जी विभिन्नता में एकता के दर्शन करने में सच्चा समाजवाद पाते थे। इस आदर्श तक पहुँचने के लिए भाषणों से काम नहीं चलेगा। हमें अपने जीवन–क्रम को बदलना होगा। समाजवाद एक व्यक्ति के आदर्श जीवन ग्रहण करने से प्रारंभ हो सकता है । लोग धीरे–धीरे जब उसका अनुसरण करने लगेंगे तो संपूर्ण समाज में समानता स्थापित हो जाएगी। समाजवाद स्फटिक के समान शुभ और पवित्र है। उस तक पहुँचने के लिए पवित्र साधन अपनाने होंगे। गलत साधन का परिणाम भी गलत ही होगा। महात्मा जी समाजवादी की ईश्वर में आस्था को भी आवश्यक मानते थे। परमात्मा सबसे बड़ी शक्ति है। उसमें विश्वास मानने से अवश्य बल पड़ता है। उन्होंने अपने विषय में लिखा है कि मैं तो जब भारत में लोग समाजवाद का नाम भी नहीं जानते थे, तब से समाजवादी हूँ। समाजवाद मेरे स्वभाव में रहा है। मैंने उसे किताबों से नहीं सीखा। अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करने के रूप में एकता की भावना मुझमें पैदा हो गई थी। अहिंसावादी समाज में अन्याय देख नहीं सकता।

भाषा और लिपि

महात्मा जी ने अँग्रेजी को दैनिक व्यवहार की भाषा नहीं माना। वे देश में प्रांतों के परस्पर संपर्क के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता अनुभव करते थे। इसलिए उन्होंने सारे देश में भ्रमण कर यह निर्णय लिया कि हिंदी, जिसे उन्होंने बाद में हिंदुस्तानी कहा, राष्ट्रभाषा होने योग्य है।

उन्होंने भाषा के नीचे लिखे हुए लक्षण बतलाए हैं –

1. वह प्रयोग करने वालों के लिए सरल होनी चाहिए ।

2. उसके द्वारा भारत का आपसी धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार हो सके ।

3. भारतवर्ष के बहुत से लोग उसे बोलते हों ।

हिंदी भाषा में यह सब लक्षण मिलते हैं ये समस्त लक्षण धारण करने में हिंदी की होड़ करने वाली दूसरी कोई भाषा नहीं है ।

महात्मा गांधी का प्रिय भजन

वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीड़ पराई जाणे रे ।
पर दुःखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आणे रे ।
सकल लोक मा सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे ।
वाच काछ मन निश्चल राखे, धन–धन जननी तेनी रे ।
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे ।
जिह्वा थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे ।
मोह–माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनमाँ रे ।
राम नाम शुँताली लागे, सकल तीरथ तेना तनमाँ रे ।
वणलोभी कपट रहित छे, काम–क्रोध निवार्या रे ।
भणे नरसैयो तुनँ दरसन करताँ, कुल एको तेर तार्या रे ।

– नरसी मेहता

अभ्यास

1. सत्य के जन्म को लेकर गांधी जी लॉर्ड कर्जन के विचारों से क्यों असहमत थे ?
2. अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था?
3. गांधी जी के अनुसार ब्रह्मचारी कौन कहलाता है ?
4. गांधी जी प्रार्थना करना आवश्यक क्यों मानते थे ?
5. गांधी जी का समाजवाद से क्या तात्पर्य था ?
6. हिन्दी की किन विशेषताओं के कारण गांधी जी उसे राष्ट्रभाषा होने के योग्य मानते थे ?